खण्ड-436, अंक-4
मंगलवार, 2 कार्तिक, शक संवत् 1922
(24 अक्टूबर, 2000 ई0)

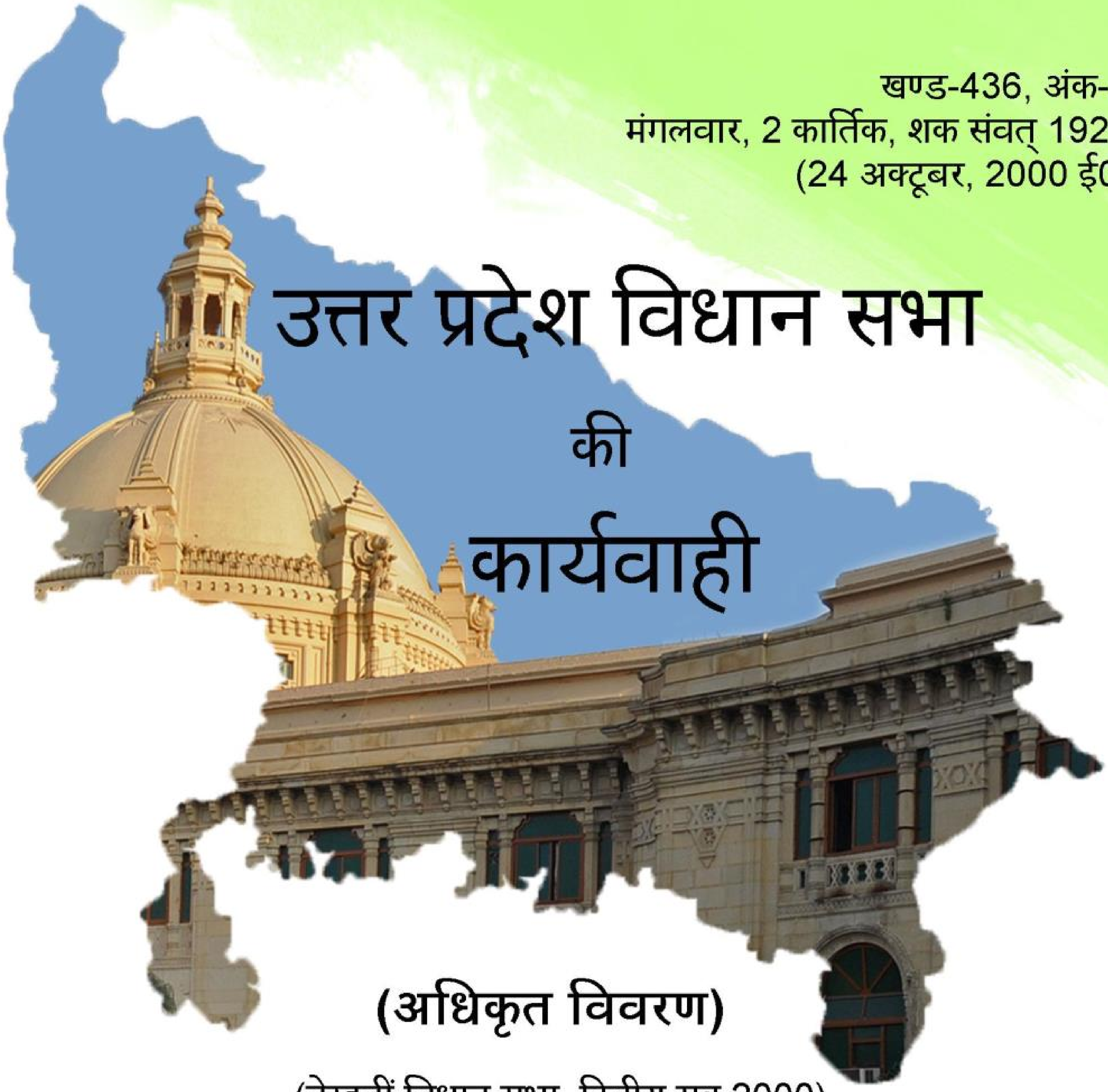

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2000)

खण्ड 436 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1-6
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवधेश कुमार एवं श्री खुरशेद अहमद के निधन पर शोकोद्गार	7
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	7
जनपद सीतापुर में ग्राम कोलहौरा निवासी बाल गोविन्द आदि द्वारा गांव के चक रोड पर अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	7
पं० देवी दत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ राम नगर नैनीताल के कर्मचारियों के वेतन का शीघ्र भुगतान कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	7
रामपुर जिलान्तर्गत राम गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों को बसाने व सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	8
लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित तपस्वीनगर (अहिवरनपुर) में नाली खड़ंजा का कार्य पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	8
लखनऊ शहर के क्लै-स्क्वायर में 11 हजार के०बी० का अण्डरग्राउण्ड व ओवर हैड केबिल पेटी को अन्यत्र स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8
प्रदेश की भिन्न-भिन्न नान बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा धनराशि की वापसी हेतु विशेष सक्षम न्यायालय का गठन संबंधी आदेशों का अनुपालन कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9
वाराणसी में करोड़ों रुपये की महंगी जमीन के अन्दर पड़ी सड़ रही केबिल की जांच तथा कार्यवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	9
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत सामान्य ग्राम तथा अम्बेडकर ग्राम के इन्दिरा आवासों के शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धन का गबन किये जाने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	10
जनपद पीलीभीत में धान के समर्थन मूल्य हेतु क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10
मेरठ जिलान्तर्गत लोनी नगर पंचायत क्षेत्र बेहटा हाजीपुर घरौरी खुर्द आदि राजस्व गांवों में एल० एम० सी० भूमि चिन्हित कर उसे भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	10-11
जनपद रायबरेली के ग्राम-पट्टी रहस कैथवल में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11

विषय	पृष्ठ-संख्या

जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम धमना में चकबन्दी कार्य पर रोक लगाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 11

जनपद इटावा में अधिवक्ता, पत्रकार एवं छायाकारों पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 11-12

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दैनिक वेतन पद पर कार्यरत और निष्कासित श्री इन्द्रजीत को नौकरी में लिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 12-13

छटनीशुदा श्री रामजी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम को नौकरी में लिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 13

जनपद चित्रकूट में कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु राज्य योजना से धन स्वीकृत किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 13-14

आजमगढ़ में जर्जर जिला चिकित्सालय भवन की मरम्मत कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 14

जनपद अम्बेडकर नगर जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित जनों को आवास व्यवस्था एवं सड़कों की मरम्मत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 14-15

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर में इन्दिरा आवासों के आवंटन में धांधली के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 15

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 15

जिला पंचायत जौनपुर को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रदान करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 16

जनपद–बलरामपुर में बाढ़ रोकनें हेतु क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 16

आजमगढ़ के महाविद्यालय में कतिपय पदों के सृजन की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 17

प्रदेश में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 17

लेसा के अन्तर्गत कार्यरत वर्तमान उप महाप्रबन्धक मण्डल तृतीय द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 18

श्रावस्ती जनपद के ग्राम सभा श्री नगर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 18

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद कुशीनगर (पडरौना) में कप्तानगंज तथा खड्डा दो नये तहसीलों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद सुल्तानपुर में किसान सेवा केन्द्र द्वारा किसानों को घटिया किस्म के बीज उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
रायबरेली रोड स्थित शारदानगर योजनान्तर्गत रजनी खण्ड के सेक्टर–3 में सीवर लाइनें व चैम्बर्स ठीक कराये जाने तथा उसमें वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20
शारदा सहायक समादेश परियोजना जवाहर भवन लखनऊ में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक श्री बी० के० शुक्ला के विरुद्ध शिकायत की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20-21
सिंचाई विभाग द्वारा अपनी रिंग मशीनों से कृषकों को नलकूप न बनाकर किराये की मशीनों से कराये जाने की जांच तथा निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	21
कानपुर देहात के ग्राम पिपरी में आराजी नं० 80 तथा संलग्न भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21-22
जनपद फतेहपुर में वन विभाग द्वारा मनमानी करने तथा लकड़ियों के विक्रय में घपले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22
बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी के उपाध्यक्ष का चुनाव जानबूझ करके स्थगित करने की जांच कराने तथा दोषी जनों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
प्रदेश में मृतक आश्रित सेवायोजन समय सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए सम्बन्धित विभाग को सीधे आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद फिरोजाबाद एवं आगरा में सूखे से प्रभावित जनों को राहत पहुंचाने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23-24
जनपद बांदा में मौजा लड़ाकपुरवा खाईपार मुहाल तथा मुहल्ला अलीगंज निवासी श्री वाहिद अली उर्फ मुन्नन का नाम राजस्व अभिलेखों में फर्जी अंकित होने पर कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	24
जनपद एटा के विकास खण्ड सकीट के ग्राम रिजोर में 32 के०वी०ए० के सब स्टेशन की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	24
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से प्रभावित गांवों के परिवार को अन्यत्र बसाये जाने तथा उनको पढ़ाई, पानी आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखीमपुर में नगर पंचायत ओयल से ग्राम पंचौरा से लीला कुंआ आदि से होकर एल०आर०पी० रोड से जुड़कर छोटी काशी गोला गोकरन नाथ को जाने वाली सड़क को पक्की बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	25
उ० प्र० राज्य सेतु निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद चित्रकूट में कतिपय मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
फिरोजाबाद में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में नाली खड़न्जा आदि का कार्य पूर्ण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्रान्तर्गत शारदा नहर लखनऊ ब्रांच में ग्राम कुंवरपुर बसौठ के समीप इनलेट का निर्माण अविलम्ब सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26-27
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप वेतनमान दिलाये जाने आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
पति-पत्नी सेवारत सरकारी सेवा में एक साथ रहने संबंधी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा हेतु मेसर्स स्मार्ट चिप्स संस्था को काली सूची में रखते हुए प्रतिबन्धित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज एवं हलिया के गरीब व भूमिहीन मजदूरों को बेदखल से रोकने एवं उत्पीड़न कार्यवाही बन्द करायें जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28-29
जनपद संत रविदासनगर भदोही ज्ञानपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29
लोक आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1990 से 1994) (सदन के पटल पर रखा गया)	29
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	29
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी) ...	30
वर्ष 2000 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	30
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1) (सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया) ...	31

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोकलेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1) (सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया) ...	31
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 23सवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया)	31
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 24सवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया)	31
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया)	31
जनपद एटा विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ग्राम बहोरनपुर से ग्राम करमपुर जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	32
जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र सकीट के अन्तर्गत स्थित कस्बा सकीट इशारा मार्ग का पुनरोद्दार कराये जाने विषयक श्री अजब सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	32
जनपद एटा के अन्तर्गत जिला से कस्बागंज डुडवारा जाने वाले मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा कराये जाने विषयक श्री दाउद नबी मंसूरी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	32
जनपद लखनऊ के वार्ड नम्बर 86 के मोहल्ला कुर्मांचल नगर के सेक्टर सी एवं डी में सीवर लाइन निर्माण/सड़कों का डामरीकरण/पानी की निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री लक्ष्मीकान्त जोशी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	32
श्री मुरादलारी स०वि० सभा के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना के संबंध में जानकारी	32-33
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	33-35
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	35-36
आज की कार्यसूची के क्रम संख्या–22 पर सूचीबद्ध प्रस्ताव को उसी विषय पर कार्य-स्थगन के साथ संलग्न करके सुने जाने की मांग	37-38
प्रदेश का पुनर्गठन करने विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना तथा नियम 103 के अन्तर्गत प्रदेश को चार भागों में विभाजन का प्रस्ताव [''यह सदन उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु प्रदेश को चार भागों में (पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड) में बांटने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है ''] (अस्वीकृत)	38-52

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तरांचल के विधायकों के साथ फोटोग्राफ कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना ...	52
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	52-55
श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा पीठ के प्रति किये गये अशोभनीय आचरण के संबंध में श्री अधिष्ठाता के निर्देश	55-59
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	59-69
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	69
श्री कांशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	70-71
अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "मायावती डिसाइड्स टू मूव कोर्ट" शीर्षक से सुश्री मायावती द्वारा पीठ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवहेलना के प्रश्न परश्री अध्यक्ष का निर्णय	71
श्री प्रमोद कुमार द्वारा पीठ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	71-72
संसदीय कार्य मंत्री द्वारा असत्य एवं भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	72-73
श्री मुवनेश कुमार (सही नाम भूषण कुमार) खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री महावीर सिंह सहायक विकास अधिकारी क्षेत्र समिति अम्बियापुर बदायूं द्वारा श्री भोलाशंकर मौर्य के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	73-74
जनपद बागपत के थानाध्यक्ष रमाला एवं क्षेत्राधिकारी बड़ौत द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	75
माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	76-77
अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम न किये जाने के आदेशों की अवहेलना किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	77-78
सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं का पालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	78-85
प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन विषयक प्रकरण उठाने का प्रयास	85-86

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 15 मई, 2000 के कार्यवृत्त में अंकित नियम 103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा आदि द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा किसी सदस्य के रुचि न लेने के कारण अस्वीकार किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	85
नवगठित उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश विधान सभा के 22 सदस्यों की भाव-भीनी बिदाई	87-119
आज की कार्य-सूची की शेष मदों, प्रस्तावों, जारी चर्चाओं तथा वक्तव्यों का स्थगन	120
इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित करने विषयक श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	120
इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	120
इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में किसानों तथा मजदूरों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की वर्तमान गन्ना नीति एवं चीनी उद्योग नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थगन	120
इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	120
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	120
प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री शिव सिंह चक द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)... ...	120
प्रदेश के मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	120

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री रामकुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा (जारी) ...	120
प्रदेश में अनवरत रूप से बढ़ती मंहगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	121
प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री प्रदीप कुमार द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	121
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे०पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार द्वारा नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में विचार हेतु निर्धारित चर्चा (जारी)	121
जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत आवासित झोजा जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	121
प्रदेश में एंग्लोइण्डियन स्कूल तथा उससे सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण कार्य पाठ्यक्रम तथा विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कन्टीब्यूटरी फंड आदि के लिए अल्प संख्यक स्टेट बोर्ड फार एंग्लोइण्डियन एजूकेशन बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में श्री पीटर फैन्थम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	121
प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक श्री राम औतार शाक्य, श्री राजेश अग्रवाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री जगदम्बिका पाल, डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचनों पर निर्धारित चर्चा (जारी)	121
खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	121
उत्तरांचल के विधायकों को प्रतीक चिन्ह भेंट किये जाने तथा केन्द्रीय कक्षा में उनकी विदाई समारोह हेतु जलपान व्यवस्था की सूचना	121-122
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	122
राष्ट्रगान	122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय भट्ट श्री — अल्मोड़ा
2–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
3–अनिल कुमार, श्री — बलिया
4–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
5–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
6–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
7–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
8–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
9–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
10–ओइम्वेश स्वामी — बिजनौर
11–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
12–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
13–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
14–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
15–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
16–कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
17–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
18–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री — झांसी
19–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
20–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
21–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
22–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
23–बनारसी दास चान्दना, श्री — मेरठ
24–मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
25–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
26–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
27–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
28–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
29–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
30–राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
31–राम नरेश रावत, श्री — गाजियाबाद
32–राम पाल सिंह, श्री — गोण्डा
33–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
34–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
35–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
36–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
37–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
38–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
39–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
40–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
41–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
42–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 24 अक्टूबर, 2000

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(इसी मध्य श्री विनोद मणि, श्री राम जग, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद तथा श्री संजय गर्ग सहित विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, प्रदेश सरकार आरक्षण का कोटा पूरा नहीं कर रही है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में हमारी 311 में नोटिस है । इस संबंध में पूरे प्रदेश में आन्दोलन चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं ।

आज की कार्यसूची में मद संख्या–1 में निधन के निर्देश हैं । मैं समझता था कि उसके बाद आप लोग अपनी बात कहेंगे । राम जग जी आपकी आरक्षण के बारे में सूचना है उसको बाद में ले लेंगे । कौकब हमीद जी की नियम 311 में सूचना है व इसी विषय में आपने नियम 103 में भी सूचना दी है ।

(वेल में उपस्थित सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये)

आपको स्मरण होगा कि कल मैंने सदन में कहा था कि विधायकों की भागीदारी के संबंध में चर्चा आज के दिन एक घण्टे के लिए करा लेंगे । निधन के निर्देश के बाद उसको ले लें । फिर नियम 311 को जिसे 56 में परिवर्तित कर दिया है उसको ले लेंगे । जब आपकी नियम 311 की सूचना लेंगे तो नियम 103 में जो सूचना इसी विषय पर कौकब साहब आपने दी है उसको भी कह दें ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवधेश कुमार एवं श्री खुरशेद अहमद के निधन पर शोकोद्गार

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

अध्यक्ष जी इस सदन को सूचित करते हुए यह अत्यन्त दुख का विषय है कि सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने कभी सदन की शोभा बढ़ाई थी वह आज हमारे बीच नहीं है । अवधेश कुमार भूतपूर्व सदस्य 3 अगस्त, 2000 को सीतापुर में उनका निधन हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वे लगभग 83 वर्ष के थे । 16 जनवरी, 1917 को ग्राम बड़ागांव, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में हुआ था । वर्ष 57 में मिश्रिख से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये तत्पश्चात् 62 व 69 में पुनः इस माननीय सदन में निर्वाचित होकर आये । स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आचार्य नरेन्द्र देव एवं आचार्य कृपलानी जी की प्रेरणा से राजनीति में प्रवेश किया था और 42 में जेल गये । श्री अवधेश कुमार के निधन से जनपद सीतापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया और इस सदन को भी काफी हानि हुई है ।

श्री खुरशेद अहमद का 18 अगस्त को निधन हो गया वे लगभग 61 वर्ष के थे और इनका जन्म 2 जून, 1939 को भिनगा जिला बहराइच में हुआ था । सर्वप्रथम 1980 में तत्पश्चात् 85 में भिनगा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । ये उप नगरपालिका भिनगा के 71 से 74 तक अध्यक्ष, 80 में, 85 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य तथा वन स्थायी समिति के सदस्य रहे । देश सेवा व भ्रष्टाचार मिटाने में इनकी विशेष रुचि थी । श्री खुरशेद जी के निधन से श्रावस्ती की जनता ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है । इन दोनों के निधन से हमें अपार कष्ट हुआ है । मेरी आपसे बिनती है कि मेरी, हमारे दल और पूरे सदन की ओर से हमारी श्रद्धांजलि उनके शोक संतृप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री अवधेश कुमार, श्री खुरशेद अहमद के संबंध में जो शोक संवेदनायें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि श्री अवधेश कुमार जी 83 वर्ष की आयु में ही हमसे विदा हो गये और तीन बार सदन के सदस्य रहे । स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आन्दोलनों में उन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और विभिन्न संस्थाओं से उनके संबंध रहे । वे एक बहुत बड़े समाज सेवी थे । उनके विचारों से यह सदन, प्रदेश और समाज हमेशा लाभन्वित होता रहा । उन्होंने जो विचार छोड़े उन्होंने जो कार्य किया उन्हीं से प्रदेश की जनता और क्षेत्र व जनपद की जनता उनको सदैव याद करेगी । यद्यपि वह हमारे बीच में नहीं है हम सभी को एक न एक दिन जाना है । श्री अवधेश जी सचमुच बहुत बड़े समाजसेवी थे और इस विधान सभा में रहकर उन्होंने जनता की ज्वलन्त समस्याओं को रखा और उनका निराकरण का प्रयास किया ।

दूसरे हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री खुरशेद अहमद साहब भी 61 वर्ष में हमसे विदा हो गये वह माननीय सदन के दो बार सदस्य रहे । सदन के अन्दर उन्होंने बहुत से प्रश्नों को जो प्रदेश की जनता के लिए प्रगति के लिए सुखसमृद्धि के लिए सदन में रखकर राहत पहुंचाने का काम किया । समाज में भी उनके कार्य सराहनीय रहे वे सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेम्बर रहे हैं । उन्होंने समाज और देश और प्रदेश की सेवा में अपना जीवन गुजारा । मैं और हमारा दल और सम्पूर्ण सदन उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है । हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि दोनों विधायकों की आत्माओं को शाश्वत शान्ति प्रदान करे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री अवधेश कुमार जी, जो जनपद सीतापुर के एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे का 3 अगस्त, 2000 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। श्री अवधेश कुमार जी इस सदन में 1957,62 तथा 1969 में तीन बार चुनकर आये थे। उन्होंने अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में समाज सेवा करने का काम किया और लोगों की आवाज को सदन के अन्दर और बाहर अच्छी तरह से मुखरित करने का काम किया। आचार्य नरेन्द्र देव जी एवं आचार्य कृपलानी जी के संरक्षण में रहकर राजनीति की शुरूआत की। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। इससे जहां सीतापुर ने अपना एक अच्छा समाज सेवी और नेता खोया है, वहीं उत्तर प्रदेश का भी एक ऐसे अच्छे कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के निधन से भारी क्षति हुई है। हम उनके निधन पर अपनी ओर से एवं बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं एवं आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

मान्यवर, श्री खुरशेद अहमद जी जो श्रावस्ती जनपद के रहने वाले थे, अच्छे समाजसेवी थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे का 18 अगस्त, 2000 को निधन हो गया। श्री खुरशेद अहमद जी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे और इस सदन में 1980 से 1985 तक सदस्य के रूप में रहे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन पर हम अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोक संवेदना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*कारागार राज्य मंत्री (श्री विनय कुमार पाण्डेय)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री अवधेश कुमार एवं श्री खुरशेद अहमद के निधन पर शोक संवेदनायें व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार व खुरशेद अहमद ने अपने सापाजिक जीवन में इस समाज और प्रदेश की जो अविस्मरणीय सेवा की है उसके लिये यह समाज एवं प्रदेश सदैव उनका ऋणी रहेगा। मैं इन दोनों माननीय सदस्यों के शोक-संतप्त परिवारों तक अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिये आपसे आग्रह करता हूं।

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य दलों के नेताओं ने श्री अवधेश कुमार और श्री खुरशीद अहमद जो कि इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, के निधन पर जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें इन शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अवधेश कुमार के निधन से सीतापुर का ही नहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महायोद्धा सदा सर्वदा के लिये सो गया है। वे तीन बार निर्वाचित होकर इस विधान सभा के सदस्य रहे और अपने क्षेत्र, जनपद और समाज की सेवा की। वे आचार्य नरेन्द्रदेव और कृपलानी जी के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचारों से प्रभावित थे और गांधी जी के विचारों को भी अपने जीवन में प्राथमिकता देते थे । श्री खुरशेद अहमद जी के निधन से जहां बहराइच ने अपना एक प्रतिष्ठित नागरिक खो दिया वहीं मैंने भी अपना एक मित्र खोया है । 80-85 में वे विधान सभा के सदस्य थे । अपनी साफगोई के लिये भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिये सदा आवाज उठाते थे । कहीं पर भी भ्रष्टाचार की बात हो उसको दूर करने के लिये अपनी आवाज उठाते थे । चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड में रहे हों या नगर पालिका में उन्होंने कुल मिलाकर अपनी अमिट छाप छोड़ी है । आज उनके निधन से हम सब दुःखी हैं । आपसे निवेदन है कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, श्री अवधेश कुमार और श्री खुरशेद अहमद जी इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य थे । उनके गुजर जाने के बाद उनके क्षेत्र में, उनके हलके में ही एक कमी नहीं आयी है बल्कि पूरे प्रदेश में कमी आयी है । आपसे निवेदन है कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रामजग–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व सदस्य श्री अवधेश कुमार और श्री खुरशेद अहमद आज हमारे बीच में नहीं हैं । श्री अवधेश कुमार मात्र सीतापुर के ही नेता नहीं थे राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन में वे एक योद्धा थे । उन्होंने समाज की सेवा की । श्री खुरशेद अहमद ने भी अपने जिले में ही नहीं अपने जिले के बाहर समाज की सेवा की । भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया । इन दोनों नेताओं के निधन से पूरे प्रदेश में एक अपूर्णनीय क्षति हुई है । हम और हमारी पार्टी इनके निधन से बहुत दुःखी हैं । आपसे आग्रह है कि हमारी शोक-संवेदनायें इनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज हम सभी के बीच इस सम्मानित सदन के दो भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री अवधेश कुमार और स्वर्गीय श्री खुरशेद अहमद नहीं रहे । श्री अवधेश कुमार जी 57 में, 62में और 69 में 3 बार सोशलिस्ट पार्टी के निशान से निर्वाचित होकर इस सदन में आये थे । वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । समाजवादी आन्दोलन के योद्धा थे । उनकी सक्रिय भागीदारी स्वतन्त्रता संग्राम में थी । उन्होंने सन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी श्री अवधेश कुमार जी के निधन से सीतापुर को अपूर्णनीय क्षति हुई है । उनके निधन से जो रिक्तता आयी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है । अवधेश कुमार जी के निधन से हम सभी दुःखी हैं । मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है । आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री खुरशेद अहमद इस सम्मानित सदन में दो बार निर्वाचित होकर आये । वह 1971 से 1974 तक उप नगरपालिका भिनगा के अध्यक्ष, सुन्नी वक्फ बोर्ड के 1980 से 1985 तक सदस्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 1980 से 1985 तक तथा वन स्थायी समिति के 1980 से 1985 तक सदस्य रहे । वे आल इण्डिया जमैतुर राईन के महासचिव भी रह चुके थे । उनके न रहने से बड़ी रिक्तता आयी है । उनके निधन से हम सब बेहद दुखी हैं । मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है । आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक-संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र यादव–

श्री अवधेश कुमार और श्री खुरशेद अहमद के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार अन्य दलों के माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं और मेरा दल उनसे अपने को सम्बद्ध करता है । आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो श्री अवधेश प्रसाद और श्री खुरशेद अहमद के निधन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं और मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है । आपसे अनुरोध है कि हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अवधेश कुमार जो इस सदन के पूर्व सदस्य थे उनका निधन 3 अगस्त, 2000 को 83 वर्ष की अवस्था में हो गया । वह समाजवादी विचारधारा के थे श्री अवधेश कुमार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भी थे । सन् 1942 में उन्हें कारागार की सजा हुई थी । सीतापुर जनपद की निश्चित ही अपूर्णनीय क्षति हुई है ।

श्री खुरशेद अहमद सदन के पूर्व सदस्य थे । उनका निधन 18 अगस्त, 2000 को 61 वर्ष की अवस्था में हो गया । वर्ष 1985 तक वह सदस्य रहे और सदन की कई समितियों के सदस्य रहे । वह कुशल समाजसेवी थे । जनपद श्रावस्ती को उनके न रहने से अपूर्णनीय क्षति हुई है । सभी दलों के नेताओं ने जो स्वर्गीय सदस्यों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए आप सभी की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हम सब स्वर्गीय सदस्यों की आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

(विपक्ष के अधिकांश सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का ठीक ढंग से क्रियान्वयन न करने से उत्तर प्रदेश में दलितों में भारी आक्रोश व्याप्त है । मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थानों पर जायं ।

(बसपा के सदस्य नारे लगाने लगे कि "दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" दलित उत्पीड़न बन्द करो, बन्द करो ।")

आप लोग अपने स्थान पर जायं । माननीय कौकब जी आपकी 311 की सूचना मैं ले लूंगा । रामजग जी आपको भी मैं सुन लूंगा ।

(श्री राम जग एवं श्री कौकब हमीद अपने दल के साथ वापस अपने स्थानों पर चले गये ।)

(बसपा के विधायकगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे ।)

आप सरकार के विरोधी होइये, विधान सभा के विरोधी क्यों हो रहे हैं और किसी के विरोध में हों या न हों स्वयं आपने विरोधी हो रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि कृपा अपने स्थान पर जायं ।

(बसपा के सदस्यगण फ्लोर पर से ही कहने लगे कि पहले हमारी बात सुन लीजिये)

मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूं । मैं सदन को 11.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज पांच लाख शिक्षक आन्दोलनरत हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में आन्दोलन चल रहे हैं कि प्रदेश का विभाजन कर 4 नये प्रान्तों का सृजन किया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही चले, इसमें आप सबका सहयोग मैं चाहता हूं ।

देखिये, ऐसा है कई सूचनायें महत्वपूर्ण हैं अगर थोड़ा सा सदन को विनियमित कर लेंगे तो सभी सूचनायें आ जायेंगी । माननीय समरपाल जी और हमीद जी की सूचना 311 में है । मैं उसको सुन लेता हूं । इसी तरह से एक प्रस्ताव है । माननीय मौर्य जी ने कहा कि वे वापस ले लेंगे लेकिन उसी समय अपनी बात भी कह देंगे एक दूसरी सूचना मौर्य जी और रामजग जी की अनुसूचित जातियों के सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित है उसको ले लेता हूं । अध्यापकों का सवाल है कल सुबाष जी ने बात कह दी, लेकिन किसी क्रम पर उसको भी सुन लूंगा । मौर्या जी की स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में अनियमितता की बाबत नियम 56 में नहीं आयी होगी तो सूचनाओं के तुरन्त बाद सुन लूंगा अगर आप लोग कम समय लेंगे तो 1-15 बजे तक सारी सूचनायें समाप्त हो जायेंगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में ठीक से काम नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको सुन लूंगा ।

पेजा कताई मिल के बारे में सूचना है, सुन लूंगा । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नहीं आयीं होंगी, वे बता देंगे, सुन लूंगा । माननीय राम प्यारे जी आपकी सूचना है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत 56 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुईं ।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं ।)

जनपद सीतापुर में ग्राम कोलहौरा निवासी बाल गोविन्द आदि द्वारा गांव के चकरोड पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही–

[महोदय, आपका ध्यान मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जनपद सीतापुर की तहसील मिश्रिख, विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत कोलहौरा ग्राम के निवासी बाल गोविन्द पुत्र झम्मन आदि ने अपने गाटा सं० 213 में गांव के चक रोड को अवैध रूप से अपने चक में मिला लिया है । तथा उसमें गन्ने की फसल को बो दिया है । चकरोड पर अवैध कब्जे के कारण आम रास्ता बन्द हो गया है । गाटा सं० 213 के उत्तर में ग्राम समाज की आबादी भूमि है तथा आबादी के लगे हुए दक्षिण ओर चकरोड है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अवैध कब्जे वाली भूमि को तत्काल मुक्त कराये तथा कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ राम नगर नैनीताल के कर्मचारियों के वेतन का शीघ्र भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज यादव–

[मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि पं० देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ, रामनगर नैनीताल के कर्मचारियों की समस्या सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि वर्ष 1998 मार्च से अक्टूबर, 2000 की अवधि का वेतन भुगतान शासन द्वारा नहीं किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों का परिवार/बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का भविष्य अन्धकारमय होता जा रहा है तथा सभी कर्मचारीगण भुखमरी की कगार पर मानसिक वेदना से त्रस्त हैं । विभागीय व शासन स्तर पर लगातार पत्र-व्यवहार व प्रबन्ध समिति द्वारा वेतन भुगतान हेतु प्रार्थना की गयी, जिनको आज तक न तो विभाग से न शासन स्तर पर वेतन सम्बन्धी भुगतान तो अलग सूचना तक नहीं दी गयी, जबकि विद्यालय विधिवत् रूप से संचालित है तथा शासन द्वारा वर्ष 31 मार्च, 96 से अनुदान सूची पर लिया गया है । फरवरी, 98 तक का वेतन भुगतान किया जाता रहा है ।

इस सम्बन्ध में किये गये सभी प्रयास असफल रहे । अतः प्रार्थना है कि सभी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित् कराया जाये ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रामपुर जिलान्तर्गत राम गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित गांवों को बसाने व सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशीराम–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र 39 शाहबाद जिला रामपुर के अन्तर्गत रामगंगा नदी की बाढ़ से क्षेत्र के हजारों मकान गिर गये तथा दो बच्चे व दो लोगों की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो गयी बच्चों को 25-25 हजार व दो आदमियों को 50-50 हजार शासन द्वारा दिया गया लेकिन बाकी लोगों का जो मकान गिरा जानवर मरे व फसल नष्ट हुई कोई भी शासन से सहायता नहीं मिली, जनता बेघर हो गयी सड़क पर रह रही है। सुपामदारपुर गांव लगभग सभी घर कट गये हैं। ललवारा बाढ़ में घिरा था वहां जन सम्पर्क नहीं हो पाया रेवड़ी कुला की भी यही दशा है। इन गांवों को बसाने व सहायता देने की कृपा करें।]

लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित तपस्वीनगर (अहिवरनपुर) में नाली खड़ण्जा का कार्य पूर्ण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्यारे सिंह–

[मान्यवर, सीतापुर रोड लखनऊ स्थित तपस्वीनगर, अहिवरनपुर (दिवकी नर्सिंग होम के पीछे) में कुछ माह पूर्व मुहल्ले के थोड़े से भाग में नाली खड़न्जे का कार्य कराकर छोड़ दिया गया है, जिससे वहां और जल भराव कीचड़ आदि से मच्छरों का भयंकर प्रकोप हो गया है और वहां के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। निकलना कठिन है तथा बीमारियां फैलने की आशंका है।

अतः इस अविलम्बनीर्य लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से तत्काल नाली खड़न्जा लगवा कर मार्ग को ठीक कराये जाने हेतु शासन की मांग करता हूं।]

लखनऊ शहर क्ले स्क्वायर में 11 हजार के०वी० का अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हेड केबिल पेटी को अन्यत्र स्थापित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लखनऊ शहर के क्ले स्क्वायर मोहल्ले में 11 हजार के०वी० का अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हेड केबिल पेटी ऐसे स्थान पर बनायी गयी है जो रिहायसी मकानों से मात्र एक फिट की दूरी पर है। उक्त पेटी से 18 ट्रान्सफार्मरों का कनेक्शन है। यदि 18 ट्रान्सफार्मर में से किसी भी ट्रान्सफार्मर में खराबी होती है तो उक्त ओवर हेड केबिल पेटी में तार स्पार्क करके पास के मकानों की छतों बरामदों एवं आहातों में फैल जाते हैं जिसमें बिजली चलते रहने के कारण कभी भी भीषण दुर्घटना हो सकती है। तेज हवा व बरसात के समय आये दिन विस्फोट के साथ तार टूटते रहते हैं। पूरा इलाका दहशत में रहता है। इस सम्बन्ध में वहां के निवासियों द्वारा बार-बार उच्चाधिकारियों से लिखित/मौखिक अनुरोध किया गया कि उक्त 11 हजार वोल्ट्स की विद्युत पेटी को अन्यत्र स्थापित करा दिया जाय, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश की भिन्न-भिन्न नान बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा धनराशि की वापसी हेतु विशेष सक्षम न्यायालय का गठन सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कान्त एवं एम० ए० खान की खण्डपीठ द्वारा जुलाई, 2000 में फरार फाइनेंन्स कम्पनियों के बारे में प्रस्तुत याचिकाओं में आदेश देते हुए कहा गया है सरकार कानून बनायें और प्रदेश की भिन्नभिन्न नान बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा की धनराशि की वापस किये जाने हेतु स्पष्ट नियमावली बनाने, अध्यादेश जारी करने तथा निवेशकों की सुनवाई हेतु विशेष सक्षम न्यायालय का गठन राज्य सरकार करें जिससे निवेशकों के पैसे की वापसी सुनिश्चित हो सके ।

आज तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन नहीं किया गया है जिससे निवेशकों में भारी असन्तोष और क्रोश व्याप्त है ।

अतः इस गम्भीर प्रकरण की जांच कराकर तत्काल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का परिपालन सुनिश्चित किया जाय ।]

वाराणसी में करोड़ों रुपये की महंगी जमीन के अन्दर पड़ी सड़ रही केबिल की जांच तथा कार्यवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी में उपकेन्द्र स्तर पर आने वाली किसी बड़ी गड़बड़ी को दूर करने के दौरान नागरिकों के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध की कल्पना के अन्तर्गत यह निश्चय हुआ था कि सभी उपकेन्द्र एक दूसरे से भूमिगत केबिल द्वारा जोड़ दिये जायं ताकि यदि एक तरफ की लाइन में कोई खराबी आ जाय तो दूसरी ओर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके । तद्नुरूप व्यवस्था के अन्तर्गत वाराणसी शहर में विभिन्न स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए 11 के०वी० का लगभग 20 किमी० लम्बा भूमिगत केबिल तथा 33 के०वी० का लगभग 11 किमी० लम्बा भूमिगत केबिल बिछाया गया किन्तु बिछाने में आवश्यक सावधानी का अभाव और कुछ गुणवत्ता से समझौते के चलते तथा प्रबन्धन के अभाव के कारण उक्त केबिल बेकार और मिट्टी के नीचे अनुपयोगी पड़ा हुआ है ॥ केबिल में कोई भी खराबी आ जाने पर "केबिल फाल्ट डिटेक्टर" मशीन ऊंचे खर्च की अदायगी करके दिल्ली, कानपुर और लखनऊ की प्राइवेट कम्पनियों से मंगायी जाती हैं जबकि कुछ लाख रुपये व्यय करके मशीन को वाराणसी में रखा जाना चाहिए । उक्त प्रकार कई करोड़ रुपये की महंगी केबिल जमीन के नीचे बिल्कुल बेकार पड़ा है और सड़ रहा है जो कभी भी ऊर्जीकृत नहीं किया गया । उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराये जाने, करोड़ों रुपये व्यर्थ खर्च देने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को पत्र दिनांक 11-5-2000 को और उसके उपरान्त अनुस्मारक भी दिया गया, लेकिन कोई परिणाम की जानकारी नहीं हुई है । उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराया जाना आवश्यक है ।

अतः लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय के तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं जनता के धन की बरबादी के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित कराने की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद लखीम्पुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत सामान्य ग्राम तथा अम्बेडकर ग्राम के इन्दिरा आवासों के शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धन का गबन किये जाने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न तथ्य लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड नकहा के अन्तर्गत सामान्य ग्राम तथा अम्बेडकर ग्राम के इन्दिरा आवासों के शौचालय निर्माण कराये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी को लगभग एक लाख पचपन हजार रुपये का चेक जारी हुआ था । उक्त धनराशि से अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया है । प्रतीत होता है कि उक्त धनराशि का प्रयोग अवर अभियन्ता एवं खण्ड विकास अधिकारी ने स्वयं गबन कर ली है ।

अतः कृपया शासन द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्य निष्पादित करने एवं दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराने की कृपा करें ।]

जनपद पीलीभीत में धान के समर्थन मूल्य हेतु क्रय केन्द्र खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीतम राम–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में एक यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद–पीलीभीत में शासन द्वारा कोई भी क्रय केन्द्र समर्थन मूल्य (धान) का नहीं खोला गया है । इसलिए किसानों की खुली लूट हो रही है आधे दामों में बेचा जा रहा है । इसलिए सभी किसानों में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है । पूरे क्षेत्र में जनता आन्दोलित है । ट्रेन व रोड जाम लगातार शासन से मांग की जा रही है कि हमको समर्थन मूल्य दिया जाये ।

अस्तु मैं भी मांग करता हूं कि शासन क्रय केन्द्र खुलवाकर समर्थन मूल्य दिलाकर शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का कष्ट करें, जिससे जनता में व्याप्त आक्रोश शान्त हो सके ।]

मेरठ जिलान्तर्गत लोनी नगर पंचायत क्षेत्र बेहटा हाजीपुर घसेटी खुर्द आदि राजस्व गांवों में एल०एम० सी० भूमि चिन्हित कर उस भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मा० मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि लोनी नगर पंचायत क्षेत्र, बेहटा हाजीपुर घरोटी खुर्द, सादुल्लाबाद, लोनी देहात पाभी सादिकपुर, खानपुर जप्ती, नवादा आदि राजस्व गांवों में एल०एम०सी० भूमि चिन्हित कर उसे भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी । उस भूमि को चिन्हित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है । किन्तु अभी तक भू-माफियाओं के खिलाफ न तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गयी है न ही उक्त क्षेत्रों की भूमि पर सरकारी नियंत्रण किया गया है ।

आपसे निवेदन है कि आप सरकार तथा संबंधित विभाग को निर्देश देकर मा० मुख्य मंत्री की घोषणानुसार प्रभावी कार्यवाही के आदेश देने की कृपा करें जिससे भू-माफियाओं से उक्त भूमि छुड़वाकर

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए स्कूल अस्पताल व अन्य सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य करायें जा सकें।

जनपद रायबरेली के ग्राम पट्टी रहस कैथवल में चकबन्दी कार्य पूरा कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[महोदय, जनपद–रायबरेली की ग्राम–पट्टी रहस कैथवल का गजट 1982 में हुआ है, परन्तु अभी तक चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं कराया गया है। इस ग्राम में धारा 9 क 2 के अन्तर्गत काफी संख्या में विवाद लम्बित है, जो कि चकबन्दी अधिकारी स्तर पर ही विचाराधीन है। अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस ग्राम में काफी समय से किसी भी चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। बाकी सभी ग्राम की चकबन्दी 1976 के लगभग पूरी हो चुकी है। परन्तु ग्राम पट्टी रहस कैथवल की चकबन्दी का कार्य न होने के कारण यहां की जनता में काफी आक्रोश है तथा स्थिति विस्फोटक है। किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। यहां पूरे जिले में एक ही चकबन्दी अधिकारी है तथा सात तहसीलें हैं जिसके कारण भी चकबन्दी अधिकारी कहीं भी निश्चित समय से पहुंच नहीं पाते हैं। इससे यहां की जनता भी काफी दुखी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं]

जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम घमना में चकबन्दी कार्य पर रोक लगाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम घपना की कृषि भूमि पूरी तरह नदी, नालों से कटी-फटी है तथा चकबन्दी क्रियाएं किसी प्रकार नहीं हो सकती है तथा 90 प्रतिशत कृषक चकबन्दी क्रियाओं के विरुद्ध है। विगत करीब 7-8 वर्षों से शासन स्तर से चकबन्दी क्रियाओं पर रोक लगने से तथा कई मामले माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में भी लम्बित है तथा चकबन्दी अधिनियम की धारा (6) में चकबन्दी क्रियायें निरस्त करने हेतु शासन को आख्या उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी ने लिखा है, परन्तु चकबन्दी स्टाफ जो जनपद जालौन में तैनात है, मात्र इसलिये बीहड़ गांव में चकबन्दी क्रियायें कराने के प्रयास में है कि चकबन्दी का क्षेत्र न होने से उनका अन्य जनपद में स्थानान्तरण हो सकता है। इसलिये गलत मनगढ़न्त आख्या शासन को निरन्तर भेजी जा रही है। किसानों में घोर आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा में अधिवक्ता, पत्रकार एवं छायाकारों पर हुए अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, आपका ध्यान उ० प्र० के जनपद इटावा में अधिवक्ता, पत्रकार एवं छायाकारों पर हुए अत्याचारों के परिपेक्ष्य में आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि इटावा में अधिवक्ता एवं उसके सदस्यों

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की हत्या किये जाने के प्रकरण में वहां के अधिवक्ताओं द्वारा अंशिक रूप से अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करने पर पुलिस द्वारा उन पर बर्बर लाठी चार्ज कर उन्हें तथा पत्रकारों एवं छायाकारों को लहुलुहान करके लोकतंत्र की हत्या की गयी है मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अधिवक्तागण लोकतंत्र की रक्षा करने वालों की श्रेणी में आते हैं उन पर बर्बर लाठी चार्ज कर लोकतंत्र को अपमानित किया गया है इस प्रकरण में एक विचारणीय तथ्य यह है कि उक्त कृत्य ए०डी०एम० की उपस्थिति में उनके सामने पुलिस ने किया जिनको ए०डी०एम० द्वारा सहयोग देकर पद की गरिमा को भी चोट पहुंचायी गयी इस घटना से चातुर्दिक क्षतियां हुई हैं जैसा कि सरकार को करोड़ों रुपया राजस्व की हानि हुई है वादी प्रतिवादी गणों अधिवक्ताओं द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में लम्बी हड़ताल के कारण मानसिक शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा अधिवक्ताओं के सम्मुख रोजी रोटी की विकट समस्या भी उत्पन्न हुई न्यायिक प्रक्रिया पंगु होने से सम्बद्ध अधिकारी और कर्मचारियों के खाली रहने पर भी जनता की गाढ़ी कमाई को वेतन के रूप में दिया गया पर प्रदेश में अफरा-तफरी के कारण जमानती अभियुक्तों मामूली-मामूली धाराओं में जेल की हवा खानी पड़ी इन टकराव के लिए ए०डी०एम० और पुलिस जन इटावा सीधे रूप से उत्तरदायी है इसको ध्यान में रखते हुए वादी प्रतिवादी को क्षति पूर्ति देने के साथ अधिवक्ताओं को भी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से प्रदान की जाय यही जनतंत्र का सम्मान होगा जैसा कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जनता और कानून की रक्षा करने वाले अधिवक्ताओं से सम्बद्ध प्रकरण को ध्यान में रखते हुए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है जिससे चर्चा हो सके और अधिवक्ताओं को न्याय मिलकर दोषी ए० डी० एम० इटावा एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।]

उ० प्र० सचिवालय में दैनिक वेतन पद पर कार्यरत और निष्कासित श्री इन्द्रजीत को नौकरी में लिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

[मान्यवर, कृपया लोक महत्व पर आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि भूमिहीन पीड़ित प्रार्थी श्री इन्द्रजीत पुत्र श्री रामजी सिंह ने वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग के व्यवस्थाधिकारी नवीन भवन के स्टाफ में चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्यरत थे, इस पीड़ित प्रार्थी को निष्कासित कर दिया गया था, तभी से मा० मुख्य मंत्री जी तथा सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग की सेवा में पीड़ित प्रार्थी ने अपनी नितान्त दयनीय विषम पारिवारिक परिस्थितियों को दर्शाते हुये लगातार प्रार्थना-पत्र देकर पुनः रोजी-रोटी के लिए प्रार्थना करता चला आ रहा है इनकी नितान्त बदतर स्थिति पर मैंने तथा मा० विधायकगण ने संस्तुति सहित मा० मुख्य मंत्री जी सचिव सचिवालय, प्रशासन विभाग की सेवा में कईयों पत्र लिख चुके हैं जो पत्रावली सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 में 10 वर्ष से लम्बित चल रही है परन्तु 10 वर्ष का दिन व्यतीत हो गया इस पीड़ित प्रार्थी को अभी तक सेवायोजित नहीं किया गया जिससे आर्थिक दयनीय विषम बदतर स्थिति में पीड़ित प्रार्थी वृद्ध माता-पिता परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। पीड़ित प्रार्थी का छोटा भाई जो उक्त नितान्त दयनीय विषम स्थिति में मौत का शिकार भी हो गया है। पीड़ित प्रार्थी अब ओवर ऐज भी होने जा रहा है।

मान्यवर, पीड़ित प्रार्थी के प्रकरण 10 वर्ष से लम्बित अवधि व्यतीत होने के बाद सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–4 पत्र सं० एमएम–31/ई–4–99, 15/वि०/95 टीसीए दि० 17 जून, 2000 द्वारा कुण्ठित पत्र जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है, जबकि पीड़ित ओवरऐज होने जा रहा है। पीड़ित

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रार्थी ग्राम–करहकोल, पो० तिघरा खैरवा, तह०–रूद्रपुर जनपद–देवरिया के पिछड़ी जाति कुर्मी भूमिहीन बाढ़ग्रस्त तबाहहित गोर्रा नदी व राप्ती नदी के बीच दोआबा का है, जो अभी गत वर्ष 98 व 2000 में आयी भयंकर एवं भीषण प्रलयकारी बाढ़ से पूर्णरूप से प्रकोपित हो गया है ।

मान्यवर, इतने लम्बे समय 10 वर्ष से चले आ रहे इस पीड़ित प्रार्थी की दयनीय विषम जटिल प्रकरण की स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके रोजी रोटी में सेवायोजित उपकार किये जाने की कार्यवाही अमल में लाया जाना परम आवश्यक है ।

कृपया माननीय कृपा दृष्टि रखते हुए सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–4 में वर्ष 1991 दस वर्ष से लम्बित पत्रावली पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस पीड़ित प्रार्थी को चतुर्थ श्रेणी के पद पर मानवीय अनुकम्पा के आधार पर रोजी-रोटी में समायोजित किये जाने हेतु सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

छटनी शुदा श्रीराम जी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम को नौकरी में लिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरुण प्रताप सिंह–

[महोदय, कृपया लोक महत्व पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम छटनी शुदा कर्मचारियों के समयोजन संबंधी शासनादेश संख्या–7709/77-5-99-54 (डब्लू) टी०सी० दिनांक 30-12-99 के क्रम में आयुक्त व्यापार-कर पत्र संख्या–स्था–6 छटनी शुदा–34 व्यापार कर दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के द्वारा बायोडाटा मांगा गया था के अनुपालन में छटनीशुदा श्रीराम जी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बायोडाटा के साथ संलग्न कर दि० 17-8-2000 को व्यापार कर विभाग लखनऊ में जमा कर दिया गया था इसी क्रम में मा० संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री जी के पत्र संख्या 2088/टी०टी०एम०/2000, दि० 4-9-2000 आयुक्त व्यापार कर मा० राज्य मंत्री जी औद्योगिक विकास सम्बद्ध मा० मुख्य मंत्री जी के पत्र संख्या 1224/वी०आई०पी०/सामान्य/औ०वि०/2000 आयुक्त व्यापार कर दि० 2-9-2000 माननीय मुख्य मंत्री जी के जनता दर्शन के पत्र संख्या-लख-6872/सीएम–2/2000 आयुक्त व्यापार कर दि० 7-9-2000 सचिव औद्योगिक विकास विभाग के पत्र संख्या–215/एस०आई०डी०/10/2000 आयुक्त व्यापार कर दि० 19-8-2000 के द्वारा इस पीड़ित प्रार्थी को समायोजित किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है परन्तु अभी तक समायोजित नहीं किया गया जिससे परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं ।

अतः इस पीड़ित प्रार्थी की पारिवारिक जीविकोपार्जन की विषम परिस्थितियों को मानवीय कृपा दृष्टि में रखकर पारित आदेशों का क्रियान्वयन कराकर अविलम्ब समायोजित किए जाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद चित्रकूट में कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु राज्य योजना के धन स्वीकृत किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[महोदय, जनपद चित्रकूट एक पिछड़ा हुआ जनपद है । इस जनपद में संपर्क मार्गों का नितान्त अभाव है । संपर्क मार्गों के अभाव से दस्यु दलों का आतंक कायम है । दि० 14-10-2000 को ग्राम लपांव थाना बरगढ़ में एक दस्यु गिरोह ने छः लोगों का अपहरण करने के पश्चात् तीन लोगों की निर्मम

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हत्या कर दी पुलिस को अपहरण की सूचना दी गयी थी परन्तु संपर्क मार्ग न होने के कारण खराब रास्ते से जब तक पुलिस पहुंची तब तक तीन लोगों की हत्या की जा चुकी थी ।

इसी प्रकार ग्राम औझर, नीबी, परदवा, खौहर कटैया–डाड़ी सिरावल माफी, कटैया–खादर, चौकर सिकारो–सखौहा, रुकना खुर्द, कैलहा, गौरिया, रामपुर, तिसौहा–सकरौहा, चमरौहा, रानीपुर, कल्यानगढ़, कोटा–कंदैला ऐसे ग्राम हैं जो सम्पर्क मार्गों से पांच किमी० दूर है उपरोक्त ग्रामों में एक हजार से अधिक जनसंख्या प्रत्येक में है । इस प्रकार जनपद चित्रकूट की एक बहुत बड़ी लगभग एक चौथाई आबादी विकास से वंचित है ।

अतः उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु राज्य योजना से धन स्वीकृत करने अथवा चित्रकूट जनपद में जिला योजना में दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें ।]

आजमगढ़ में जर्जर जिला चिकित्सालय भवन की मरम्मत कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[महोदय, उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के संदर्भ में बताना है कि आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय का भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है पूरी-पूरी छत इस वर्षा ऋतु में टपक रही थी । प्लास्टर उखड़ गये हैं । वार्ड में जहां मरीज अच्छा होने के कारण भर्ती होते हैं वहां हमेशा छत गिरने का खतरा बना रहता है । बरामदों से पानी टपकता है । जगह-जगह सीमेन्ट प्लास्टर उखड़ गया है आते-जाते लोगों के सिर पर प्लास्टर उखड़ कर गिर जाता है । खिड़कियों के शीशे भी टूट गये हैं । जिससे आगे जाड़े में मरीजों को सर्द हवायें लगेंगी जिसका कोई उपाय नहीं है । इस प्रकार मरीज एवं उनके साथ आये आगन्तुक हमेशा असुरक्षित रहते हैं । अभी हाल में ही आजमगढ़ में विद्यालय की छत पर गिर जाने से विद्यार्थियों की "मौत का हादसा" हो चुका है । आजमगढ़ सदर अस्पताल में यह हादसा कभी हो सकता है । अस्पताल भी पुराना हो गया है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि संबंधित विभाग को इस बारे में निर्देशित किया जाय जिससे किसी हादसे से बचा जा सके ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में जहांगीर क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ से प्रभावित जनों को आवास व्यवस्था एवं सड़कों की मरम्मत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से किसान, मजबूर, व्यापारी का विशेष नुकसान हुआ है इस अतिवृष्टि एवं बाढ़ से मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत लेहुआडीह से लेकर सरफुद्दीनपुर चहोड़ा घाट पर धारा के जोरों कटान से त्राहि-त्राहि मची है । चहोड़ा घाट बसे लोग घर छोड़कर हट चुके हैं । ऐसी स्थिति में उन्हें बसाने के लिए भूमि की व्यवस्था करायी जाय इन सब के खेतों घरों की रक्षा के लिए बंधे की व्यवस्था की जाय तथा चहोड़ा घाट से लेकर अराजी देकरी तथा प्रति वर्ष बाढ़ की स्थिति बनी रहती है इससे निपटने के लिए कोई ठोस उपाय करायी जाय जिससे किनारे बसे किसानों को राहत की सांस

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिल सके। साथ ही साथ तत्काल [illegible] घाघरा नदी के कटान से गिरकर नदी में चले गये उनके इन्दिरा आवास तथा 2 बिसवा जमीन उपलब्ध कराकर बनवाया जाय और जिनके अतिवृष्टि से मकान गिर कर ध्वस्त हो गये हैं उनको भी आवास की व्यवस्था की जाय।

आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा आवास की सं० 5 से लेकर 10 हजार रुपये तक है लेकिन मेरे जनपद अम्बेडकर नगर में केवल 850 ही इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध है मैं आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 8000/– हजार इन्दिरा आवास की संस्तुति प्रदान प्रतिवर्ष के लिए कराये। जिससे हर गरीब परिवार को आवास की सुविधा मिल सके। इतना ही नहीं मेरे विधान सभा जहांगीरगंज, अम्बेडकर के अन्तर्गत आने वाली [illegible] रोड की सड़कें खराब क्षतिग्रस्त ही हैं जगह-जगह गड्ढा, उबड़ खाबड़ बसखारी से राजेसुल्तानपुर का तथा महराजगंज तक चौड़ी न होने के कारण आये दिन एक्सीडेन्ट होना आदि समस्या बनी हुई है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त व्यवस्था के समाधान के लिए सदन की कार्यवाही रोककर इस लोक महत्व के प्रश्न पर एक घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर में इन्दिरा आवास के आवंटन में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरवर अली–

[महोदय, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर में 1998-99 व 99-2000 में निर्बल वर्ग तथा इन्दिरा आवासों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी तथा 3000 से 10,000 रुपये लेकर अधिकांश तौर से अपात्र लोगों को आवंटित किये गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में प्रशासन द्वारा खुली लूट से भारी रोष व्याप्त है जिसके विरुद्ध काफी लिखा पढ़ी की गई परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जांच कर दण्डित किया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे शासकीय धन के दुरुपयोग पर रोक लग सके।

इस आवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

राजकीय आयुर्वेदिक लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीरे अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जांच की कार्यवाही लम्बित है। इसके पूर्व मुक्त प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, जनपद–बांदा में थे। अतर्रा के कार्यकाल की जांच चल रही है। परन्तु शासनादेश संख्या–380 एम (1)171-2-2000 (टी०सी०) दि० 1 मई, 2000 का उल्लंघन कर तत्कालीन प्रभारी निदेशक द्वारा प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण करा दिया गया। यह नितान्त अवैधानिक है। शासनादेश के अनुसार रा० आ० का० लखनऊ में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षक को जिसके विरुद्ध कोई जांच लम्बित न हो, को प्रधानाचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कराना चाहिये।

इससे राजकीय आ० कालेज के शिक्षकों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस प्रकरण की जांच कराकर तत्काल उचित कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला पंचायत जौनपुर को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रदान करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के नगर क्षेत्र केराकत स्थित नार्मल स्कूल की जमीन जो लगभग 1.00 करोड़ की है। नार्मल स्कूल टूटने के बाद वह जमीन जिला पंचायत जौनपुर की हो गयी थी। तत्कालीन अध्यक्ष जिला पंचायत जौनपुर द्वारा 14-09-1997 के प्रस्ताव द्वारा फर्जी तरीके से पं० दीन दयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थान समिति केराकत को 90 वर्ष के पट्टे पर अनुबंध कर दिया गया। वहीं पर समिति द्वारा कन्या विद्यालय खोलने के संबंध में, जिलाधिकारी/प्रशासक जिला पंचायत जौनपुर ने अपने पत्र सं० 604/2000-2001 दिनांक 2 अगस्त, 2000 द्वारा सचिव पंचायतीराज को विस्तृत आख्या भेजकर जनहित में पट्टे को निरस्त करने की अपेक्षा की है। इसमें कई करोड़ की सम्पत्ति हड़पने की साजिश है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सम्पूर्ण प्रकरण की संतर्कता जांच कराने तथा पट्टे को निरस्त करके जिला पंचायत जौनपुर को सम्पत्ति का स्वामित्व प्रदान करने की मांग करता हूं।

जनपद बलरामपुर में बाढ़ रोकने हेतु क्षतिग्रस्त बान्धों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[मान्यवर, जनपद बलरामपुर में जो बान्ध डी०आर०डी० के धन से बाढ़ को रोकने के लिए पिछले वर्षों में बांधे गये थे इस वर्ष की भीषण बाढ़ से कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिसके कारण हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गई वहीं हजारों घर गिर गये व कई व्यक्तियों की जाने चली गई बहुत से जानवर भी मर गये हैं इसमें कुछ बांध पिछले कई वर्षों से कट गये थे जिसके बारे में कई बार शासन की जानकारी दी गई कुछ बांधों की जांच बाढ़ विभाग करके टी०ए०सी० द्वारा स्वीकृत भी कराया था जो योजना टी०ए०सी० द्वारा स्वीकृत हुई थी। (1) बेलहा कटान निरोधक (2) टेडवा (3) कटरा शकर नगर (4) करमाहना बांध (5) बलरामपुर नगर सुरक्षा योजना लेकिन धन उपलब्ध न होने के कारण इस पर कार्य नहीं हो सका यदि समय से इस पर कार्य हो गया होता तो करोड़ों रुपये बरबादी बाढ़ के कारण हुई है उसे बचाया जा सकता था इस वर्ष की बाढ़ से जो बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं उसमें बूढ़ी राप्ती पर बरगधा बांध पिपरी हिया, जपनी बांध व फरुहवा बांध अथवा विकास खण्ड पचपेड़वा व कटैहा नाले पर सोनपुर चहत्तर खुर्द मोतीपुर कुडहा विकास खण्ड गैसड़ी राप्ती नदी पर कुसहवा, रजवापुर, बलरामपुर विकास खण्ड आदि हैं यदि इस पर थोड़ा बहुत रिपेरिंग का कार्य करा दिया जाये तो आगे भविष्य में जान-माल की हानि से लोगों को बचाया जा सकता है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि बाढ़ के बाद जो करोड़ों रुपये का खर्च किया जाता है लोगों को जो बाढ़ से परेशानी व हानि उठानी पड़ती है उसको दूर नहीं किया जा सकता यदि थोड़ा से धन से इन बांधों को मरम्मत करा दी जाय तो लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है आपसे अनुरोध है कि इन योजनाओं पर धन उपलब्ध कराके कार्य कंराने की कृपा करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के महाविद्यालय में वरीयता वर्षों के सृजन की मांग के संबंध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, उपरोक्त विद्यालय पिछड़े में मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित है ॥ छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य चल रहा है, किन्तु चतुर्थ श्रेणियों के कुछ कार्मियों के लिए जिसमें विशेष रूप से एक माली, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 2 स्वीपर, एक चौकीदार पद के लिए पद सृजन आवश्यक है । मैंने महाविद्यालय, राज्यपाल महोदय, मा० मुख्य मंत्री, मा० उच्च शिक्षा मंत्री, मा० वित्त मंत्री आदि से कई बार पत्र लिखा एवं मिलकर भी निवेदन किया लोक हित में अभी तक पद सृजन नहीं हो सका ॥ जिसकी नितान्त आवश्यकता है ।

अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार अविलम्ब लोक हित में महाविद्यालय में उपरोक्त पद सृजन करें ।]

प्रदेश में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

प्रदेश में राजकीय कर्मियों को विनियोग किये जाने के संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी होते हैं जिसमें कर्मचारियों की कल्याण की अवधारणा मुख्य रूप से होती है ॥ इसी प्रकार से सभी विभाग अपने अधीन कर्मियों का विनियमितीकरण कर उन्हें सुरक्षा का अहसास कराते हैं ॥ समूह "ग" के पदों पर तैनात कर्मियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली शासनादेश संख्या–27/1/97–का–2–1998 दि० 9 जुलाई, 98 जारी किया गया है । इसमें प्रस्तर–4 के उपनियम (III) में प्राविधानित है कि जो कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के पद पर राज्याधीन सेवा में 29 जून, 91 से पूर्व सीधे नियुक्त किया गया हो और इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को उस रूप में निरन्तर सेवारत हो वह विनियमितीकरण का पात्र होगा ।

प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दैनिक वेतन पर कार्यरत अनुदेशकों को उक्त शासनादेश में निरन्तर सेवा का उल्लेख होने के कारण विनियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि सभी अनुदेशक स्थायी स्वीकृत पदों (अनुमन्य) के स्थान पर ही कार्यरत हैं ॥ शिक्षण सत्र के प्रारम्भ एवं समाप्ति के अनुरूप ही उनकी सेवायें संचालित होती हैं ॥ इसमें अनुदेशकों की सेवा की निरन्तरता स्वयं उनके द्वारा भंग न होकर उनके सेवायोजकों द्वारा हुयी है ॥ चूंकि उक्त अनुदेशकों की सेवायें लगभग 13-14 वर्षों की हो चुकी है और वह शासकीय सेवा की निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं तथा उनको निरन्तर सेवा में विनियमित किये जाने पर कोई अतिरिक्त व्ययभार भी नहीं होगा, अतः यह जनहित में उचित होगा कि प्रदेश में अनुदेशकों के लगभग 1000 रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण नियमावली–9 जुलाई, 1998 के प्रस्तर–4 के उपविषय (I) में उल्लिखित निरन्तर बिन्दू में छूट प्रदान कर 29 जून, 91 से पूर्व नियुक्त तथा शासनादेश जारी होने की दिनांक को कार्यरत प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी अनुदेशकों को निरन्तर सेवा की स्थिति के समान मानते हुए उन्हें विनियमित किये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का अनुग्रह करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लेसा के अन्तर्गत कार्यरत वर्तमान उप महाप्रबन्धक मण्डल तृतीय द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न किये जाने के सरकार के भांति के तहत नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कोविद कुमार सिंह–

[मान्यवर, प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में सरकार के भांति के तहत अनुभवी एवं कर्म० अधिकारियों की संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के बावजूद अंधेरा जैसा दृश्य मननीय प्रधान मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है।

लेसा के अन्तर्गत कार्यरत वर्तमान उप महाप्रबन्धक मण्डल तृतीय द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन न किये जाने की ओर आदरणीय ध्यान आकर्षित करूंगा। लेसा में कार्यरत एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच का दायित्व इन्हें सौंपा गया था। इस जांच की आख्या 14 अनुस्मारकों के भेजे जाने के बाद प्रस्तुत करने पर माननीय ऊर्जा मंत्री ने गंभीर रुख अपनाते हुये पत्र सं०–2114–वी०आई०पी०–99 दि० 5-7-99 द्वारा इन उप महाप्रबन्धक को जांच में विलम्ब के लिये तत्काल प्रभाव से निलम्बन आदेश जारी किये थे। माननीय ऊर्जा मंत्री के आदेश का पत्रांक 2424–पी–2 दि० 29-7-99 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया परन्तु इस पहुंच वाले अधिकारी ने इन आदेशों की दर किनार करते हुए कार्यवाही नहीं होने दी। तत्पश्चात् विद्युत परिषद् ने पत्रांक–3450–शि०जां०–05द०/वि०प०/99 दि० 28-9-99 द्वारा स्पष्टीकरण जांच में विलम्ब हेतु मांगा गया परन्तु इस अधिकारी ने स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा और यह मामला विधान सभा के पिछले सत्र में दि० 12-5-2000 को नियम–51 के अन्तर्गत उठाया गया तब पुनः मा० ऊर्जा मंत्री जी ने जांच विलम्ब में मांगे गये स्पष्टीकरण का अन्तिम अवसर 15 दिन का पुनः प्रदान किया। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दि० 30-5-2000 को पावर कारपोरेशन को प्रस्तुत किया जिन्हें पावर कारपोरेशन ने परीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुये जांच में विलम्ब के लिये इस अधिकारी को दोषी पाया और दण्ड स्वरूप पत्रांक 1665–शि०जां०–05द–2000 दि० 1-7-2000 द्वारा इन्हें मात्र निन्दा प्रविष्टि देकर मामले को समाप्त कर दिया।

अब से अनुपालन सुनिश्चित करने में माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अपने आदेश सं०–2114–वी०आई०पी०–99 दि० 5-7-99 का अनुपालन न करने के अधिकारी को दोषी पाया जा चुका है, सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा साथ ही प्रदेश की राजधानी एवं प्रधानमंत्री के अतिसंवेदनशील क्षेत्र में ऐसे अक्षम्य अर्कमण्य तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले उक्त अधिकारी को संवेदनशील पद पर बनाये रखना विभागहित में क्या उचित है? बेहतर होगा कि ऐसे अधिकारी को भविष्य में कभी संवेदनशील पद (प्रबन्धन) न भेजा जाये जिससे सैकड़ों कर्मचारियों के उत्पीड़न पर रोक लगाने के साथ ही सरकार की योजनाओं का गतिशील क्रियान्वयन हो सके।]

श्रावस्ती जनपद के ग्राम सभा श्रीनगर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमल कुमार यादव–

[मान्यवर, श्रावस्ती जनपद के ग्राम सभा श्रीनगर को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये ग्राम वासियों द्वारा लगातार जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता रहा है परन्तु ग्राम सभा श्रीनगर को अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से एक विस्तृत व्यवस्था की मांग करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर (पडरौना) में कप्तानगंज तथा खड्डा दो नये तहसीलों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप लाल भारती–

[महोदय, वर्ष 1993-94 में जनपद कुशीनगर (पडरौना) का सृजन हुआ तथा तभी तो दो नये तहसील बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया क्योंकि नये जिलों में नये तहसील आवश्यकता तथा भौगोलिक स्थित के अनुसार कप्तानगंज तथा खड्डा को तहसील बनाया जाय इसके लिए दिसम्बर, 99 से 11-10-2000 तक तीन-चार बैठकें डी०एम०/ए०डी०एम० कुशीनगर द्वारा नये तहसील के औचित्य एवं सीमांकन आदि पर विस्तार हेतु ओकार वाटिका पडरौना में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में हुई तथा अंतिम बैठक 11-10-2000 में कोरम पूरा करते हुए सर्वसम्मत से तय पाया गया कि जनपद कुशीनगर में दो नये तहसील कप्तानगंज व खड्डा को तहसील बनाने की समस्त औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं तथा अब अस्थाई तौर पर विकास खण्ड कप्तानगंज के पास सिंचाई विभाग का एक कालोनी कप्तानगंज के लिए तथा केनयूनियम खड्डा के खाली आवासों का उपयोग तत्काल अस्थाई तौर पर अधिग्रहीत कराया जाय इससे स्थानीय जनता को समय व धन की बचत होगी इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी 17-9-2000 को अपने पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम०–37493/कुशीनगर/2000 के तहत प्रमुख सचिव/समि० राजस्व एवं आपदा को भी निर्देश दिया है ।

अतएव ऐसे लोकहित के ज्वलन्त प्रकरण को उठाकर सरकार से मांग करता हूं कि जनपद कुशीनगर में दो नये तहसील कप्तानगंज व खड्डा को तुरन्त स्वीकृति देकर अस्थाई कार्यालय बनाने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर दिया जाए ।]

जनपद सुल्तानपुर में किसान सेवा केन्द्र द्वारा किसानों को घटिया किस्म के बीज उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, किसानों को संशोधित उत्तम व उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराने हेतु सरकारी संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संस्थायें जगह-जगह किसान सेवा केन्द्र चला कर खाद बीज उपलब्ध कराये जाते हैं । इसी क्रम में जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज में इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर लि० जगदीशपुर के द्वारा एक किसान सेवा केन्द्र भी चलाया जाता है । जिसके द्वारा विगत रबी में सैकड़ों किसानों को गेहूं का सील बन्द गेहूं बीज नगद मूल्य पर बेंचे गये थे ।

श्रीमन्, ये बीज जब घटिया किस्म के थे वहीं नहीं नकली ब्राण्ड के होने से सैकड़ों किसानों की बीज जमीन में जगा ही नहीं है किसान को भारी नुकसान उठाना वही दुबारा बीज को खरीदने और बोने से फसल लेट हो गई तथा कतई पैदावार भी नहीं हुई । इस घटिया लाट की शिकायत के बाद भी कोई संज्ञान न लेने से एक किसान राजाराम उर्फ राजा ग्राम पूर वाराणसी ने 8 दिसम्बर, 99 को एक क्लेम किया था जिसमें उन्हें कुछ बीज का भुगतान करके शान्तकर दिया गया शेष किसानों को कोई खोज खबर न लेने से किसानों में भारी रोष है ।

अतः सदन के माध्यम से इन किसान सेवा केन्द्र द्वारा बेचे गये बीज किसानों को सत्यापन कराकर उनमें खराब बीज की भरवाई कराई जाय तथा कृषि विभाग को निर्देशित किया जाय कि किसानों के साथ हो रहे ऐसे धोखा-धड़ी पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश करें ।]

रायबरेली रोड स्थित शारदानगर योजनान्तर्गत रजनी खण्ड के सेक्टर–3 में सीवर लाइनें व चैम्बर्स ठीक कराये जाने तथा उसमें वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड स्थित शारदानगर योजना के अन्तर्गत रजनीखण्ड के सेक्टर–3 में प्राधिकरण द्वारा सेन्ट अन्ना स्कूल के पूर्वी ओर स्थित भूखण्डों (संख्या–डी–3/245 व 246, डी–3/176 से डी–3/189 तक) (तथा पार्क के चारों ओर) के सामने सीवर लाइन नहीं बिछायी गयी है और न ही चैम्बर्स का निर्माण ही कराया गया है । बहुत बार अनुरोध करने पर भूखण्ड संख्या–डी०–3/227 से लेकर डी/3/244 तक सीवर चैम्बर्स का निर्माण कराया गया परन्तु उन्हें ढका नहीं गया जिससे उनमें बच्चों के गिरने की आशंका हमेशा बनी रहती है । ज्ञात हुआ है कि समस्त कार्य का भुगतान प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा बिना कार्य कराये ही निकाल लिया गया है और सरकारी धन का भयंकर अपव्यय किया गया है । उक्त खण्ड में सीवर व्यवस्था सही न होने के कारण रजनीखण्ड के सेक्टर–3 (स्कूल के पूर्वी ओर) की जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए शारदानगर योजना के रजनीखण्ड के सेक्टर–3 में सीवर लाइनें व चैम्बर्स ठीक कराये जाने तथा की गयी वित्तीय अनियमितता व गुणवत्ता की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने की मांग करता हूं ।]

शारदा सहायक समावेश परियोजना जवाहर भवन लखनऊ में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक श्री वी०के० शुक्ल के विरुद्ध शिकायत की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उबैदुर्रहमान–

[मान्यवर, उपरोक्त विषयक प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि वर्तमान समय में शारदा सहायक समावेश परियोजना जवाहर भवन लखनऊ में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक वी०के० शुक्ल के विरुद्ध शिकायत की जांच हेतु दिनांक 13-2-98 के पत्र पर सी०एफ०ए० ने माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर जांच के आरोप सही पाये गये जांच निष्कर्ष में लिखा गया कि श्री वी०के० शुक्ल की कार्यशैली सकारात्मक न होकर नकारात्मक है । इसी क्रम में श्री शुक्ल के विरुद्ध शासन के पत्र सं०–वी०/54/1-8(16)95 दि० 3-3-95 व उनके कार्य से पृथक करने का आदेश तत्कालीन आयुक्त ने दिया है श्री ओ०पी० चतुर्वेदी अपर कृषि निदेशक ने शुक्ल के विरुद्ध 4-7-92 को लिखा कि शिकायतें सही है इनके विरुद्ध अनुशासकीय कार्यवाही जांच की जायें इसी क्रम में श्री ओ०पी० बाजपेयी संयुक्त सचिव ने 12 अप्रैल, 1993 में श्री शुक्ल के विरुद्ध तत्कालीन सचिव क्षेत्रीय विकास ने अपने पत्रांक सं०–2303/54–1–8 (16) 9 दिनांक 21 मई, 93 में लिखा कि वी०के० शुक्ल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाय । इसी क्रम में श्री धर्मपाल सिंह विशेष सचिव उ० प्र० शासन ने तत्कालीन आयुक्त को अपने पत्र सं०–8 बी/54-1-8(16)91 दिनांक 3 मई, 1995 में लिखा है कि इन्हें वर्तमान तैनाती से हटा दिया जाये और कार्मिक अनुभाग का कोई भी कार्य न लिया जाये इसके साथ ही साथ पुनः दि० 7-1-2000 पत्र सं० क–2-226679 के माध्यम से पुनः जांच की मांग की गयी परन्तु जांच अधिकारी श्री देव प्रताप सिंह अनु सचिव क्षेत्रीय विकास द्वारा व्यक्तिगत लाभ के कारण जांच को सही दिशा प्रदान नहीं की ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव उपरोक्त गंभीर विषयक प्रकरण को नियम–301 के अन्तर्गत उठाने की मांग करता हूं तथा भ्रष्ट कार्यालय अधीक्षक वी०के० शुक्ल को निलम्बित करने की मांग करता हूं ।]

सिंचाई विभाग द्वारा अपनी रिंग मशीनों से कृषकों का नलकूप न बनाकर किराये की मशीनों से कराये जाने की जांच तथा निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिजेन्द्र आर्य–

[महोदय, उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग के मंत्रालय के अधीन भू-गर्भ जल विभाग में कार्यरत तीनों यांत्रिक खण्ड पूरे उत्तर प्रदेश के खारे पानी वाले जनपदों, पठारी क्षेत्रों तथा प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों के खेतों की सिंचाई हेतु तथा प्रदेश एवं भारत सरकार के उपक्रमों एवं संस्थाओं हेतु पेयजल की व्यवस्था का कार्य करते हैं । इनके द्वारा वर्ष 1995 से लेकर वर्ष 2000 तक लगभग 3000 से भी ज्यादा सफर गहरे नलकूपों का निर्माण करवाया गया है । जिनकी बेसिक डाटा रिपोर्ट प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, संबंधित विभागों एवं शासन में भी प्रति वर्ष भेजी जाती रही है । विभाग में उपलब्ध उपकरणों, रिंग मशीनों आदि के रख-रखाव हेतु विगत वर्ष 1985 से सन् 2000 तक एक रुपया का भी आवंटन शासन द्वारा नहीं दिया गया है ? जबकि इसके विपरीत प्रति वर्ष लघु सिंचाई विभाग की रिंग मशीनों की मरम्मत हेतु करोड़ों रुपये का आवंटन किया गया है, वहां लघु सिंचाई विभाग द्वारा ज्यादातर अपनी रिंग मशीनों से कृषकों के नलकूप न बनाकर ठेकेदारों की रिंग मशीनों को किराये पर लेकर वर्ष 1990 से लेकर 2000 तक नलकूप बनवाये गये हैं जिसमें आधे से ज्यादा असफल घोषित कर किसानों को मिलने वाली करोड़ों रुपये की सब्सिडी मिलकर बांट ली गयी है । इसके विपरीत भूगर्भ जल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को बिना किसी जांच पड़ताल एवं आरोप के निलम्बित कर दिया गया है । इस प्रकार प्रदेश के जरूरतमंद किसानों को मिलने वाला लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है । किसानों में भयंकर असन्तोष एवं कुण्ठा व्याप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों/अधिकारियों को तत्काल बहाल कर इस प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से कराई जाय जिससे किसानों एवं प्रदेश की जनता को वास्तविक लाभ मिल सके ।]

कानपुर देहात के ग्राम पिपरी में अराजी नं० 80 तथा संलग्न भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजाराम पाल–

[मान्यवर, अवगत कराना है कि ग्राम–पिपरी, पोस्ट अमरौधा परगना व थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात अनु० जाति बाहुल्य गांव है । यह लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आराजी नं० 80 व उससे संलग्न भूमि में पीढ़ी दर पीढ़ी से उसे जानवर बांधने, उपले पाथने, खलिहान रखने व घूरा डालने के उपयोग में लाते रहे हैं । यह गांव अब कस्बे का रूप ग्रहण कर रहा है । अतः यह भूमि अब व्यवसायिक हो गयी है । इस भूमि को गांव के दबंग, सरकस, तिकड़मी व जालसाज व्यक्ति सुरेश चन्द्र उर्फ रमाकान्त पुत्र स्व० हरनारायण दीक्षित (ग्रामवासी) आदि ने अपनी दबंगयी के बल पर दलित बन्धुओं से छीन ली है तथा वर्ष 1967 का जाली पट्टा बनाकर माननीय सिविल जज (वरिष्ठ वर्ग) कानपुर देहात में मु०नं० 186/2000 दायर कर इस भूमि पर कानूनी मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास कर रहा है । जिससे दलित बन्धुओं में क्षोभ, रोष, निराशा, भय व चिन्ता व्याप्त है । प्रतिरोध करने पर सामूहिक हत्याकाण्ड संभावित है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान तुरन्त आकृष्ट किए जाने की आवश्यकता है।]

जनपद फतेहपुर में वन विभाग द्वारा मनमानी करने तथा लकड़ियों के विक्रय में घपले की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, मैं आपको कृपा पूर्ण अनुमति से नियम–301 के अन्तर्गत सम्मानित सदन के संज्ञान में लाने हेतु अति लोक महत्व के प्रश्न से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, जनपद–फतेहपुर के मध्य से भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डामर मार्ग जी०टी० रोड निकलता है । जिसके दोनों तरफ जनता की सुविधा एवं छाया हेतु कीमती और फलदार वृक्ष लगे है । जी०टी० रोड को चौड़ा कराने हेतु वृक्ष निगम फतेहपुर मण्डल इलाहाबाद द्वारा काटे जा रहे हैं । फतेहपुर के पूर्व जी०टी० रोड के किनारे बिलन्हा ग्राम में लकड़ी का डिपो बनाया गया है अधिकारी एवं कर्मचारी चारों ओर से अपने चहेते ठेकेदार को कीमती लकड़ी नीलाम कर देते हैं । जिसका कोई इस्तदार जिसमें किसी समाचार-पत्र में न ही किया जाता है । लकड़ी डिपो में नहीं लायी जाती है । फील्ड में ही ट्रकों पर लादकर बड़े शहरों में बेच दिया जाता है । फील्ड में ही ट्रकों में लगे अधिकारी निगम फर्मों से नीलामी से ज्यादा लकड़ी ट्रकों में लदवा देते हैं । बदले में ठेकेदार से अलग से धन राशि वसूलते है जिसमें सरकारी धन सरकार के खजाने में नहीं आ पाता है.। उल्टे अधिकारियों के जेब में चला जाता है । मैंने इस संबंध में जिलाधिकारी फतेहपुर से शिकायत किया है लेकिन अभी तक कोई सक्षम कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने वृक्ष काटे गये हैं । उनके स्थान एवं जुड़े अभी मौजूद है तथा डी०एफ०ओ० फतेहपुर द्वारा वन निगम को जितने पेड हस्तान्तरित किये गये हैं उनकी दस्तावेज मौजूद है इसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी सचिव स्तर से करायी जाये जिसमें सरकार के राजस्व की सुरक्षा की जा सके तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया जा सके ।]

बदायूं की नगर पालिका परिषद् विल्सी के उपाध्यक्ष का चुनाव जानबूझ करके स्थगित करने की जांच कराने तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, बदायूं जनपद की नगर पालिका परिषद् विल्सी के उपाध्यक्ष का चुनाव शासन के निर्णय के अनुसार दि० 5-10-2000 को अपर जिला जज सिविल (जूनियर डिवीजन) सहसवान श्री चन्द्रपाल सिंह की अध्यक्षता में धारा 54 (क) नगर पालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत नियुक्ति की गई, किन्तु श्री चन्द्रपाल सिंह सिविल जज का बुलन्दशहर स्थानान्तरण हो जाने के कारण उन्होंने दि० 4-10-2000 को कार्यभार छोड़ने के कारण बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी और इसकी सूचना उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निकाय) बदायूं को भिजवा दी थी, किन्तु श्री शान्ति स्वरूप शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने श्री चन्द्रपाल सिंह का पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् विल्सी से षड़यंत्र करके दवा दिया और 9-10-2000 को फिर से बैठक की सूचना का एजेण्डा जिलाधिकारी बदायूं से जारी करा दिया । जब इस पूर्व का एजेण्डा निर्वाचन कार्यालय ने जानबूझ कर गलती करके अवैधानिक रूप से अधिशासी अधिकारी से हस्ताक्षरों से जारी कराया था और दि० 7-10-2000 को अध्यक्ष नगर पालिका के प्रतिवेदन जो कि दि० 5-10-2000 का जिलाधिकारी बदायूं को संबोधित था, पर श्री चन्द्रपाल सिंह से लिखित लिया कि वह दिनांक 9-10-2000 की बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ है जब यह 4-10-2000 को ही कार्य छोड़ चुके थे और यह तथाकथित पत्र भी शर्मा एवं गुप्ता ने दवाएं रखा और उन्होंने इस पत्र को 9-10-2000 को 10 बजे

के लगभग जिला प्रशासन के संज्ञान में लाये तथा जिलाधिकारी इसका संज्ञान लेकर बैठक की तिथि 16-10-2000 को निर्धारित थी, किन्तु उप निर्वाचन अधिकारी श्री शर्मा ने इसको बदलकर 18-10-2000 की जानबूझकर इस कारण दी कि उपाध्यक्ष का चुनाव वैधानिक कारणों से न हो, क्योंकि धारा 54 (क) की उपधारा 4 में व्यवस्था कि यदि किन्हीं कारणों से पद की तिथि स्थगित होती है तो दूसरी तिथि 7 दिन के बाद विधिवत नहीं की जायेगी । यही नहीं जब शर्मा को अपर जिला अधिकारी के कक्ष कानूनी व्यवस्था दिखाई तो मुझसे अकारण उलझ पड़े तथा अभद्र व्यवहार किया । उपलब्ध तथ्य जोकि उपाध्यक्ष चुनाव के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध है, से स्पष्ट है कि उक्त दोनों अधिकारियों ने जानबूझकर उपाध्यक्ष चुनाव में षड्यंत्र के व्यवधान उत्पन्न किया जो एक प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन न करना है । प्रश्न लोक हित एवं तत्कालीन एवं महत्वपूर्ण है तथा बिल्सी नगर की जनता आन्दोलित है ।

अतएव इस तत्कालिक प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराई जाये ।]

प्रदेश में मृतक आश्रित सेवायोजन समय सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए संबंधित विभाग को सीधे आदेश दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों पर नियमों के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करके मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये स्पष्ट आदेश किये गये हैं ।

मेरे द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 32 प्रकरणों पर माननीय मुख्य मंत्री जी से निर्णय का आग्रह किया गया था। मेरे द्वारा प्रकरण पुनः 8-5-2000 को दिये गये थे । मा० मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा 30-5-2000 तक आख्या मांगी गई थी ।

मात्र 2 प्रकरणों पर आख्या आई थी, उन पर अनुकूल निर्णय हो गया ।

बार-बार लिखित अनुस्मरण मा० मुख्य मंत्री सचिवालय से भेजे जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित परिणाम स्वरूप निर्णय भी लम्बित ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल अब सीधे समय सीमा शिथिलता प्रदान करते हुए सेवायोजित करने का विभाग को सीधे आदेश देने का निवेदन करता हूं ।]

जनपद फिरोजाबाद एवं आगरा में सूखे से प्रभावित जनों को राहत पहुंचाने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, माननीय सदन का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि जनपद फिरोजाबाद और आगरा में वर्षा औसतन सर्वाधिक कम होने के कारण खरीफ को खड़ी फसलें सूख गयी हैं, उनमें सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है । सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय, संवेदनशील स्थिति की तरफ आकर्षित नहीं होने के कारण सरकारी सिंचाई नलकूपों और काश्तकारों के निजी नलकूपों को बिजली न मिलने के कारण खरीफ की फसल सूखा से बर्बाद हो गयी । नहर, रजबाहों के आखिरी छोरों पर पानी नहीं आ सका । इस स्थिति से किसान तबाह है और उसमें भारी हडकम्प है ।

सरसों और लाहा, तिलहन आदि की बुआई किसान तीन-चार बार कर चुका है लेकिन अभी तक सरसों लाहा आदि उग नहीं सके जिसमें किसान का बीज, खाद और मेहनत बेकार हुई । क्योंकि कृषि

भूमि में नमी और आर्द्रता समाप्त है । रजबहा और नहरें सूखी हैं, सरकारी सिंचाई नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक दोषों से बंद पड़े हैं । काश्तकारों के सिंचाई निजी नलकूपों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है । ट्रांसफारमर बड़ी संख्या में फूंके होने के कारण बन्द पड़े हैं और दूसरी तरफ वसूली अभियान तेज गति से चल रहा है । इससे किसान भारी कष्ट में है ।

अस्तु, माननीय सदन से अनुरोध है कि सूखा की इस भयानक स्थिति में काश्तकारों को विद्युत आपूर्ति युद्धस्तर पर सुबह 5.15 बजे से सायं 5.00 बजे तक सुनिश्चित की जाय । फूंके ट्रांसफार्मर ठीक कराये जायें एवं सिंचाई सरकारी नलकूपों को तुरन्त चालू कराया जाय । समस्त सरकारी देयों की वसूली स्थगित करे, खाद और बीज को बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करायें । ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की जाय और तहसीलों में राहत केन्द्रों की स्थापना कर किसानों को राहत दिलायी जाये ।]

जनपद बांदा में मौजा लड़ाकपुरवा खाईपार मुहाल तथा मुहल्ला अलीगंज निवासी श्री वाहिद अली उर्फ मुन्नन का नाम राजस्व अभिलेखों में फर्जी अंकित होने पर कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बादशाह सिंह–

[मान्यवर, जनपद बांदा में मौजा लड़ाकपुरवा खाईपार मुहाल, म्युनिस्पिल बोर्ड की वर्तमान खतौनी सन् 1406 फसली के खाता संख्या–17, गाटा संख्या–2295 से लेकर भूखण्ड संख्या–4396 कुल रकबा 69 बीघा 10 बिसवा पर आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के निर्देश पर, सिटी मजिस्ट्रेट बांदा के पत्र संख्या–2046/एस०टी०/दिनांक 15-3-2000 के अनुपालन में तहसीलदार बांदा के द्वारा दिनांक 10-4-2000 को तथा जिलाधिकारी जनपद–बांदा के पत्र संख्या–16/सात भूलेख/93-94 दिनांक 2-4-93 के अनुपालन में तहसीलदार बांदा द्वारा दिनांक 24-6-2000 को सम्पन्न जांच में वाहिद अली उर्फ मुन्नन पुत्र मुहम्मद अली, निवासी–मुहल्ला अलीगंज का नाम फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकित होना पाया गया है, जो कि गैर कानूनी है । प्रश्नगत प्रकरण में राजस्व अभिलेखों से वाहिद अली का नाम खारिज कर प्रविष्टियों को यथावत् शुद्ध न किये जाने से प्रश्नगत भू-खण्डों का अवैध विक्रय एवं उस पर लगातार विधि विरुद्ध अवैध निर्माण किया जा रहा है ।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, सरकार के द्वारा तत्काल, प्रभावी न किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद एटा के विकास खण्ड सकीट के ग्राम रिजोर में 32 के०वी०ए० के सब-स्टेशन की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[महोदय, जनपद एटा के विकास खण्ड सकीट के अन्तर्गत विद्युत लोड को देखते हुए 32 के०वी०ए० का सब स्टेशन ग्राम रिजोर पर स्वीकृत किया गया था जिसके निर्माण की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी थी तथा बाउन्ड्रीवाल बना भी दिया गया है । परन्तु राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण उस सब-स्टेशन को विकास खण्ड सकीट से 40 किमी० दूर हटाकर अन्यत्र निर्माण करा दिया गया है, जिससे कि पूरे क्षेत्र के सामने विद्युत संकट की भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है । इसके फलस्वरूप क्षेत्रीय जनता में भारी क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लेते हुए विकास खण्ड सकीट में ग्राम रिजोर पर 32 के०वी०ए० के सब स्टेशन की स्थापना करने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से प्रभावित गांवों के परिवार को अन्यत्र बसाये जाने तथा उनकी पढ़ाई, पानी आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोती लाल पैलवी–

[मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि 69 वैला खीरी विधान सभा क्षेत्र में शारदा नदी के कटान के कारण पूरे-पूरे गांव नदी में समा चुके हैं । जैसे पिपरिया, ग्राम–बोझवा, बरुआ आदि गांव के परिवार सड़क पर अपने-अपने गृहस्थी छप्पर के नीचे रख लिया है पलिया भीरा मार्ग के दोनों तरफ किसान अपने छप्पर डाले हैं, इसलिये आवागमन में बाधा पड़ती है और आये दिन दुर्घटना की संभावना रहती है । इसलिए हम चाहते हैं कि डी०एम० खीरी द्वारा 353 डिसमिल भूमि देकर अन्यत्र बसाया जाय और उनके लिए स्कूल का निर्माण कराया जाय क्योंकि स्कूल भी कट गया है और बस्ती में पेयजल की समस्या के लिए इण्डिया मार्का–2 का हैण्ड पम्प लगाया जाय तथा जीवन यापन के लिए 6-6 एकड़ भूमि जमीन के पट्टे दिया जाय ।]

लखीमपुर में नगर पंचायत ओयल से ग्राम पंचौरा से लीला कुआं आदि से होकर एल०आर०पी० रोड से जुड़कर छोटी काशी गोला गोकरन नाथ को जाने वाली सड़क को पक्की बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

[महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र 70 लखीमपुर में नगर पंचायत ओयल से ग्राम पन्चौरा कोटखेरवर गन्ना क्रय केन्द्र होकर एक सड़क लीलाकुआं तक जाती है और लीलाकुआं से पकरिया कालाडूंड लकेशर से होकर एल० आर० पी० रोड से जुड़कर छोटी काशी गोला गोकरन नाथ को जाती है । यह सड़क यातायात की सुविधा व धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है इस सड़क के बन जाने से लखनऊ की तरफ से आने वाले यात्रियों को गोला जाने के लिए कम से कम 10 कि०मी० दूरी कम तय करनी होगी । यह सड़क ओयल साईड से कुछ किमी० पक्की है । बीच का भाग खड़न्जा व मिट्टी का है इसके बन जाने से जनता को बहुत बड़ी आने-जाने की सुविधा हो जायेगी ।

लोक महत्व की यह अविलम्बनीय समस्या है इसका निराकरण आवश्यक है ।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

[महोदय, उ० प्र० राज्य सेतु निगम में सैकड़ों की संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका कार्यकाल 10-10 वर्ष का हो गया है परन्तु अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है । इन कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल का नियमित वेतनमान दिये जाने हेतु स्थगनादेश माह जनवरी-फरवरी, 2000 में प्राप्त कर लिया गया परन्तु आज तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया । इस मंहगाई के युग में ये कर्मचारी बड़ी विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं और अब तो उनमें आक्रोश भी पैदा हो गया है परन्तु नौकरी से न निकाले जायें इस डर से सहमें हुए जी रहे हैं ।

अतः उक्त विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद चित्रकूट में कतिपय मार्गों को पक्का कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर० के० सिंह पटेल–

[महोदय, आपका ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर कराना चाहूंगा कि जनपद चित्रकूट जो दस्यु प्रभावित जिला के साथ-साथ पूरे प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है । जहां पर सड़कों का अभाव है । मुख्य मार्गों एवं जिला मुख्यालय तक पहुंचने हेतु 20 से 25 किमी० तक पैदल कच्चे मार्गों से चलकर क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों को मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है । बरसात में कच्चे रास्तों पर पैदल भी चलना मुश्किल है । बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से धन देकर पहाड़ी से अर्छाबरेठी से औदहा मिर्जापुर एवं भौरी से हरदौली मार्गों को पक्का कराये जाने हेतु आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल (बांदा) द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 1999-2000 एवं 2001 में प्रस्ताव शासन को भेजे गये किन्तु उक्त कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अभी तक धन नहीं दिया गया है ।

अस्तु इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यान्स) से धन देकर चित्रकूट जिले की उक्त सड़कों के निर्माण कराने की मांग करता हूं ।]

फिरोजाबाद में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में नाली खड़न्जा आदि का कार्य पूर्ण कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामवीर सिंह–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जसराना के ब्लाक एका के चयनित अम्बेडकर ग्रामों पैड़त, कैपई, उड़ेसर एवं मदाना को अधिकारियों द्वारा फर्जी तौर पर पूर्ण संतृप्त दिखाया है जबकि इन गांवों के पात्र व्यक्तियों को आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई और न ही पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है सम्पर्क मार्गों एवं खड़न्जा का भी निर्माण नहीं कराया गया है, इसी तरह ब्लाक खैरगढ़ हाथबन्द के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों निकाउ, साखनी, रानीपुर, बखार, कमालपुर, रखावली एवं दमामई को भी पूर्ण संतृप्त दिखाया गया है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुआ है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त चयनित अम्बेडकर ग्रामों की जांच कराकर सम्पूर्ण कार्यों को कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्रान्तर्गत शारदा नहर लखनऊ ब्रांच में ग्राम कुंवरपुर बसीठ के समीप इनलेट का निर्माण अविलम्ब सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० अशोक बाजपेयी–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर बसीठ, मनियापुर, जरेउना, कायमपुर, जटपुरा आदि दर्जनों गांव वर्षों से शारदा नहर में इनलेट न होने के कारण जलमग्न रहते हैं । प्रतिवर्ष बरसात के उपरान्त शारदा नहर को काटकर सिंचाई विभाग को इन गांवों में भरा हुआ जल निकालना पड़ता है । क्षेत्र की जनता शारदा नहर में इनलेट के निर्माण हेतु शासन से कई बार अनुरोध कर चुकी है तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को निरन्तर ज्ञापन देता रहता है । मेरे द्वारा भी कई बार शासन को लिखा गया, लेकिन अभी तक इस इनलेट का निर्माण नहीं हुआ । शारदा नहर में इनलेट के निर्माण पर कोई अधिक लागत भी नहीं आयेगी, लेकिन मेरे क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन जो जलमग्न रहती है तथा जो गांव पानी से घिरे रहते हैं, वो सुरक्षित रह सकेंगे ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय व सुनिश्चित विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा इसके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विषय की गंभीरता को देखते हुए शारदा नहर लखनऊ ब्रांच में ग्राम कुंवरपुर वसीठ के समीप इनलेट का निर्माण अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाय ।]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 'कुमारगंज' फैजाबाद में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप वेतनमान दिलाये जाने आदि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय 'कुमारगंज' फैजाबाद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि याचीगणों का नियमित न्यूनतम वेतनमान अन्य भत्ता सहित प्रदान किया जाये परन्तु वि०वि० प्रशासन द्वारा भेद्रभाव पूर्ण नीति अपनाकर कुछेक का आदेश के क्रम में दिनांक 17-6-99 द्वारा अवर अभियन्ता का पद अनुमन्य किया गया है जबकि लगभग पच्चीस अवमानना याचिकायें मा० उच्च न्यायालय में लम्बित हैं उन पर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है जिसके कारण समान कार्य, समान पारिश्रमिक के नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अपने पद के अनुरूप न्यूनतम वेतनमान से वंचित किया जा रहा है ।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय में समान कार्य, समान पारिश्रमिक के नैसर्गिक न्याय के अन्तर्गत समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप वेतनमान दिलाए जाने का व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए ।]

पति-पत्नी सेवारत सरकारी सेवा में एक साथ रहने संबंधी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने शासनादेश संख्या–19/1–1976 कार्मिक अनुभाग दिनांक 5 जनवरी, 1976 द्वारा यह निर्गत किया गया था कि पति-पत्नी सेवारत सरकारी सेवा में एक साथ रहने का प्राविधान है परन्तु शासनादेशों का पालन जानबूझकर नहीं किया जा रहा है जबकि पति-पत्नी द्वारा इस संबंध में बार-बार अनुरोध किया गया है उदाहरण के रूप में बृजेश बाबू यादव सहायक अध्यापक राजकीय उ० मा० विद्यालय नगऊखेत वाया चकराता देहरादून में नियुक्त हैं तथा इनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता यादव सहायक अध्यापिका के पद पर प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर ब्लाक खैर अलीगढ़ में तैनात है । इस संबंध में आपको अवगत कराना उचित ही होगा कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण होने से पति उत्तराखण्ड राज्य में होगा तथा पत्नी अलीगढ़ मैदानी क्षेत्र में हों तब पति-पत्नी एक साथ कहां रह पायेंगे तथा परिवार के दायित्वों का निर्वाह कैसे होगा । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको मद्देनजर रखा जाना अति आवश्यक है ।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त लोक महत्व के विषय की ओर कार्यवाही तत्काल प्रभाव से कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा आमंत्रित निविदा हेतु ''मेसर्स स्मार्ट चिप्स'' संस्था को काली सूची में रखते हुए प्रतिबन्धित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[महोदय, निवेदन है कि माह जनवरी, 2000 में प्रदेश के सभी जनपदों में स्मार्ट चिप टैक्नालाजी के आधार पर कम्प्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने हेतु विभिन्न फर्म्स से निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। प्राप्त निविदाओं में से प्राविधिक (टेक्नीकल) परीक्षण के उपरान्त दो फर्म्स ''मेसर्स स्मार्ट चिप्स'' एवं मेसर्स एच०सी०एल०'' की निविदाएं ही सही पायी गयी थी। तत्पश्चात् वित्तीय बिड़ खोले जाने पर मेसर्स स्मार्ट चिप्स की दरें न्यूनतम पाई गयी ''परन्तु मेसर्स स्मार्ट चिप्स ने अपनी दरें देते समय यह नहीं अंकित किया था कि निविदा में ही गयी दरें 2 के०वी० कार्ड की है अथवा 1 के०वी० कार्ड की। उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त द्वारा 2 के०बी० कार्ड के लिए ही निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। इस तथ्य के प्रकाश में आ जाने के कारण ही उक्त फर्म द्वारा पहले तो विभागीय अधिकारियों पर नाजायज दबाव डालने के प्रयास किये गये थे फिर निविदा में उल्लिखित दरों को कुछ और कम किया गया। परन्तु इस बार भी अपना उद्देश्य पूरा होते न देखकर यह कहा कि उनका 1 के०बी० का कार्ड ही 2 के०बी० के कार्ड के समकक्ष है जबकि यह टेक्नीकल रूप से गलत था तथा मौखिक रूप से फर्म के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय निविदा खोलते समय यह स्पष्ट कहा गया था कि उनकी निविदा 2 के०बी० कार्ड की है। वास्तविकता तो यह है कि उक्त फर्म के पास 2 के०बी० कार्ड था ही नहीं और 1 के०बी० कार्ड की दरें देकर विभाग को भ्रम में डालकर फर्म द्वारा अपनी दरें स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा था। सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर शासन स्तर से परिवहन विभाग द्वारा सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया और पुनः निविदा आमंत्रित करने के आदेश दिये गये।

इस संबंध में यह ज्ञात हुआ है कि परिवहन विभाग द्वारा पुनः निविदाएं आमंत्रित की गयी और मेसर्स स्मार्ट चिप्स द्वारा पुनः निविदा भरी गयी है तथा येनकेन प्रकारेण अपने प्रस्ताव पर शासन से स्वीकृति की मुहर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त फर्म द्वारा असत्य एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर पूर्व निविदा को प्राप्त करने के प्रयास को देखते हुए उक्त फर्म को काली सूची में रखते हुए सदैव के लिए प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए था परन्तु न जाने किन कारणों से विभाग द्वारा उक्त फर्म पर इतनी मेहरबानी की जा रही है।

इन तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम–301 के अन्तर्गत उक्त फर्म मेसर्स स्मार्ट चिप्स को काली सूची में रखते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज एवं हलिया के गरीब व भूमिहीन मजदूरों को बेदखल से रोकने एवं उत्पीड़न कार्यवाही बन्द कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भाई लाल–

[मान्यवर, जनपद मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के गरीब भूमिहीन कोल जाति के लोगों को ग्राम समाज की भूमि जीविकोपार्जन हेतु पट्टे के रूप में आवंटित किया गया तथा ये उस पर कब्जा करते चले आ रहे हैं किन्तु इधर कुछ दिनों से वन विभाग के कर्मचारी भू-माफियाओं के साथ मिलकर विकास खण्ड लालगंज एवं हलिया के ग्राम सिकटा व बंजारी के बड़ों भूमिहीन मजदूरों को बेदखल करने एवं फर्जी मुकदमें करके उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। जिससे आदिवासी कोल जाति के लोगों में व्यापक असन्तोष है जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः कृपया जनहित में जनपद मिर्जापुर की विकास खण्ड लालगंज एवं हलिया के गरीब व भूमिहीन मजदूर को बेदखल से रोकने एवं उत्पीड़न की कार्यवाही बन्द करने हेतु शासन को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[महोदय, जनपद सन्त रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण अंचलों में बसा है । आज भी हजारों परिवारों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगरीय क्षेत्रों में बनाये गये पेयजल नल समूह ओवर हेड टैंक पेयजल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं । क्षेत्र में कहीं पाइप टूटी पड़ी है । तो कहीं आधी अधूरी सप्लाई हो रही है । क्षेत्रीय लोग पेयजल की कठिनाई से प्रभावित हैं । लगभग दर्जनों नलकूपों ओवरहेड टैंक के अभाव में पानी की सप्लाई नहीं करा पा रहे हैं और क्षेत्र में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है ।

कृपया शासन से यह जानकारी प्राप्त करते हुए कि विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे पेयजल समूह नलकूप हैं, जिन पर ओवरहेड टैंक का निर्माण नहीं हुआ है । तत्काल उन्हें बनवाने हेतु निर्देश जारी कराते हुए हजारों परिवारों को पेयजल संकट से उबारने हेतु कार्य करने की कृपा करें ।]

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई उनके नाम इस प्रकार हैं :–श्री नन्द राम, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री सुधाकर सिंह, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री रामसेवक सिंह तथा श्री अजय कुमार पोइया ।

लोक आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 1990 से 1994) †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990 से 1994 तक को, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1124/64–1–2000–41–97 दिनांक 7 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–14 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की–

(1) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1070/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–2000, दिनांक 30 मार्च, 2000

(2) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1163/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(3) 2000, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

(3) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1164/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(4) 2000, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

(4) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1160/ग्यारह–9(58)/98–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(1) 2000, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

(5) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1353/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(8) 2000, दिनांक 28 अप्रैल, 2000

को उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) के अधीन तथा–

(1) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1165/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(5) 2000, दिनांक 10 अप्रैल, 2000

(2) विज्ञप्ति संख्या–क०नि०–2–1355/ग्यारह–9(231)/94–उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश–(10) 2000, दिनांक 28 अप्रैल, 2000

को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–घ की उपधारा (8) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

वर्ष 2000 के प्रथम सत्र के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2000 के प्रथम सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है।

---

††† छापी नहीं गयी।

†††† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1)†

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1), जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (खण्ड–1) में उल्लिखित सिंचाई विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1)†

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (1999-2000) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड–1), जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (खण्ड–1) में उल्लिखित चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग एवं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 23वां प्रतिवेदन †

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 23वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1985-86, 1987-88 तथा 1988-89 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रस्तरों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 24वां प्रतिवेदन †

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1999-2000) का 24वां प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के सोलहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की याचिका समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद एटा, विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित -बहोरनपुर से ग्राम करमपुर जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†††††

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा, विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ग्राम बहोरनपुर से ग्राम करमपुर जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री दिनेश कुमार तथा श्री राकेश प्रताप सिंह, निवासीगण–जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र सकीट के अन्तर्गत स्थित कस्बा सकीट इशारा मार्ग का पुनरोद्धार कराये जाने विषयक श्री अजब सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†††††

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र सकीट के अन्तर्गत स्थित कस्बा सकीट इशारा मार्ग का पुनरोद्धार कराये जाने विषयक श्री अजब सिंह तथा श्री शैतान सिंह यादव, निवासीगण जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद एटा केअन्तर्गत जिला से कस्बा गंजडुण्डवारा जाने वाले मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा कराये जाने विषयक श्री दाऊद नबी मंसूरी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†††††

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद एटा के अन्तर्गत जिला से कस्बा गंजडुण्डवारा जाने वाले मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा कराये जाने विषयक श्री दाऊद नबी मंसूरी तथा श्री मो० फारूख कुरैशी व अन्य, निवासीगण–जनपद एटा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के वार्ड नम्बर –86 के मोहल्ला कुर्मांचल नगर के सेक्टर सी एवं डी में सीवर लाइन निर्माण/सड़कों का डामरीकरण/पानी की निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री लक्ष्मी दत्त जोशी आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†††††

श्री गोमती यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के वार्ड नम्बर–86 के मोहल्ला कुर्मांचल नगर के सेक्टर सी एवं डी में सीवर लाइन निर्माण/सड़कों का डामरीकरण/पानी की निकासी एवं प्रकाश व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री लक्ष्मी दत्त जोशी तथा श्री जे० सी० पाण्डेय निवासीगण-जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री मुराद लारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 23 मार्च को मैंने विशेषाधिकार के ऊपर सूचना दी थी जो बसपा सदस्य श्री मुराद लारी.....

श्री अध्यक्ष–

पहले इसका परीक्षण होता है।

---

††††† छपी नहीं गयी।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी थी वह घटना सदन के सामने हुई थी लेकिन माननीय सदस्य ने इस घटना को स्वीकार न करना किया है कि ऐसी कोई घटना मेरे द्वारा नहीं की गयी है....

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे आज स्थगित कर देता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 की बैठक में दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

अक्टूबर, 2000

---

24 मंगलवार

1–निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

(प्रश्नकाल नहीं होगा)

2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव कर अग्रतर चर्चा :–

"सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में भू–गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

3–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

4–श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :–

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में किसानों तथा मजदूरों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की वर्तमान गन्ना एवं चीनी उद्योग नीति में परिवर्तन किया जाय।"

5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एक घण्टे की चर्चा हेतु स्वीकृत निम्नलिखित चर्चाधीन प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगायी जाय।"

6–"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

7–"प्रदेश में शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिये जाने से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री शिव सिंह चक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

8–"प्रदेश के मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि" की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० अशोक बाजपेयी, सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा ।

9–"प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री अजय कुमार पोइया, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

10–"प्रदेश में अनवरत रूप से बढ़ती महंगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने" के संबंध में श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

11–"प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री प्रदीप कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ।

12–उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया था, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम–216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा ।

13–दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 के उपवेशन का अनिस्तारित कार्य, यदि कोई हो, दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 के लिए निर्धारित किया जाय ।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले श्री कौकब हमीद की नियम–311 की सूचना ले रहा हूं जिसे मैंने नियम–56 में परिवर्तित किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत ही संक्षेप में बोलेंगे और सीमित संख्या में बोलेंगे।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर अपनी बात कहने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सदन में बैठे हुये हमारे माननीय विधायक जानते हैं और परेशान है कि उसके क्षेत्र का, उसके इलाके में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। जो धनराशि सरकार देती है उसका सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार इस सदन में इस संबंध में डिबेट हुई है और चिन्ता व्यक्त की गयी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश 17 करोड़ की आबादी वाली प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 2 लाख 90 हजार वर्ग किलोमीटर है। पूरे हिन्दुस्तान की 16 फीसदी पापुलेशन उत्तर प्रदेश में है और इसका जो आकार है वह पूरे हिन्दुस्तान का 9 फीसदी है। पूरी दुनियां में यह अकेली स्टेट है पूरी दुनियां में कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो आकार और पापुलेशन में उत्तर प्रदेश की बराबरी कर सके। तो मान्यवर, यह चिन्ता जनता में भी हुई कि आखिर यह धनराशि जो उत्तर प्रदेश सरकार भेजती है उसका सही उपयोग कैसे हो। उसके सही उपयोग होने का एक ही तरीका है कि इसका पुनर्गठन हो। जो मौजूदा प्रदेश है इसको 4 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। एक पश्चिमांचल, जिसको हरित प्रदेश भी नाम दिया गया है। उसके लिए चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर आन्दोलन चल रहा है। पूर्वांचल राज्य की बाढ़ की समस्या रहती है। इस वर्ष बाढ़ से हजार -डेढ़ हजार लोगों की मृत्यु हो गयी, अरबों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। एक बुन्देलखण्ड जहां 53 साल की आजादी के बाद भी वहां की पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं। मध्य उत्तर प्रदेश है उसे अवध प्रदेश के नाम से एक अलग हिस्सा बने। मान्यवर, जो प्रति व्यक्ति सलाना इन्कम होनी चाहिए उसके आंकड़े सुन लें। उत्तर प्रदेश की सलाना प्रति व्यक्ति आमदनी 6,713 रुपये है, दिल्ली की 22,480 रुपये है, पंजाब की 18,006 रुपये है, महाराष्ट्र की 17,295 रुपये है। इसमें गौरबतलब है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति सलाना आमदनी 16,300 रुपये है जो उसी पंजाब का टुकड़ा बना। हरियाणा जो छोटा सा राज्य है उसकी आमदनी 16,300 और जो प्रदेश हिन्दुस्तान का दिल है, जो आकार में और जनसंख्या में बहुत बड़ा है उसकी आमदनी 6000 रुपये प्रति व्यक्ति सलाना है।

(इस समय 12 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

मान्यवर, अगर इस प्रदेश का यह हस्र है तो जरूरी है कि उत्तर प्रदेश टुकड़ों में विभाजित हो और यहां का व्यक्ति चैन से रह सके। मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि विकास की दर जो यहां है वह 2.9 है, हरियाणा का 4.3 प्रतिशत है। वहीं गुजरात का 8.9 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का विकास दर 2.9 से कैसे आगे बढ़ सके। आज उत्तर प्रदेश में हर जगह आन्दोलन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को

विभाजित करने के लिए कहीं बुन्देलखण्ड में, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कहीं लखनऊ में । 20 तारीख को लखनऊ में पूरे सदन का घेराव* करने का आह्वान किया गया । रोज रास्ते जाम हो रहे हैं, कहीं गेहूं–धान की खरीद के ऊपर, कहीं आलू के दाम के ऊपर । मुश्किल यह है कि इतना बड़ा प्रदेश चल नहीं पा रहा है । यहां कल बात हुई कि विदेशों के लोगों ने वायदा किया है कि यहां आकर उद्योग लगायेंगे और 30 लाख करोड़ रुपये निवेश करेंगे । मैं आकंड़े बताना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश का इस वक्त क्या हस्र है ? यहां असन्तुलन इतना बढ़ गया है कि बहुत से जिले हैं, जहां इण्डस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है ।....

बलिया, बांदा, बस्ती, इटावा, गाजीपुर, हमीरपुर, जौनपुर, ललितपुर, महाराजगंज, आदि ऐसे जिले हैं जहां नाम मात्र के उद्योग हैं । उधर नोएडा है । ला एंड आर्डर सिचुएशन आपकी बिगड़ चुकी है और नोएडा में उद्योग बंद हो रहे हैं लेकिन कुछ उद्योग वहां हैं । पूर्वी क्षेत्र में आपका कोई उद्योग नहीं है । हमारे यहां पश्चिमी क्षेत्र में कुछ अधिक उद्योग हैं । इसलिए यह प्रदेश इतना बढ़ गया है कि इसका विभाजन होना जरूरी है ।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड यदि अलग राज्य होता तो जो 53 साल बाद भी जो वहां पानी की समस्या बनी हुई है वह न होती यदि अलग राज्य होता तो सरकार कोई न कोई प्रबंध करती और वहां पानी की समस्या दूर होती ।

मान्यवर, जो प्रदेश का बैंकों में जमा अनुपात है वह सिर्फ 29 प्रतिशत बैंकों में जमा होता है । जबकि महारष्ट्र में 72 प्रतिशत, कर्नाटक में 68 प्रतिशत और हरियाणा में 42 प्रतिशत जमा होता है । तो ऐसे प्रदेश की उन्नति के रास्ते पर कैसे ले जायेंगे । मान्यवर, जहां बैंकों में जमा इतना कम होता है तो कोई उद्योग कैसे लगा सकेगा । यहां बैंक उतना लोन नहीं दे सकते हैं जितना कि उद्योग लगाने के लिए जरूरी होता है । इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में विभाजन हो जाना चाहिए ।

मान्यवर, पढ़े-लिखे, लिट्रेसी का रेट देखें तो उत्तर प्रदेश में 42 प्रतिशत, केरल में 90 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 65 प्रतिशत, पंजाब में 58 प्रतिशत और आल इंडिया का 52 प्रतिशत है, इसमें भी हम 10 प्रतिशत कम हैं । इस प्रकार हिन्दुस्तान में जो लिट्रेसी रेट है उससे भी हम 10 प्रतिशत कम हैं । इसलिए जरूरी है कि यहां 4 नये प्रदेश बनें । मान्यवर, मैं सदन से गुजारिश करूंगा कि इस का प्रस्ताव करें कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 4 अलग सूबों में किया जाय । इसलिए विभाजन होना जरूरी है । यदि ऐसा नहीं होगा तो यहां हाहाकार मचेगा । मान्यवर, हर विधायक चाहता है, लाबी में कहते हैं कि इस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए चूंकि समस्याएं बढ़ रही हैं । पैसा सही नहीं पहुंच पाता है । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस सरकार से कि यदि विभाजन का प्रस्ताव आज नहीं लाएंगे तो यह जनता सर पर बैठकर प्रस्ताव करायेगी आर अपने आप पुनर्गठन कर लेगी । इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव करके भारत सरकार को भेजा जाय ।

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । अभी कौकब हमीद जी ने अपने भाषण में प्रदेश को चार खण्डों में विभाजन करने की बात रखी और इधर की तरफ इशारा करते हुए यह कहा कि यह सब सहमत हैं चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा विपक्षी दल है इसलिए इस बिन्दु पर समाजवादी पार्टी का भी दृष्टिकोण आना चाहिए । समाजवादी पार्टी कौकब हमीद के प्रस्ताव का विरोध करती है । यह प्रश्न देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है इस पर समाजवादी पार्टी को भी अपने विचार रखने का अवसर दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज की कार्य-सूची के क्रम संख्या–22 पर सूचीबद्ध प्रस्ताव को उसी विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के साथ संलग्न करके सुने जाने की मांग

*श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, आज की कार्य-सूची में यह प्रस्ताव रखा हुआ है अतः अगर आप मद संख्या–22 को पहले ले रहे हैं तो इस पर सभी को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए । अन्यथा एक बार पहले चर्चा हो और मद संख्या–22 आने पर फिर चर्चा हो तो दो बार हो जाएगा । अतः अनुरोध है कि अगर मद संख्या–22 पहले आप ले रहे हैं तो सभी को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल ।

श्री अधिष्ठाता–

अब सभी लोग व्यवस्था का सवाल उठायेंगे तो किस तरह से व्यवस्था दी जा सकती है । शाक्य जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप नियमों से भिज्ञ हैं । चूकि इस विषय पर नोटिस आई थी उस पर कुछ माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे इसलिए उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जा रहा है । आपने बिना चर्चा में भाग लिए अपने मन की बात कह दी । जब आपको अवसर मिले तब अपने विचार प्रकट करिए ।

श्री लाल जी वर्मा–

इस विषय पर निर्णय किया जा चुका है आप अपने दल के नेता से बात कर लें ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आज की कार्य-सूची की मद संख्या–22 को आप देखें । यह विषय कल भी कार्य-सूची में था आज जिन सदस्यों ने इस विषय पर हस्ताक्षर किए हैं और सदस्य भी बोलना चाहते हैं तो कल जब यह विषय आया था उस समय नेता बसपा के अलावा अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था अगर इस विषय की इतनी ही गम्भीरता थी तो कल माननीय सदस्यों को यहां रहना चाहिए था । अब फिर कार्य-सूची में नियम–311 में लाकर समय का अपव्यय हो रहा है । आज उत्तरांचल के माननीय सदस्यों की विदाई भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो विषय कार्य-सूची में लगा है आज दोबारा नियम–311 के माध्यम से उस पर चर्चा की जा रही है इससे सदन का संमय नष्ट हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन का समय बचाने के लिए दोनों को एक साथ कर दिया गया है ।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं केवल इतना चाहता हूं जो डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी और वर्मा जी ने कहा सदन का संचालन नियमावली से होना चाहिए । एक संकल्प इस विषय पर प्रस्तुत किया जा चुका है उस पर चर्चा जारी भी कर दी गई फिर दोबारा इसे लिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि आज सदन का अंतिम दिन है और समय का ठीक-ठीक उपयोग हो जाय इसीलिए नियम–311 में नोटिस पर एक दो माननीय सदस्य बोल लेंगे उसके बाद कोई एक दो व्यक्ति संकल्प पर दोनों को तलब कर दिया गया है। यह बात तय हो गई है।

प्रदेश का पुनर्गठन करने विषयक नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित सूचना तथा नियम–103 के अन्तर्गत प्रदेश को चार भागों में विभाजन का प्रस्ताव

* श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी कुछ माननीय सदस्य खड़े होकर विभाजन पर आपत्ति कर रहे थे मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब उत्तरांचल का पहला प्रस्ताव आया तब मुलायम सिंह जी की ही सरकार थी और अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भी उन्होंने कहा था कि हम छोटे-छोटे राज्यों के पक्षधर है और छोटे राज्य बनाने का प्रयास करेंगे फिर किस मुंह से यह बात कह रहे हैं। अभी संसदीय कार्य-मंत्री जी कह रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि सैद्धान्तिक रूप से उत्तराखण्ड का विभाजन किया गया होता तो अन्य राज्यों के गठन की बात न आती। उत्तरांचल अलग कर देने से प्रदेश की समस्यायें समाप्त नहीं हुई है। आज जनता आन्दोलित है। प्रदेश का विभाजन किये बिना उन्हें न्याय नहीं मिल सकता। आज हाईकोर्ट की बेंच इलाहाबाद में है लखनऊ में है क्या यह मेरठ, देहारादून, सहारनपुर में नहीं हो सकती। सोचिये आदमी 700 किलोमीटर से आये और उसे तारीख मिल जाये तो उसे न्याय कैसे मिलेगा ? उसका सारा वक्त तो आने जाने में ही व्यतीत हो जायेगा। रिवेन्यू बोर्ड की बेंच लखनऊ में है इनकी एक-एक शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्तर की जाय कई बार मांग की गई लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। छात्रों के परीक्षा केन्द्र आईएएस पीसीएस के केवल इलाहाबाद और लखनऊ में हैं मेरठ और सहारनपुर के अन्दर क्यों नहीं हो सकते ?

हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश की मांग चल रही है। वहां पर आन्दोलन चल रहा है। जनता आन्दोलन चला रही है, गैर राजनैतिक संगठन चल रहे हैं। जनता की सहभागिता पर आन्दोलन चल रहा है। 2-2 लाख लोगों की भागीदारी वहां पर देखी जा रही है। उनको लग रहा है कि यदि प्रदेश विभाजन की मांग उनकी नहीं मानी गई तो उनको न्याय नहीं मिल पायेगा। चार साल से आन्दोलन वहां पर चलाया जा रहा है। पूर्वांचल के लिये आपने डेढ़ सौ करोड़ की निधि दी, बुन्देलखण्ड के लिये 50 करोड़ की और उत्तराकाण्ड के लिये आपने दी। लेकिन तमाम बार यहां इस आदरणीय सदन में कहे जाने के बावजूद भी, सरकार का ध्यान आकर्षण करने बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की आवश्यकता नहीं है। क्या वह पूर्णरूप से विकास हो चुका है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हमारे पूर्वजों ने वहां पर स्थापित की थी। नहरों का जाल बिछाया गया था। आज उनमें एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा है ? नहरों की सफाई नहीं हो रही है।

30 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विद्युतीकरण हुआ था, आज तार टूट गये हैं। 100 मीटर और 50–50 मीटर तार सरकार के पास बदलने के लिये नहीं है। आज वहां पर 50 कि०मी० दूरी तय करने के लिये 3 घण्टे लग जाते हैं। माननीय मंत्री जी मुजफ्फरनगर के हैं। उन्हें भी 50 कि०मी० की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूरी तय करने में कार से दो-तीन घण्टे लग जाते होंगे । क्या वहां पर सड़कों की आवश्यकता नहीं है, क्या गड्ढा मुक्त सड़कों की आवश्यकता वहां पर नहीं है, शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता वहां पर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वहां पर नहीं है । हरित प्रान्त के बारे में जो आन्दोलन चल रहा है, उसे अब दबाने की बस की बात किसी में नहीं है । जब प्रदेश का पुनर्गठन का मामला चल रहा है और केन्द्र सरकार ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि छोटे राज्य बनने चाहिये । तीन राज्यों का गठन भी कर दिया है । जब प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव यहां पर रखा था तो उसे पूरा अंजाम एक साथ दे दिया जाना चाहिये । प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जाय ।

आज पूर्वांचल की मांग चल रही रही है । अभी जी० पी० ओ० पर धरना भी दिया गया । राजनीति में तो मरना और जीना चलता रहता है । बुन्देलखण्ड प्रान्त के लिये आन्दोलन चल रहा है । लोगों पर गोलियां और लाठियां चलाई जा रही और उन्हें रासुका में बंद किया जा रहा है । क्या बुन्देलखण्ड के लोगों ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया ? बुन्देलखण्ड के लोगों की गाथायें तो हमने बहुत सुनी हैं । आज भी वह तालाब का पानी पीने के लिये मजबूर हैं । यह इतना बड़ा प्रदेश है । दुनिया के अन्दर इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई कोई नहीं है ? कोई इतना बड़ा प्रदेश नहीं है । पांच ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं । इसका छटा नम्बर आता है । 17 करोड़ की आबादी इसकी है जो कि मैनेजेबुल नहीं है । अभी पडरौना में किसानों पर गोलियां चलायी गई और जनता को राहत नहीं मिली और किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिला । प्रदेश के मुख्य मंत्री को इतना समय नहीं है कि वह उनका दुख दर्द सुन सके । अगर अलग पूर्वी राज्य होता तो वहां के विधायकों का इतना दबाव तो होता और निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर जाकर लोगों का दुख-दर्द सुनते । लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसकी जरूरत नहीं है । ....क्योंकि वहां के लोगों का दबाव नहीं बन पा रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है, वे लोग गोली से मारे जा रहे हैं लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है । प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश का विभाजन हुए बिना इस प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मैं एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, यह नये राज्य की मांग कोई नई नहीं है । आजादी के समय से प्रदेश के विभाजन की बात चल रही है । आजादी के पहले से डा० अम्बेडकर ने लिखा छोटे राज्यों के बारे में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात कही । चौधरी चरण सिंह ने प्रदेश के विभाजन की बात कही । जनता दल की सरकार के घोषणा-पत्र में भी प्रदेश के विभाजन की बात थी । भारतीय जनता पार्टी के एजेन्डे में भी है कि छोटे प्रान्त बनाये जायें, उनका गठन किया जाय । दूसरे दल समाजवादी पार्टी भी इसकी पक्षधर थी कि नये प्रान्त बनाये जायं इसीलिये उत्तरांचल का प्रस्ताव इन्होंने बनाया और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने उत्तरांचल के प्रस्ताव को पास किया । आज अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण इसका विरोध किया जा रहा है । बहुजन समाज पार्टी ने भी 103 में प्रस्ताव दिया कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाय । मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की मांग है लेकिन यह सरकार इस पर गौर नहीं कर रही है । यह केन्द्र सरकार के हाथ की बात है प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है । इसको केन्द्र सरकार ही कर सकती है । जब पार्लियामेण्ट के अन्दर यह बात उठाई गई माननीय अजीत सिंह जी ने नये प्रांत की बात कही तो लाल कृष्ण आडवानी जी ने कहा कि अगर इस तरह का प्रस्ताव प्रदेश सरकार की तरफ से आयेगा तो हम उस पर विचार करते हुए कर देंगे जब केन्द्र में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव तो दें तो यह प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे हैं ? अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत

में खोट नहीं है, साफ है तो यह प्रस्ताव यहां से पास करके भेजिये, आपका बहुमत है। आपकी ही सरकार वहां पर है।

श्री अधिष्ठाता–

समरपाल जी, अब आप समाप्त करें वरन् मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह प्रदेश की जनता की मांग है कि प्रदेश का विभाजन हो। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि इस सदन से प्रस्ताव पास किया जाय और केन्द्र सरकार को सिफारिश के लिये भेजा जाय। प्रदेश को चार प्रान्तों में हरित प्रदेश, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और अवध जो मध्य क्षेत्र है, में बनाया जाय। इसके लिये बकायदा आन्दोलन चल रहा है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, रैलियों के माध्यम से मांग कर रहे हैं। यह मांग दबने वाली नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी में इस प्रदेश का हित है कि इसको चार नये प्रान्तों में बांटा जाय। नहीं तो प्रदेश की जनता सड़कों पर आ जायेगी। जनता गोली खायेगी और फिर वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में आन्दोलन बुरी तरह से हो जाय। आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह ज्वलन्त विषय है इस पर सारे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय। सदन से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को 4 नये प्रान्तों के गठन के लिये भेजा जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका है। जगदीश राय जी ने किया और पीठ से निर्देश हुए कि जारी रहेगा। जिन-जिन साथियों ने संकल्प में अपने नाम दिये हैं उनको समय देकर उनकी बात सुन ली जाय।

श्री रामपाल वर्मा जी पहले अपने विचार रख दें।

श्री विनोद मणि–

हम अपनी बात रखना चाहते हैं समय दे दें, चर्चा के लिए विषय लगा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक नाम पुकार लिया गया है।

श्री राम जग–

नियम–311 में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने के लिए सूचना दी थी, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी...

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं पहले श्री श्रीराम पाल जी बोल लें मैंने उनका नाम पुकार लिया है। नियम–103 में संकल्प आया था जिस पर चर्चा जारी रहेगी यह हुआ, आज इसी विषय पर एक सूचना नियम–311 में आई जिसमें माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया ताकि सदन का समय बच जाए।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री रामजग–

हम उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं चाहते हैं। इससे हमारे प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है। अनुसूचित जाति का कोटा पूरा हो, आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए मैंने 311 में सूचना दी थी।

(व्यवधान)

श्री वसीम अहमद–

अध्यक्ष जी ने खुद कहा था और हमें सुना नहीं जा रहा है चर्चा होगी उसके बाद जिनकी विदाई है उनके बारे में सदन शुरू हो जाएगा हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है जो हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या हैं उनको सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, विनोद मणि जी अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह मेरे संज्ञान में है और किसी भी माननीय सदस्य के प्रकरण को कम गम्भीरता से आंका नहीं जायेगा। अगर हम आपस में यही विवाद करेंगे कि पहले कौन बोले और बाद में कौन बोले तो अव्यवस्था हो जायेगी। माननीय दलीय नेताओं की आपस में कुछ बातें तय हुई थीं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से क्रमवार सबको अवसर दूंगा और वह अपनी बात कह सकते हैं लेकिन इस सबमें आपको सहयोग चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर समय नष्ट न करें नहीं तो कठिनाई हो जायेगी।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चलता है। हमने 311 में एक नोटिस दी थी। नियम–311 के बाद इसमें चर्चा करा लें।

श्री अधिष्ठाता–

पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। आज सत्र का अंतिम दिन है। जितना समय हमने बहस में नष्ट किया है इतने में तो दो एक माननीय सदस्य बोल लेते। मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं और निवेदन कर सकता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन के संचालन के लिए नियमावली और परम्पराओं के अनुसार कार्य-सूची तय होती है और उसके अनुसार ही मदें ली जाती है। जब पीठ से निर्देश होता है तो विचार रखा जाता है। मान्यवर, चर्चा का आधार और तात्पर्य यह हुआ कि कल मद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या–1 के रूप से यही बात ली जायेगी और इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज यह चर्चा समाप्त नहीं हुई और इस तरह से बिना समाप्त हुए कल भी कन्टीन्यू मानी जायेगी और जिसको आप अनुमति देंगे वह विचार रखेंगे । मान्यवर, जब नियम–311 की सूचनाओं का क्रम निर्धारित कर लिया है, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था देते हुए यह कहा था कि निधन के निर्देश के बाद अमुक लिया जायेगा और उसके बाद यह मद ली जायेगी लेकिन आप उससे अलग हटेंगे तो यह व्यतिक्रम हो जायेगा । मेरा आपसे आग्रह है कि नियम–311 की सूचनाओं पर ग्राह्यता पर आप सुन रहे हैं तो उस मद को समाप्त हो जाने दें और उसके बाद कल की चर्चा के लिए जो क्रम निर्धारित है चर्चा आ जायेगी तब सुन लीजियेगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक बार पीठ से आपकी व्यवस्था आ गयी है । उस पर आप फिर व्यवस्था दें तो यह कोई औचित्य नहीं है ।

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी सत्र में सदन के समक्ष यदि कोई विचारणीय विषय है और उसपर विचार किया गया हो या विचार किया जा रहा है तो उस सत्र में उसी विषय पर दोबारा नोटिस स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही दूसरा प्रस्ताव ला सकते हैं । 103 में क्या प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है और उसमें चर्चा जारी है और वह सदन में विचारणीय है तो निश्चित रूप से इस सदन की परम्पराओं के अनुसार उसी विषय पर नोटिस स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही दूसरे प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा स्वीकार की जायेगी । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर इस माननीय सदन को आगे भी सत्र में बैठना होता तो कठिनाई नहीं थी । आज सत्र का अन्तिम दिवस है एक ही विषय पर संकल्प पर चर्चा जारी है और 311 में भी सूचना आयी है आपस में समझकर यह निर्णय लिया कि इन दोनों को एक साथ सुन लिया जायेगा एक-एक दो-दो सदस्य बोल लेंगे लगभग 20 मिनट का समय हो गया है अब तक तो यह विषय शायद समाप्त हो गया होता ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नियम–103 के संकल्प पर चर्चा जारी रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है उसको पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुन्देलखण्ड इन चार पृथक राज्यों में बांटने के लिए जो चर्चा कल की गयी थी उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आबादी, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है किसी भी देश में इतना बड़ा प्रदेश नहीं है । अमूमन जितनी अमूमन आबादी होगी आवागमन के साधन, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक सुधार के जो कार्य हैं यह निश्चित रूप से विशाल भू-भाग और विशाल जनसंख्या होने के कारण यह समरूपता नहीं रहती है । इसलिए 2 जो क्षेत्र हैं उत्तरांचल और बुन्देलखण्ड इन दोनों क्षेत्रों के लिए चाहे वह प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला हो और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का मामला हो, सरकार कोई भी रही हो इन दोनों क्षेत्रों के लिए पृथक से सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है और इससे स्पष्ट है कि यह बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तरांचल की तरह की अभावग्रस्त क्षेत्र रहा है । यहां सड़कें भी नहीं हैं । यहां दस्यु समस्या इतनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशाल है, लगभग देश आजाद होने से लेकर 53-54 साल हो गये हैं दर्जनों की संख्या में सूती वस्त्र, दस्यु गिरोह सक्रिय रहे हैं । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने के कारण और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से सटा होने के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यमुना, बेतवा, केन ये तमाम नदियां, इस क्षेत्र को कई टुकड़ों में बांटती हैं, दुर्गम जंगल हैं, पुलिस प्रशासन के आवागमन, कानून-व्यवस्था यहां सही नहीं हैं इसके अलावा बुन्देलखण्ड के जिलों में जो जिले इस प्रदेश में शामिल किये जायेंगे, सरकार को जानकारी भी है कि यहां एक फसल होती है, एक फ़सल के होने से यहां गरीबी, भुखमरी हमेशा-हमेशा से बनी हुई है । इस एक फसल होने के कारण यह है कि यहां सिंचाई सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं बांध न होने के कारण नहरें नहीं हैं । जहां पर सिंचाई, पेयजल आवागम किसी प्रकार के साधन नहीं है, किसान मजदूर छात्र यह किसी के लिए इतनी सुविधायें नहीं हैं तो ज्यादा अच्छा होगा बुन्देलखण्ड एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित हो । परम पूज्य डा० अम्बेडकर साहब कहते थे कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाये । उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था । बुन्देलखण्ड के लिए मान्यवर, अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग-अलग शादी विवाह और रीति रिवाज है । बुन्देलखण्ड का दुर्भाग्य यह है कि मान्यवर, खनिज सम्पदा से परिपूर्ण यह क्षेत्र जहां बालू, मौरंग, अभ्रक, ग्रेनाइट, सोना यह खनिज सम्पदा का जो अरबों रुपये का दोहन होता है वहां, नित्य हजारों-हजारों की संख्या में बालू की ट्रकें चलती हैं ।

मान्यवर, सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं वहां एक नया पैसा भी सड़कों की मरम्मत के लिए नहीं दिया गया है । और वहां की सम्पदा का दोहन हो रहा है, वहां अरबों रुपये की सम्पदा का लगातार दोहन हो रहा है और वहां पर इसके लिए कोई अलग धनराशि , कोई विशेष पैकेज केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से कोई पैकेज नहीं दिया गया । यहां की जो सड़के 10-12-15 जिलों की बरबाद हो चुकी हैं उसकी मरम्त कराई जाय । इसके साथ ही पर्यटन का क्षेत्र सारा का सारा उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल से ही लगा हुआ था अब बुन्देलकाण्ड इस कर्मी को पूरा कर सकता है वहां कालपी में ब्यास मंदिर, सूर्य मंदिर, खानका शरीफ, ओरछा का किला, माता टीला बांध, खजुराहो, आल्हाऊदल की जन्म भूमि, किरूतया ताल, लक्ष्मीबाई झल्कारी बाई का कर्मक्षेत्र यह एतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जिनको विकसित किया जा सकता है लेकिन इसकी उपेक्षा हो रही है ।

दूसरी बात प्रति व्यक्ति औसत आय की है । मेरे ख्याल से किसी भी देश या प्रदेश में इतनी कम प्रति व्यक्ति औसत आय कहीं नहीं होगी । जहां तक शिक्षा का सवाल है यहां 400–500 छात्रों पर एक शिक्षक है और कहीं कहीं पर तो विद्यालय शिक्षक विहीन हैं । माध्यमिक और हाईस्कूल की शिक्षा के लिए बहुत दूर-दूर स्कूल हैं और उच्च शिक्षा के लिए शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कहीं महाविद्यालयं नहीं हैं । तो शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा, आवागमन तमाम प्रकार की जो मानवीय सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं उससे बुन्दोलखण्ड पूरी तरह से उपेक्षित रहा है । अच्छा तो यह होता कि उत्तरांचल राज्य के साथ-साथ बुन्देलखण्ड का भी प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को जाना चाहिए था । मान्यवर, यहां पर बैठे हुए कुछ सदस्य बुन्देलखण्ड पृथक राज्य के बारे में विचारों को सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन वहां पर बंजर हैं ऊसर है वहां उनका एक आध ही विधान सभा का सदस्य है इसलिये राजनीतिक कारणों से यह पृथक बुन्देलखण्ड राज्य के लिए सहमत नहीं हैं । मैं ऐसे दलों की निन्दा करता हूं और मांग करता हूं कि बुन्देलखण्ड राज्य पृथक बनाये जाने हेतु इस सदन से प्रस्ताव पारित कराया जाय ।

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री श्रीराम पाल ने अभी कहा कि भारत रत्न डा० भीमराव जी अम्बेडकर इस बात के पक्षधर थे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन होना

चाहिए । मान्यवर, यह कथन पूर्णतया असत्य है । डा० अम्बेडकर जी ने भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन का तीव्र विरोध किया उनकी प्रसिद्ध थीसिस लिंग्विस्टिक स्टेट्स है जिसमें डा० अम्बेडकर जी ने कहा है कि भाषा जितनी सरलता से जोड़ती है उससे अधिक कठोरता एवं निर्ममता से तोड़ती है । इसलिए भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए । इससे क्षेत्रवाद उत्पन्न होगा । देश की एकता एवं अखण्डता को खतरा पैदा हो जायेगा । यदि किन्हीं कारणों से यह भाषाओं के आधार पर किन्हीं राज्यों का गठन करने का निर्णय करना पड़े तो उस स्थिति में उस प्रान्त के काम काज की भाषा वहां की प्रान्तीय भाषा को नहीं वरन् राज्य भाषा हिन्दी को अपनाना होगा । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने डा० अम्बेडकर जी का नाम लेकर कहा वह पूर्णतया सत्य है वे भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन के पक्ष में नहीं थे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थांट आफ लिग्विस्टिक स्टेट और दूसरी किताब है महाराष्ट्र एक भाषाई प्रान्त । मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य इन दोनों किताबों का अध्ययन कर लेंगे तो यह मालूम हो जायेगा कि बाबा साहब की क्या चाहत थी ? उन्होंने उसमें इस बात का उल्लेख दिया है कि भाषाई प्रान्त बनाये जायेंगे तो क्या-क्या फायदे होंगे ? (व्यवधान)

प्रान्त जो बनना चाहिये, वह भाषाई प्रान्त बनना चाहिये, उस पर मैं समझता हूं...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आपकी बात आ गई । मेरा एक विनम्र सुझाव है । आप दोनों विद्वान, ज्ञान पिपासु सदस्य हैं, इसलिये दोनों माननीय सदस्य एक साथ पुस्तकालय में चलें जायें और बैठकर अपना भ्रम दूर कर लें, बहुत कृपा होगी ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो चर्चा है जिसको माननीय श्री राम पाल जी ने शुरू किया है...

श्री अधिष्ठाता–

तय यह हुआ था कि कोई एक माननीय सदस्य आपके दल की ओर से अपनी बात रख देगें ?

श्री बी० आर० वर्मा–

इस प्रस्ताव को नियम–103 के अन्तर्गत हम लोगों ने रखा है, उसमें मेरा नाम है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 1-2 लोगों को बुलवा लें, सब नहीं बोलेंगे ।

(श्री वसीम अहमद तथा श्री जगदीश नारायण राय के मध्य आपसी नोकझोंक शुरू होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में वार्ता न करें अन्यथा अनावश्यक उत्तेजना पैदा होगी । वसीम साहब आप तशरीफ रखें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने राज्य के पुनर्गठन पर विषय अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की आबादी 17 करोड़ से अधिक हो गई है । सन् 1947 में जब इस देश को आजादी मिली थी, उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 1947 में मात्र 6 करोड़ थी । आज अकेले इस प्रदेश के पूर्वांचल की आबादी 6 करोड़ से अधिक है अर्थात आज पूरे प्रदेश की लगभग 38 प्रतिशत आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रह रही है, लगभग 7 करोड़ लोग केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं । जबकि 4.3 प्रतिशत लोग उत्तरांचल में 5 प्रतिशत बुन्देलखण्ड में और 35 प्रतिशत लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं ।

श्रीमन्, मैं पुनर्गठन के पक्ष में इसलिये हूं कि स्वाधीनता के विगत 53 वर्षों की अवधि में ये जन-अपेक्षा थीं कि इस प्रदेश का संतुलित विकास होगा, किन्तु ऐसा न होकर इसके सर्वथा विपरीत इस प्रदेश में अन्य क्षेत्रीय विषमता तेजी से बढ़ी और आज क्षेत्रीय विषमता का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है । जहां 38 प्रतिशत आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, वहां के लिए राज्य सरकार अपने वार्षिक बजट में प्राविधान न्यूनतम कर रही है, तथा जहां प्रदेश की सबसे कम आबादी है, वहां सबसे ज्यादा वित्तीय प्राविधान कर रही है । वित्तीय प्राविधान में यह जो असमानता है, उसके चलते आर्थिक गैरबराबरी और क्षेत्रीय विषमता इस प्रदेश में पिछले 53 वर्षों में तेजी से बढ़ी है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर उत्तर प्रदेश का विकास दर घटते-घटते 2.9 प्रतिशत पर आ गया जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस प्रकार आज हिन्दुस्तान के सबसे पिछड़े हुए प्रदेशों में यह प्रदेश आ गया है । प्रदेश में अधिक दयनीय आर्थिक स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की है । आज सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार पूर्वी उत्तर प्रदेश से पलायन कर हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं । आजादी के बाद जो इस प्रदेश के सामने जो बड़े ज्वलन्त सवाल थे, यदि उनका समाधान ठीक ढंग से किया गया होता तो आज प्रदेश में इतनी भयंकर क्षेत्रीय विषमता न बढ़ी होती । प्रायः उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है और उस बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप पूर्वी उत्तर प्रदेश झेलता है । मान्यवर, यह सदन अवगत है कि 1998 में जो भयंकर बाढ़ आई थी उसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था । प्रदेश में सरकार स्वयं कबूल करती है कि सन् 1998 का बाढ़ में 5 हजार करोड़ रुपया से ज्यादा की क्षति इस प्रदेश को हुई । मैं इसलिये पुनर्गठन का हिमायती हूं । सन् 1952 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रीय बाढ़ नीति घोषित करते हुये प्रदेश की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिये दो महत्वपूर्ण आयोग गठित किया था । एक गंगा नदी आयोग और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी आयोग गठित किया गया था । यह सदन इस बात से भी अवगत है कि 1952 में गठित गंगा नदी आयोग ने 1953-54 में अपनी संस्तुतियां केन्द्र की सरकार को प्रस्तुत कर दिया । यह आयोग गंगा नदी की सहयोगी नदियों घाघरा, राप्ती, गण्डक, के उद्गम स्थलों तक गया तथा इनमें आने वाली बाढ़ का विशद अध्ययन किया । आयोग ने कहा कि पूर्वांचल में प्रवाहित होने वाली नदियां, गंगा की सहयोगी नदियां हैं और यह सहयोगी नदियां नेपाल से निकलती हैं, इनके उद्गम स्थलों पर बांध बनाये जायें, नेपाल में भालू बांध बनाया जाय, पंचकेश्वर बांध बनाया जाय, करनाली बांध बनाया जाय और जलकंडी में जल विद्युत परियोजना स्थापित की जाय उस समय इन परियोजनाओं पर 33 करोड़ रु० का खर्च आना था । यदि तत्कालीन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार गंगा नदी आयोग के सुझाव के मुताबिक मात्र 33 करोड़ रुपये खर्च कर उपरोक्त परियोजनाओं को पूर्ण करा दी होती तो बाढ़ समस्या का स्थायी समाधान से गया होता केन्द्र तथा प्रदेश की अब तक सरकारों ने ऐसा न कर पूर्वांचल की जनता के साथ जबरदस्त विश्वासघात किया है इसलिए आज प्रदेश का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समाप्त करें। आप 10 मिनट से अधिक बोल चुके .

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मै एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आज बाढ़ पूर्वांचल के लिये एक वार्षिक त्रासदी बन गई है। पूर्वांचल के लोग यह उम्मीद लगाये हुये थे कि लखनऊ में बैठे सरकार चलाने वाले लोगों की निगाहें इस ओर पड़ेगी और सरकार पूर्वांचल की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन आजादी के 53 वर्षों के बाद भी पूर्वांचल की समस्याओं के समाधान नहीं किये गये। श्रीमन्, आज पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए है और जो बात कही, पूर्वांचल विकास निधि के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी डेढ़ सौ करोड रुपये दिए और इस वित्तीय वर्ष में भी डेढ सौ करोड़ रुपये दिए। जहां पर 38 प्रतिशत आबादी रहती है उसके लिए डेढ़ सौ करोड़ और जहां की आबादी केवल 4.3 प्रतिशत है, उत्तरांचल की, उसके लिए 900 करोड का वित्तीय प्राविधान किया। यह जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ाने वाली सरकार की नीति है, यह आने वाले दिनों में और भी खराब स्थिति में पूर्वी उतर प्रदेश को पहुंचा देगी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोषण सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों द्वारा भी हो रहा है। रिजर्व बैंक का मत है कि 60 प्रतिशत धन वहीं लगेगा जहां पर ये बैंक लगे हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वर्ष 99-2000 के वित्तीय वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में 74 हजार करोड़ रुपया जमा हुआ लेकिन इन बैंकों ने प्रदेश में रुपया लगाया केवल 21 हजार करोड़, सारा रुपया उसने दूसरे हिस्सों में भेज दिया। जमा अनुपात पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम केवल 15 प्रतिशत है। मान्यवर, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव पास कर उत्तरांचल को अलग करने की बात की, वह बधाई की पात्र है। उसने उत्तरांचल के बहादुर लोगों का सम्मान किया है। उत्तरांचल केवल अकेला सूबा न होकर संतुलित विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास में इस प्रदेश की भागीदारी के लिए चार और प्रदेश बने जो योजना की दृष्टि से विभाजित आर्थिक क्षेत्र में पूर्वांचल पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड चार राज्य हों। इस राज्य का प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए इस प्रस्ताव का मैं जोरदार समर्थन करता हूं। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, समय कम है, यदि 2-3 मिनट में ही अपनी बात कहनी है तो मैं कहने में असमर्थ हूं।

श्री अधिष्ठाता–

5 मिनट का समय ले लें।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, अभी जो प्रस्ताव नियम 103 के अन्तर्गत जगदीश नारायण राय जी ने रखा है और उसके समर्थन में माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है, उस पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो एक ऐसा देश नजर आयेगा जिसकी अनेक भाषाएं हैं बोलियाँ हैं, कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की फसलें हैं, कई तरह के आर्थिक क्षेत्र हैं, उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, जलवायु में विभिन्नता है, इस कारण से जो समुचित विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है। अगर पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या जलभराव और बाढ़ की है तो पश्चिमांचल की समस्या अलग है। उत्तरांचल की समस्या अलग थी और बुन्देलखण्ड जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश जलमग्न रहता है वहीं बुन्देलखण्ड की धरती प्यासी है, वहां पानी का अभाव है, वहां पीने को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अगर यह अलग–अलग प्रदेश होते तो वहां की जो मूल समस्या है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर

लिया होता । पूर्वी उत्तर प्रदेश का चाहे वह गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड हो या और कोई आयेगा । इन आयोगों की जो सिफारिश थी इनको शीर्ष प्राथमिकता पर लिया होता और समस्या का निराकरण करके विकसित प्रदेश बनाने का काम किया होता । जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ तो उसने उत्तर प्रदेश भारत और दक्षिण भारत में उसने दो तरह का मानक अपनाया । दक्षिण भरत में छोटे राज्य बने और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये चार विशाल प्रदेशों का गठन किया गया । इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने थाट एण्ड लिंग्विस्टिक स्टेट नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें कहा था, ये बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को बांटने की बात कही थी । उन्होंने एक नक्शा बनाकर प्रदेश को बांटने का काम किया था और यह कहा था कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटना चाहिये । उन्होंने तीनों भागों की राजधानी को निर्धारित किया था । पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरठ को दर्शाया था । इस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस समस्या के निराकरण के लिये इन बातों को बताने का काम किया था । उन्होंने यह भी कहा था कि पुनर्गठन आयोग जो इस तरह के निर्णय ले रहा है, दक्षिण भारत के लिये दूसरा और उत्तरी भारत के लिये दूसरा, उत्तर भारत के लिये बड़े राज्य और दक्षिण भारत के लिये छोटे राज्य इससे आगे चलकर स्थिति खतरनाक होगी आज वही दिन हमारे सामने आ गया है ।

आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन्कम बहुत कम है और बुन्देलखण्ड की उससे भी कम है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन्कम ज्यादा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग खेती पर आश्रित हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम लोग खेती पर आश्रित हैं और दूसरे उद्योग धंधों में लगे हैं । हमारे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार स्थितियां भिन्न भिन्न हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पेयजल के लिये एक मानक निर्धारित किया गया कि ढ़ाई सौ की आबादी पर एक हैंण्ड पम्प इण्डिया मार्क–II लगाया जायगा । अब इसको कम करके डेढ़ सौ का मानक किया जा रहा है । बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या को देखते हुये वहां ढाई सौ की आबादी पर एक हैंण्ड पम्प लगाने में दिक्कत होगी क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है वहीं दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां हैंण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता नहीं है । उदाहरण के लिये मैं अपने जनपद आजमगढ़ की बात कहता हूं वहां हैंण्ड पम्प की इतनी जरुरत नहीं है । मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियांव के लोग कुयें का दूषित पानी पीने के लिये मजबूर नहीं हैं । भौगोलिक दुरुहता के कारण हर क्षेत्र की समस्यायें अलग-अलग हैं । इसालिये क्षेत्र विशेष की जो समस्यायें हैं उसके हिसाब से योजनायें बनाकर विकास करें तो ज्यादा लाभ पहुंचेगा ।

प्रदेश के विभिन्न भागो की शीर्ष समस्याओं को लेकर निराकरण किया गया होता तो ज्यादा सफलता मिलती । आप देखे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसले दूसरी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें दूसरी हैं । अगर एक यूनीवर्सिटी कोई बीज ईजाद करती है तो वह किसी क्षेत्र विशेष के लिये सही हो सकता है परन्तु पूरे प्रदेश के लिये सही नहीं हो सकता । पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो बीज ज्यादा सफल होगा वह बुन्देलखण्ड के लिये उतना सफल नहीं होगा क्योंकि बुन्देलखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरी हैं । जब भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु के अनुसार रिसर्च वर्क होगा तो अधिक सफलता मिलेगी । इसलिये हमारे मनीषियों ने भौगोलिक परिस्थितियों का चिंतन करके अपनी बात कही है । पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं छोटे राज्य बनाने का समर्थन करता हूं , पार्लियामेंट के अन्दर उन्होंने जवाब दिया था कि छोटे राज्य जरुरी हैं । प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्य अधिक उपयोगी हैं । आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्मठ से कर्मठ मुख्य मंत्री चाहकर भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंच सकता है किसी दुर्घटना के होने पर । अगर प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो विकास ज्यादा होगा । चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमांचल प्रदेश हो, यह जो छोटे राज्य बने इनका विकास

अधिक हुआ है । वह आगे बढ़े, वहां कुशल प्रशासनिक क्षमता पैदा हुई । आपका इशारा हो रहा है उसको मैं समझते हुए यह कहूंगा कि यह सदन सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करके भारत सरकार से सिफारिश करे कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में पुर्नगठित करके इसको 4 राज्यों में तब्दील किया जाये । इस प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री संजय गर्ग का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम औतार शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । जब चर्चा स्वीकृत होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि जिनके दस्तख्त हों वही माननीय सदस्य बोले । चर्चा स्वीकृत होने के बाद सारे सदन के माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेते हैं । समाजवादी पार्टी इतना बड़ा दल है, इस महत्वपूर्ण चर्चा से समाजवादी पार्टी को वंचित रखा जाये, यह उचित प्रतीत नहीं होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री श्रीराम पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, समाजवादी पार्टी तो बुन्देलखण्ड बनाये जाने का विरोध कर रही है ।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही गम्भीर विषय पर इस प्रदेश की सर्वोच्च अदालत में इन तमाम जनप्रतिनिधियों और मनीषियों के सामने यह गम्भीर चिन्तन का प्रश्न आया है । निश्चित रुप से हिन्दुस्तान की आजादी के 53 साल के बाद इस तरह की मांग कोई अचानक मांग नहीं है । देश की आजादी के पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास 100–150 साल के पुराने इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने यूनाईटेड प्राविन्स आफ अवध एण्ड आगरा के नाम से 15 अगस्त, 1947 के बाद 26 जनवरी, 1950 को संविधान अंगीकृत किया गया और धर्म निरपेक्ष समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य को बनाने का शपथ लेते हुये पूरे हिन्दुस्तान के समाज का चतुर्मुखी विकास की जो बात रखी उसके पक्ष में जो 53 साल का उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा उसके कुछ प्रमुख पहलू हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चहता हूं । हमारे से पूर्व तमाम वक्ताओं की भावनाओं का कद्र करते हुये उनसे अपने को जोड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन और राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में जो फजल अली कमीशन बना उसके एक सदस्य पनिक्कर साहब थे, उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखते हुये, यहां के भविष्य को पहचानते हुये इस बात को महसूस किया । इसकी आबादी उस समय 6 करोड़ थी अब साढ़े सत्रह करोड़ है और इसका क्षेत्रफल 2,94,413 वर्ग किलोमीटर है । भाषायी आधार पर इस स्टेट को बनाया था । आजादी के 53 साल के बाद उसमें एकरुपता और समरसता आनी चाहिए थी । आज चाहे उत्तराखण्ड की खेत की मुडेर पर काम करने वाला खेतिहर मजदूर हो या बुन्देलखण्ड या अवध का खेतिहर मजदूर हो उनमें इतनी विभिन्नता है कि वह आपस में एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान भी नहीं कर पायेंगे । बिना भाषाओं और भावनाओं के आदान प्रदान के जनतंत्र में सत्ता और जनता के बीच की दूरी को मिटाकर एक अच्छी भावना के तहत किस तरह से एक चतुमुर्खी विकास के समाज का निर्माण कर पायेंगे । 53 साल के बाद .....

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री संजय गर्ग–

53 साल के बाद भी टकराव बढ़ा है, अगर बाढ़ आती है तो उसके कण्ट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है । अकाल पड़ती है तो गोदामों में अनाज भरा होने के बावजूद भूखे का पेट भरने के लिए व्यवस्था नहीं है । इस भौतिकवादी युग में किसी को बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं रखते । उत्तर प्रदेश को अपने परिवेश में देखने की बात करें तो विषमताओ और असमानताओ से भरा हुआ पूरा भौगोलिक प्रदेश है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, लिखा नहीं जायेगा ।

*श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, अमेरिका की आबादी 28 करोड़ है और प्रदेशों की संख्या 51 है ।.....

(इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

हमारे देश की आबादी एक अरब है और प्रदेश की जनसंख्या 17,50,00,000 है । मान्यवर, यदि तुलना करें तो उसके बारे में मैं थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं । मान्यवर, आजाद हिन्दुस्तान में आजाद सरकार में इस सम्मानित सदन के तमाम क्रियाकलापों को देखें तो आजादी के 53 सालो बाद हमारा उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, इसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो का प्रतिशत 32 है जबकि हरियाणा में 9 प्रतिशत, पंजाब में 7 प्रतिशत और हिमांचल प्रदेश में 12 प्रतिशत हैं । यह इस बात को दर्शाता है कि छोटे राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो बड़े राज्यों में जिस तरह से विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है । कृपया आप समाप्त करे । आपका अब नहीं लिखा जाएगा । (व्यवधान) आप बैठ जाएं । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री संजय गर्ग–

(व्यवधान) [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें, आपका नहीं लिखा जा रहा है । आप बैठ जाएं । मैंने श्री रघुबरे दयाल वर्मा जी को बुला लिया है । आप बैठ जाएं ।

श्री संजय गर्ग–

(व्यवधान) [xxx] (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका लिखा नहीं जा रहा है । आप बैठ जाएं । मैंने श्री वर्मा जी को बुला लिया है । आप कृपया बैठ जाएं ।

---

*नोट [xxx] यह अंश श्री अदिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे उतरांचल के विधायकों का विदाई समारोह आज है । लेकिन जो उतरांचल के कर्मचारी हैं वह उत्तरांचल नहीं जाना चाहते हैं उनको भी साथ साथ उतरांचल भेजा जाए । उनकी भी विदाई की जाए । वह इसलिए वहां नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां जगह खाली रहें और स्थानीय लोगो को उसमें रखा जाय ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के विभाजन के मामले में प्रस्ताव आया हुआ है । श्रीमन् आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ सबसे आगे आ गई हैं उत्तर प्रदेश का समान विकास हो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन राजनीतिक आधार पर उसके पुर्नगठन की मांग की जा रही है । भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जहाज डूबने की तरफ जा रही है इसलिए वह छोटे छोटे प्रदेश बनाने की मांग कर रही है उत्तराखण्ड की मांग हुई और उत्तराखण्ड बन गया । जो सत्ताधारी दल है वह स्वयं कह रहा है कि छोटे छोटे प्रदेश बनाओ । पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड पूर्वांचल मध्य क्षेत्र यह प्रदेश बने इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन दो तीन बातें कहना चाहता हूं । छोटे राज्य बनेंगे इससे प्रगति होगी लेकिन राजनीतिकरण से विभाजन की प्रक्रिया होगी तो उचित नहीं होगा । मेरा अनुरोध है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाए वह पूरे प्रदेश का दौरा करे एवं दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे उस रिपोर्ट के आधार पर विभाजन की प्रक्रिया होगी तो वह वैधानिक होगी, भौगोलिक होगी उस आधार पर विभाजन की रुप रेखा बनेगी इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना की संस्तुति की जाए एवं राज्य पुनर्गठन आयोग बने वह दौरा करके अपनी रिपोर्ट दे उस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाय । यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे नियम 103 के अन्तर्गत चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कई माननीय सदस्यों ने अपने -अपने विचार रखे और कई ने तो बड़े जोर से यह कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रदेश है । यदि छोटे-छोटे राज्यों में बंट जाय तो विकास हो जायगा । इस पर मेरा और समाज वादी पार्टी का बहुत स्पष्ट विचार है कि जो लोग प्रदेश को छोटा करने की साजिश कर रहे हैं उनकी मंशा विकास की नहीं है । जैसा हमारे साथियों ने कहा तो यह मान भी लिया जाय कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा अलग कर दिया जाय क्योंकि वहां से ही पैदा किया गया अनाज अन्य क्षेत्रों में जाता है या अमुक जगह अमुक फसल होती है और अन्य जगह नहीं तो पूर्वांचल पर कोई इनायत करने काम कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस प्रदेश के समस्त नागरिकों का अधिकार एक बराबर है । इन्हें आंकडों में उलझाया नहीं जा सकता ।

उत्तर प्रदेश विकास की राह पर क्यों पिछड़ गया हमें इस बात पर विचार करना चाहिए । इससे कोई फायदा नहीं कि बुन्देलखण्ड भूखा है नंगा है इसलिए इसे अलग कर दीजिये उसका विकास हो जायगा । उत्तरांचल बनने के बाद सबसे बडी समस्या आ रही है कि आपका वार्षिक रिवेन्यू 700 करोड थी तो अब 600 करोड ही रह जायेगी । कब तक दिल्ली सरकार और अन्य जगह कटोरा लेकर भीख माँगोगे । जो राज्य अपने राजस्व का अपनी आय का विकास नहीं कर सकता अपने विकास कार्यों का निर्वाहन नहीं कर सकता तो उस राज्य का विकास पुर्नगठन से नहीं हो सकता । छोटे-छोटे राज्यों का गठन कौन करना चाहता है ? वह है आर०एस०एस० । जिसके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है । ज्यादा राज्य होंगे तो आर०एस०एस० के जिलो की संख्या भी ज्यादा होगी यही बात है और

कुछ नहीं । अभी आप कहें कि छोटे राज्यों का विकास संभव है तो यह बात गलत है । आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिये । जहां से खतरा हो सकता है वहां भी यह कहा जा रहा है कि लेह अलग कर दीजिये, जम्मू अलग कर दीजिये । मान्यवर, जो लोग यह कह रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर यह बहुत बड़ा प्रदेश है और कल यही कहने लगेंगे कि देश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा देश नहीं चल सकता है, इसलिये इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिये जायं । प्रदेश बड़ा होने के कारण प्रशासनिक आधार पर मुख्य मंत्री प्रदेश के दूसरे कोने में नहीं पहुंच सकता है, यह बिल्कुल गलत बात है ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, अब मैं भाषाई सवाल पर आता है । इस सदन में बैठे प्रत्येक सदस्य को इस बात का गर्व है कि हिन्दी को हमने सदन की भाषा के रुप में अपनाया है । मान्यवर, यहीं पर दो माननीय सदस्यों ने उर्दू में शपथ लेनी चाही थी जबकि यह भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त है फिर भी उनके बारम्बार आग्रह करने के बावजूद भी उन्हें हिन्दी में शपथ दिलायी गई । कल कोई यह कहने लगे कि बुन्देलखण्ड के रहने वालों को हिन्दी में बोलने में कठिनाई होगी इसलिये बुन्देलखण्ड की भाषा होनी चाहिये । यह राष्ट्रीय एकता के लिये सहायक नहीं होगा । इसलिये मेरा और समाजवादी पार्टी का यह निश्चित मत है कि अपने देश और किसी दूसरे प्रदेश का बटवारा नहीं होना चाहिये । आसाम को 7 छोटे-छोटे राज्यों में बांट दिया गया । आज वहां पर ला एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है । सामाजिक स्थिति क्या है । वहां के लोगों का जीवन स्तर क्या है । अगर इस प्रदेश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, यह इस देश का हृदय प्रदेश है, इस प्रदेश की भी दुर्दशा होगी और इसके निवासियों की भी दुर्दशा होगी और उसका विकास संभव नहीं हो पायेगा । इसलिये इस प्रस्ताव का मैं पुरजोर विरोध करते हुए किसी भी छोटे राज्य के निर्माण का विरोध करता हूं । धन्यवाद

(श्री राम औतार शाक्य जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर चर्चा समाप्त हुई । इस पर बहस सवा घण्टे से ज्यादा हो गई है । भूले-भटके कभी हमें भी अपना विवेक इस्तेमाल करने दीजिये । 311 की सूचना के साथ मैं मद संख्या–22भी ले रहा हूं । मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास हेतु प्रदेश को चार भागो (पूर्वांचल, पश्चिमांचल, माध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड) में बांटने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम 311 के अन्तर्गत दूसरी सूचना आरक्षण से संबंधित है जो श्री राम जग जी की, विनोद मणि जी की, राम कृपाल जी की और श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी की है ।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

समय निकाल कर आपकी बात सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश के चार राज्यों में विभाजन के संबंध में आयी सूचना के बाद आप पहले कौकब साहेब की सूचना को लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यवाही निकालकर देख लें । मैं उसी के अनुसार कार्यवाही कर रहा हूं ।

श्री रामजग–

अध्यक्ष जी, आज महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं.....

उत्तरांचल के विधायकों के साथ फोटोग्राफ कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

इसके पूर्व कि माननीय रामजग जी आप अपनी बात प्रारम्भ करें एक छोटी सी सूचना है, जो मैं सदन को देना चाहता हूं । हमारे जो वो विधायक हैं जो उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र से निर्वाचित हैं उनका एक फोटोग्राफ करने के लिये अभी हम उठेंगे थोड़ी देर के लिये । आप लोग कहें तो हम सदन को 2.15 बजे तक स्थगित करने के पश्चात् रामजग जी की सूचना ले लें । सभी 22 माननीय विधायक जो उत्तरांचल में जाने वाले हैं मैं चाहता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनका एक छोटा सा फोटोग्राफ जो हमारे विधान भवन का मुख्य पोर्शन है उसके दरवाजे के पास ले लें यह एक फोटोग्राफ स्मरण के लिये रहेगी । इसलिये मैं सदन को 2.15 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 1 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन के पुनः प्रारम्भ होने पर)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

अभी आरक्षण वाले पर जो चर्चा चल रही थी उसमें अगले वक्ता हैं श्री रामजग जी । रामजग जी की सूचना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण न दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

श्री रामजग–

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । आज मान्यवर 17 करोड़ की आबादी है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या 23 परसेन्ट से ज्यादा है । मान्यवर, बी० जे० पी० की सरकार जब से शासन में आई है यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा आज तक पूरा नहीं किया गया है । यहां तक कि कारपोरेशन और फेडरेशन में आरक्षण की स्थिति दयनीय है, चाहे वह कताई मिल हों चाहे चीनी मिले हों, अपट्रान हो चाहे स्पिनिंग मिलें हों इन सबमें आरक्षण का कोटा 3 से 5 प्रतिशत है कहीं इससे ज्यादा नहीं है । यहां तक कि शिक्षा विभाग में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कालेज मेडिकल कालेज में आरक्षण नहीं के बराबर है । जो उद्योग सरकारी नियंत्रण में चल रहे हैं या पब्लिक सेक्टर हैं यहां आरक्षण का कोटा पूरा करने के बजाये जो भी पद रिक्त हैं सरकार उन रिक्त पदों को समाप्त कर रही है । कई विभागों में सिंचाई विभाग, पी० डब्लू० डी० विभाग और दूसरे विभागों में कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है । यह सरकार आरक्षण के खिलाफ कार्य कर रही है । लगभग 7 हजार पिछले साल भर्ती हुई हैं इसमें आरक्षण कोटा पूरा नहीं है । यह दुर्भाग्य की बात है । शिक्षण

संस्थाओं में इस सरकार ने अब कोई कदम नहीं उठाया है । न तो पूरे प्रदेश में किसी विभाग में अभियान चलाकर आरक्षण का कोटा पूरा कर रही है । पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों का आरक्षण का कोटा पूरा करने के बजाय जो रिक्त पद हैं उनको भी सुनियोजित ढंग से समाप्त करने आरक्षण विरोधी काम यह सरकार कर रही है । मान्यवर, यह सरकार का जो रवैया है, मैं समझता हूं कि इस विधान सभा की एक कमेटी बना ली जाय कि क्या कारण है जो आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पाया है ? विभागों में जो पदोन्नति के पद हैं उसमें अर्हताओं में छूट देकर क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है । अनुसूचित जाति के जो पदोन्नति के पद हैं उनको भरने का कोटा अभियान के तौर पर क्यों नहीं किया जा रहा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि कोटा पूरा किया जाय और यह एक अभियान चलाकर, समयबद्ध तरीके से हर विभाग में कोटा पूरा करें । जो भी अधिकारी आरक्षण का कोटा पुरा करने के बजाय रोकने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, चाहे कोई विभाग हो, फेडरेशन, निगम, कारपोरेशन या शिक्षण संस्था हो उसमें कोटा पूरा कराया जाय । एक कमेटी गठित की जाय इस विधान सभा की जो यह जांच करें कि क्यों नहीं कोटा पूरा किया जा रहा है । यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय मामला है । मैं चाहूंगा कि इसमें सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय । यह तात्कालिक विषय है इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण कोटे को भरने का काम बन्द कर दिया है । हर विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको समाप्त कर दिया है । पदोन्नति के जो पद हैं, उसमें अर्हताएं हैं उसमें छूट देकर यह सरकार उन रिक्त पदों को नहीं भर रही है । हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद से उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गयी है । यह सरकार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी करने का काम कर रही है । 23 प्रतिशत से ज्यादा आबादी होने के बाद भी चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र मे हो या किसी क्षेत्र में हो जो जिस अनुपात में उनको कोटा मिलना चाहिए था वह नहीं दे रही है । उसको वह पूरा नहीं कर रही है ।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो जायेगी और अपराधों का नियंत्रण करना किसी के वश में नहीं होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है, कहने के लिए तो सरकार उसको लागू करने का ढ़ोग तो करती है लेकिन उसका क्रियान्वयन सही ढ़ंग से आज तक नहीं किया गया है और यही कारण है कि आज समस्त नौकरियों को मिलाकर मात्र 10 प्रतिशत आरक्षित पद ही भरे जा सके हैं इसका मात्र कारण यह है कि, ऐसा नहीं है कि शिक्षित नौजवानों की कमी है, ऐसा नहीं है कि उनमें योग्यता की कोई कमी है, ऐसा भी नहीं है कि उनमें किसी प्रकार की प्रतिभा की कमी है मान्यवर, उसमें जो आरक्षण देने वाले लोग है केवल उनकी नीयत में खोट है, उनकी मंशा ठीक नहीं है यही कारण है कि आरक्षित

सीटों को खाली रखकर सामान्य लोगों को उसमें भर्ती करके उसका फायदा अपने लोगों को पहुंचाने का काम करते रहे हैं । अभी-अभी टाण्डा और तापीय विद्युत परियोजना में ढ़ाई सौ इंजीनियर के पद थे जिसमें प्रमोशन होकर एक-एक पद पर ए० ई० और अधिशासी अभियन्ता को जाना था, 250 पद उस जाति विशेष के लिए आरक्षित थे लेकिन इस सरकार ने उस पर सभी सामान्य लोगों की भर्ती कर लिया है । जब उनसे पूंछताछ की गयी तो उन्होंने एक लाइन की चिट्ठी लिख दी कि इतना कार्यकाल पूरा होना चाहिए था । मान्यवर, कार्यकाल भी पूरा था और शर्तें भी पूरी थी लेकिन उनकी मंशा नहीं थी । इसलिये टाल-मटोल करके फर्जी चीजों का सहारा लेकर उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया गया । मान्यवर, 1997 में जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में इस आरक्षण व्यवस्था को ठीक ढ़ंग से लागू कराने के लिए बहुत कड़ाई की गयी थी, प्रयास किये गये थे कि जो रिक्त जगहें हैं उनको भरा जाय ताकि पूरे प्रदेश में भाई चारा पैदा हो और किसी के हितों के साथ खिलवाड़ न हो ।

इसलिये मान्यवर, चाहे वह पुलिस महकमा रहा हो, चाहे प्रशासनिक महकमा रहा हो हर जगह पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़े लोगों को, माइनारटीज के लोगों को और यहां तक कि सामान्य वर्ग के लोगों को बराबर आरक्षण देते हुए हर जगह उनको पहुंचाने का काम किया था । लेकिन आज पुलिस कप्तानों की सूची उठाकर देखी जाय तो 85 फीसदी पुलिस कप्तान केवल एक वर्ग विशेष के हैं । इसी प्रकार से जिलाधिकारियों की सूची उठाकर देखो तो 90 फीसदी जिलाधिकारी एक ही वर्ग विशेष के हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो आज समायोजन में भी अनदेखी की जाती है उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है तो इसमें सरकार को निगाह रखनी चाहिये । आज होता यह है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोगों को संरक्षण देने के बजाय उन पर जुल्म ज्यादती होती है और उनको न्याय नहीं मिलता है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हायर एजूकेशन में चाहे ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कालेज की पढ़ाई हो, उनमें सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को पिछड़े वर्ग के बच्चों को एडमिशन ही नहीं कराया जाता है टेस्ट के नाम पर ऐसे लोगों को वंचित कर दिया जाता है । अब मान्यवर, मेडिकल कालेजों को प्रबन्ध तंत्र को दिया जा रहा है समितियों को दिया जा रहा है इसके पीछे भी इस सरकार की गलत मंशा छिपी हुई है वे चाहते हैं कि अगर सरकारी तंत्र से मेडिकल कालेज चलाये जायेंगे तो संविधान के तहत आरक्षण देना अनिवार्य होगा । लेकिन, अगर समितियों में चला जायेगा तो वहां आरक्षण लागू हो या न हो इसमें सरकार की जवाबदेही नहीं रहेगी । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के निर्देश आपके माध्यम से जारी होने चाहियें जो प्रबन्ध की संस्था है या निगम हैं लिमिटेड हैं, या प्राइवेट फर्म हैं या सरकारी तंत्र हैं हर जगह पर जो संविधान की मंशा है, उसके अनुरूप अनु० जाति जनजाति के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनके लिये आरक्षण की व्यवस्था की गयी है उनको आरक्षण मुहैय्या कराया जाये । जो साजिश चल रही है उससे उक्त वर्ग के लोगों में भारी असंतोष है । यह असंतोष जनाक्रोश, आन्दोलन के रूप में बदले, इससे पहले इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी मौका दे दें ।

मान्यवर, भारत के संविधान में यह आरक्षण के सम्बन्ध में अनुच्छेद 335 से 340 में व्यवस्था की गयी है । उसके तहत उत्तर प्रदेश में मान्यवर, 27 परसेंट अन्य पिछड़ी जातियों के लिये और 23 परसेंट अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये व्यवस्था की गयी है । आज मान्यवर, जो हालात हैं जब पिछली बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में यहां सरकार थी भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार

थी, उस समय विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था जो पद रिक्त हैं उनको भरने के लिए। परन्तु इस सरकार के आते ही हाई कोर्ट के आदेश का सहारा ले लिया गया है यह बात कही जा रही है कि उसमें विशेष भर्ती अभियान नहीं चलाया जा सकता है। इसको लेकर के विशेष याचिका एस० एल० पी० द्वारा यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गयी और न आरक्षण अधिनियम में संशोधन कर विशेष भर्ती अभियान चलाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया ताकि जो बैंक लॉग है वह पूरा हो जाता। मान्यवर, यह सरकार जिस मानसिकता की सरकार है यह कहते हैं कि हम संरक्षण देने वाली सरकार हैं तो संरक्षण के लिये क्या उपाय किये हैं ? मान्यवर, आज मेडिकल कालेज के पदों के लिए इस सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है जिसमें लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियां होंगी और इस अधियाचन के द्वारा लोक सेवा आयोग में कार्यवाही हो रही है। आज इस सरकार ने एक सुनियोजित साजिश करके आरक्षण अधिनियम को लागू न करने का मन बना लिया है। आज मेडिकल कालेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों का एकाधिकार है, वहां पर दूसरे बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट के लोग न आने पावें, लोक सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचन को निरस्त कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध जो चिकित्सालय हैं, उन सबकी सोसाइटी बनाकर उसमें देने का काम यह सरकार करने जा रही है। हाईकोर्ट ने इसकी घोर निन्दा की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार की सम्पत्ति है, अरबों-खरबों की सम्पत्ति है, उसे कैसे एक सोसाइटी को दिया जा सकता है ? यदि यह निजी तंत्र को चला जायेगा तो वहां पर आरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और आज जिनका एकाधिकार है, उन्हीं लोगों की लेक्चररशिप बनी रहेगी। यह एक साजिश है।

इसी तरह उच्च शिक्षा में आप देखें। शेड्यूल कास्ट का बेटा आई० ए० एस० के काबिल हो गया है लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कालेज हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं, उसमें उठाकर देख लीजिये कि शेड्यूल कास्ट का बेटा आई० ए० एस० बन सकता है, चीफ सेकेट्री बन सकता है, कैबिनेट सेकेट्री बन सकता है, लेकिन वह लेक्चरर बनने लायक नहीं हो पाया है, यह अपने चश्में की निगाह में अभी उसको नहीं रख पाये हैं। आज यह एक मंशा के तहत आरक्षण अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार थानेदारों की भर्ती में अन्याय किया जा सके, इसलिये इसको समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, माननीय राम ललित चौधरी जी ने इसी सिलसिले में सवाल किया था, उसका जवाब आया है, उसमें इसी तरह के लूपपोल सरकार खोज रही है ताकि आरक्षण अधिनियम को निष्प्रभावी किया जाय ताकि बैकवर्ड क्लास और शेडयूल कास्ट के लोगों को बाहर रखा जा सके। इसी मंशा के तहत केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये रिटायर होने की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी। मैं बताना चाहूंगा कि वहां प्रत्येक वर्ष लगभग 9 लाख कर्मचारी रिटायर होते हैं और इस प्रकार 2 साल में 18 लाख हुये चूंकि 50 प्रतिशत कोटा भरा जाना है, इसलिये वह न आने पाये, इसलिये 58 से 60 साल की उम्र कर दी गयी।

इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा कभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर, कभी हाईकोर्ट का सहारा लेकर इस आरक्षण अधिनियम को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में जो छात्र आये जो आरक्षण अधिनियम की अवधारणा है, उसके अनुसार 50 प्रतिशत सामान्य होगा। 50 प्रतिशत में जो भी आ जायेंगे, वह सामान्य ट्रीट किये जायेंगे। इस बार मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में जो बच्चें आये, उनकी काउन्सिलिंग शुरू कर दी गयी, पहले बैकवर्ड क्लास की उसके बाद शेडयूल कास्ट की। जो सामान्य मेरिट में आया ताकि वह बैकवर्ड क्लास में अपना स्थान ले, इसी प्रकार जो सामान्य में आया है वह शेडयूल कास्ट में अपना स्थान ले ले ताकि 50 प्रतिशत स्थान सवर्णों से भरा जा सके। इस सबको लेकर मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और अन्य विद्यार्थियों में भारी असंतोष है इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय को ग्राह्य कर चर्चा कराने की आप कृपा करें।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा पीठ के प्रति किये गये अशोभनीय आचरण के सम्बन्ध में श्री अधिष्ठाता के निर्देश

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 311 की सूचना है । इस पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं । मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । अपवाद स्वरूप मैंने माननीय वर्मा जी को सुन लिया ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध कर रहा हूं मैंने वर्मा जी को सुनते समय कहा था कि मैं वर्मा जी को अपवाद स्वरूप सुन रहा हूं । रामतेज जी आपके इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें । आप अनुचित बात कर रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

उनका नाम कहां है जो आपने अनुमति दी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पीठ के विवेक पर है, आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आपकी जो मर्जी होगी आप पीठ पर आरोप लगायेंगे ? आप कृपया बैठें । मैं माननीय रामतेज यादव एडवोकेट जी के असंसदीय आचरण का संज्ञान ले रहा हूं । हम दादागीरी के आधार पर सदन को चलाने की अनुमति नहीं दे पायेंगे । मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें । हम आपको असंसदीय आचरण की अनुमति नहीं देंगे । मैं आपके अशोभनीय आचरण की निन्दा करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आप कृपया सूची देखें, बरखू राम वर्मा का नाम उसमें नहीं है, आपने उनको क्यों बुलवाया ?

श्री अधिष्ठाता–

आपको यह पूछने का अधिकार नहीं है । यह पीठ का विवेक है । आप अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त करेंगे, आपने पीठ के ऊपर आक्षेप किया है । मैं सचिव को निर्देश दे रहा हूं कि आपके इस अशोभनीय आचरण को कार्यवाही का हिस्सा बनाकर इसमें समुचित कार्यवाही की जाये । माननीय रामतेज जी ने जो सदन के अन्दर अशोभनीय आचरण किया, मैं उसका संज्ञान ले रहा हूं और निर्देश दे रहा हूं कि इसमें कार्यवाही की जायें । दादागीरी के आधार पर सदन नहीं चलेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

आप दो दिन से ऐसा ही कर रहे हैं ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गये और नारे लगाने लगे–''यह सरकार बदलनी है, यह सरकार बदलनी है'' ।)

(व्यवधान)

आप वरिष्ठ सदस्य हैं । सदन के अन्दर किसी गरिमा के साथ आचरण करें । अनुचित दबाव के द्वारा आप पीठ पर सवालिया निशान लगायेंगे, इस बात की इजाजत कदाचित नहीं दी जा सकती । आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

समाजवादी पार्टी आपकी मोहताज नहीं है ।

(माननीय, सदस्यों के अपने आसन पर न जाने पर ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करता हूं कि वह अपने माननीय सदस्यों से अपने आसन पर जाने के लिये कहें ।

(शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मेरी बात सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रामतेज जी अपने आसन पर जायं ।

श्री वसीम अहमद–

हम लोग नहीं जायेंगे, पहले रामतेज जी बोलेंगे ।

(दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी के नारे लगाये गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

अपवाद स्वरूप मैं वर्मा जी को सुन रहा था । आपके हस्ताक्षर भी इसमें नहीं हैं । आप पीठ के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और आरोप भी लगायेंगे ।

(फ्लोर पर आये हुए सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

श्री वसीम अहमद–

हम चेयर की इज्जत करते हैं । आप रामतेज यादव जी को सुन लें । उनको बोलने की अनुमति आप दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन पीठ के निर्देशों से चलेगा आपके निर्देशों से नहीं चलेगा । आप जो कह रहे हैं वह अपने स्थान से कहिये । वेल में खड़े होकर कही गयी कोई बात नहीं लिखी जायगी और नहीं सुनी जायगी, आप लोग अपने आसन पर जायं ।

एक मा० सदस्य–

बरखूराम वर्मा जी को क्यों बुलवाया, इनको भी बुलवायें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है, आप लोग अपना आसन ग्रहण करिये ।

(वेल में खड़े सदस्य अपने आसन पर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता जी, राम तेज यादव जी को बुलवा दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल मेरा आपसे अनुरोध है, मैंने कहा था कि माननीय वर्मा जी आपके हस्ताक्षर नहीं है । उन्होंने कहा कि दो मिनट का समय दे दीजिए । मैंने कहा कि अपवाद स्वरूप आपको दो मिनट सुन लेते हैं । यहां पीठ पर आरोप लगाया गया, यह कहा गया कि पीठ से पूछ लिया जाये कि अमुक सदस्य को कैसे सुन लिया गया ?

श्री धनीराम वर्मा–

एडजस्ट करिये ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके लिये माननीय सदस्य को खेद व्यक्त करना होगा । माननीय नेता विरोधी दल मैं आपके निर्देशानुसार अवसर दूंगा । लेकिन उनको अपने आचरण के लिए खेद व्यक्त करना होगा । मैं संज्ञान ले चुका हूं । माननीय सदस्य के खेद व्यक्त करने के बाद ही सुनूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा । जब दूसरें व्यक्ति को आपने बिना दस्तखत के बोलने की अनुमति दे दी तो इन्हें भी देना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं संज्ञान ले चुका हूं । माननीय सदस्य पहले खेद व्यक्त करें । सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग ठीक नहीं है । सदन में जो मर्जी मुंह में आये उस भाषा का प्रयोग करें यह उचित नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर आपने संज्ञान ले लिया है तो वह पीठ के प्रति खेद व्यक्त कर देंगे । उन्हें आप दो मिनट का समय दे दें ।

(श्री राम तेज यादव जी के खेद न प्रकट करने पर ।)

मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम तेज यादव जी, जब तक आप अपने द्वारा सदन के सम्मुख किये गये आचरण के प्रति खेद व्यक्त नहीं करेंगे । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाये ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर ।)

(श्री वसीम अहमद, श्री अफजाल अहमद, श्री सुधाकर सिंह, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री सरवर अली खां एवं श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर सहित समाजवादी के अनेक माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये तथा दलित विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें । मा० संसदीय कार्य मंत्री ।

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वेल में नारे लगाये आरक्षण विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजकर 5 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 3 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

अभी एक प्रकरण हो रहा था थोड़ा सा दुखद । नेता प्रतिपक्ष ने तो खेद व्यक्त कर दिया है । लेकिन आदर्श स्थिति वह होती अगर रामतेज जी नेता प्रतिपक्ष के बजाय खेद व्यक्त करते ।

श्री रामतेज यादव "एडवोकेट"–

कोई ऐसी बात मेरी तरफ से नहीं हुई लेकिन अगर उनको इस सम्बन्ध में कष्ट हुआ है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रकरण मैं समाप्त करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आरक्षण के बारे में मैं समझता हूं कि काफी लोगों ने अपने विचार रख लिए ।

* श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा । मान्यवर, यह विषय अत्यन्त महत्व का है । यह सभी लोगों के संज्ञान में है कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है । कड़ाई से पालन होता तो बार–बार जो समय बढ़ाया जा रहा है उसकी आवश्यकता न पड़ती । यह सर्व विदित है कि पहली बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री मा० मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने अनुसूचित जातियों/जनजातियों पिछड़े वर्ग के भाइयों चाहे मुस्लिम भाई हो सबको व्यवस्थित जगह पर रिजर्वेशन के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तहत लाभ पहुंचाने का काम किया उसके बाद बहुत से लोग आए किन्हीं कारणों से दबाव वश इसमें शिथिलता बरती । मुलायम सिंह जी ने रिजर्वेशन दो प्रतिशत बढ़ाया भी । वह न्यायसंगत था विधि सम्मत और संविधान सम्मत भी था । लेकिन बाद में इसमें काटपीट और नुकसान पहुंचाने का काम किया गया । मैं सारी बातों में नहीं जाऊंगा नहीं तो विस्तृत हो जायगा । प्रदेश की मौजूदा सरकार की नीयत में इतनी खोट हो गई है कि वह अनुसूचित जातियों/जनजातियों और बैकवर्ड लोग जो हैं चाहें वह मुस्लिम भाई हों या हिन्दू उनके साथ दोहरी नीति की जा रही है आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार और इनके जिम्मेदार लोग जो लगे हुए हैं और जो समाज के दलित हैं, उपेक्षित हैं,परेशान हैं जिनको नौकरियों में, इंजीनियरिंग में या दूसरी जगहों पर नौकरी मिल गई है पी०ए०सी० में भी सबको बाईपास किया जा रहा है । सारे लोग असंतुष्ट हैं इस सरकार से । सारे जिले के आँकड़े मँगवा लीजिये सब संतुष्ट हो जायेंगे । मेरे जनपद मे एक व्यक्ति है वह अपने आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का रिश्तेदार बताता है और थानाध्यक्ष बन गया है सारे बहराइच जिले का सत्यानाश कर दिया है उसने । इस सरकार में आरक्षण की अवमानना हो रही है । पिछले दिनों में मैंने सवाल किया था आपने मुझे बोलने का अवसर दिया था मैंने कहा था कि पिछड़ी जाति में मुसलमान जाति के पिछड़े लोगों को कहाँ पर कोतवाल, दरोगा रखा गया है । सब अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है । हमारे मुलायम सिंह जी ने आरक्षण दो प्रतिशत बढ़ाकर सबको न्याय दिया था । यह लोक महत्व का विषय है इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन इससे मौजूदा सरकार को कोई मतलब नहीं है । समाज में जो यह अंतर पैदा किया जा रहा है इसी कारण समस्यायें गम्भीर होती जा रही हैं । कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वित्त मंत्री जी चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं है अतः आप सरकार की ओर से पक्ष रख दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार किंकर्तव्य विमूढ़ है । यह बड़े शर्म की बात है ।

(इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री जी के आने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ा थक गये हैं तब तक मैं कुछ कहना चाहता हूं । इस समय चर्चा गर्म है कि मुख्य मंत्री जी का परिवर्तन हो रहा है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यही तो पता करने नहीं गये थे कि कौन मुख्य मंत्री बन रहा है ? कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है यदि हुआ है तो सदन को भी बता दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं जहां गया था किसी को पता हो या न हो प्रमोद जी को जरूर पता होता है । मान्यवर; आरक्षण को लेकर श्री रामजग जी, वर्मा जी और बाद में रामतेज जी ने काफी कुछ कहा और यह दोष हम पर लगाया कि हर आरक्षण कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं । मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं और सरकार के आने के बाद अब तक लगभग 46 से 48 हजार नौजवान सर्विस में आये हैं और सभी जगह आरक्षण का पालन किया गया है कोई भी उँगली नहीं उठा सकता । उनके समय में जितने भी लोग सर्विस में आये हैं उन पर कोटे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है । एक बात कही जाती है बार बार कि पुराने जो पेंडिंग मामले हैं उसमें सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । स्वतः कारण भी बताये गये । माननीय बी०आर० वर्मा जी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का सहारा ले लिया गया । हाई कोर्ट के आदेश का सहारा नहीं लिया जाता है उसका अनुपालन किया जाता है । यह तो एक तरह से उच्च न्यायालय के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी है कि उन्होंने हमारे सहारे के लिए आदेश पारित किया हो उन्होंने तो

यह आदेश इसलिये पारित किया कि उस समय प्रदेश सरकार के सामने और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम तो कन्डक्ट कर रहे हैं उसके बाद मे जो निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। एक आरोप लगा दिया गया कि अरबों रुपये की सम्पत्ति हड़पने के लिये सोसाइटी बनायी जा रही है जिस पर हाई कोर्ट ने लताड़ दिया है। इस तरह का आरोप लगा दिया गया। मान्यवर, हम तो कोई सम्पत्ति पर कब्जा करने वाले नहीं हैं। आपका पदारुढ़ 6 महीने के लिये हुआ था उसमें अरबों रुपये की सम्पत्ति का ट्रस्ट बनाकर जीवन भर उस सम्पत्ति के मालिक बनने का काम किया ...

(दो तीन सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

हम लोग जो सरकारी सम्पत्ति के रक्षक के रूप में बैठे हैं और आपसे भी अपेक्षा करते थे कि जब आपको मौका मिला था आपकी यदि यह भावना रही होती जो हमारी है तो आप यह टिप्पणी न करते। मैं स्पष्ट रूप से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण का जो प्रारूप है उसका पालन कर रही है और उसका पालन करती रहेगी। दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का इस पार्टी की सरकार में विश्वास है। मान्यवर, यह जो सूचना दी गई है, इसको कोई बल नहीं है अतः इसको निरस्त किया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर,माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था वह दिया था लेकिन यदि इस सरकार की मंशा साफ होती तो वह सुप्रीम कोर्ट में एस०एल०पी० दाखिल करने गई होती लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मान्यवर, एक बात और कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण के विषय में बहुत ही विरोधी है। टांडा तापीय विद्युत परियोजना में ई०एक्स०ईएन० के आरक्षित पद थे लेकिन उसमें सामान्य लोगों को भर्ती किया है। मेरा कहना है कि जो इसमें दोषी है जिसने ऐसा आरक्षण विरोधी कार्य किया है। उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करे। क्या सरकार ने आरक्षण नीति को सुरक्षित ढंग से पालन करने के लिये कोई नीति तय की है।

श्री अध्यक्ष–

अभी और भी कार्य शेष हैं। माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद ...

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी एक बिन्दु माननीय प्रमोद कुमार जी ने उठाया था। यह मीडिया में भी आ गया है। ....

श्री अध्यक्ष–

उसका हम संज्ञान नहीं लेते हैं। वह अलग मुद्दा है। अगली सूचना माननीय स्वामी प्रसाद जी की स्पेशल कम्पोनेन्ट की ....

श्री बी०आर०वर्मा–

जिस तरह से केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति की प्रोन्नति में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो सकता केन्द्र सरकार ने इस पर सलाह लेते हुए संविधान में संशोधन करके इसको बहाल किया उसी तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बैकवर्ड, एस०सी० के आरक्षण को पूरा करने के लिये हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है जिसके तहत स्पेशल भर्ती अभियान नहीं चलाया जा सकता है। आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गये। जो उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम है उस अधिनियम में संशोधन करके विशेष भर्ती अभियान चलाने का प्राविधान हो सके। क्या इस तरह का कोई संशोधन करने पर विचार करेंगे या संशोधन करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

संविधान में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है । यह नियम अधिनियम की बात कर रहे हैं, आरक्षण नहीं दिया, लेकिन बैक लाग को खत्म करने के लिए पुरानी रिक्तियों को खत्म करने के लिये प्रदेश सरकार की नीति है । उसमें है कि किस तरह से शासन तंत्र में कर्मचारियों को कम किया जाय, हमारी नीति है कि हम उन पदों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं जो अनुपयोगी सिद्ध होते हैं ।

श्री बी०आर० वर्मा–

पद भरे न जाएं लेकिन जो हैं उनको खत्म न किया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

बात आ गई है बहुत से माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे बहुत से माननीय सदस्य असंतुष्ट होंगे ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित विरोधी है यह पिछड़े वर्ग की विरोधी है सरकार के इस आरक्षण विरोधी रवैये को देखते हुए मैं सदन से अपने दल के साथ बर्हिगमन करता हूं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बर्हिगमन किया।)

श्री रामजग–

सरकार आरक्षण विरोधी नीति अपना रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री रामजग ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचना जिस विषय पर दी है वह विषय नियम 56 में नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के महत्वपूर्ण दायित्व के बारे में विस्तार से बात कहूं तो सदन भिज्ञ है, इतना कहकर मैं उसे परिभाषित करना चाहूंगा –

"गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागूं पाँय,
बलिहारी गुरु आपकी गोबिन्द दियो बताय । "

जिन शिक्षकों की इतनी महत्ता है गुरु का स्थान ईश्वर के बराबर दिया गया है तो उनको कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है और भी ऐसे पद हैं जिनका महत्व है, अभियन्ताओं का महत्व है वह अगर पैन बनाते हैं, गगनचुम्बी अट्टालिकायें बनाते हैं या उनके द्वारा भवन आदि जो भी निर्मित होता है उसको ठीक कराया जा सकता है लेकिन जो शिक्षकों का दायित्व है उन शिक्षकों के दायित्व के प्रति उदासीनता होती है कोई कमी शिक्षकों की तरफ से होती है तो एक बार अगर पीढ़ी में खराबी आ गई तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है तो शिक्षक तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग इस समाज का है जो नई पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करते हैं उनका मुस्तकबिल बनाते हैं, मुल्क की तकदीर बनाते हैं । पांच लाख शिक्षकों के बारे में मुख्य मंत्री और मंत्रि परिषद् ने फैसला लिया है पूर्व में, और जितने सरकारी कमीशन बैठे हैं चाहे तीसरा, चौथा कमीशन बैठा हो जो वेतन आयोग को संस्तुतियां आई हैं उसको शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों पर लागू किया है लेकिन पंचम वेतन आयोग को राज्य कर्मचारियों के लिए ही लागू किया गया है जिसके कारण लाखों शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है । आपने देखा पूरे प्रदेश में एक जुटता के साथ लाखों लोग इकट्ठे हुए । गैर सरकारी संगठनों को कहना पड़ा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे । वह सरकार से लड़ना नहीं चाहते हैं उनको पांचवें वेतन आयोग की

सिफारिशें दिलवा दें और पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें नहीं लागू हुईं तो भविष्य में छठे वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी वह उसकी परिधि से भी बाहर हो जायेंगे । उनको उसका लाभ नहीं मिल पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें आपकी बात आ गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के शिक्षकों के लिये जो मंत्रि-परिषद् ने फैसला लिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी 26 तारीख को वायदा किया था आप कब यह वायदा पूरा करेंगे । आठ महीने हो गये हैं । यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और अविलम्बनीय भी है आप सरकार को निदेशित करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मौके पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये आभारी हूं । मान्यवर, जो बात माननीय पाल जी ने कही है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह निर्णय नीतिगत निर्णय है और ऐसी परिस्थितियां आयी थीं प्रदेश सरकार के सामने चौथे वेतन आयोग के समय, उस समय भी सौभाग्य से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस समय जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे और श्री लोक पति त्रिपाठी जी जो यहां पर बैठे हैं वह भी मंत्री थे और उस समय भी निर्णय लिया गया था कि जैसे-जैसे वेतन आयोग की संस्तुतियां आयेंगी और कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उसी के समकक्ष निकाय और शिक्षकों को भी वही सुविधाएं दी जायेंगी । यह उस समय का निर्णय था जो आज भी बाध्यकारी है । लोकतंत्र में सरकारें बदला करती हैं, मुख्य मंत्री बदला करते हैं लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं, जो विचार होते हैं वह अनवरत रूप से चला करते हैं । आज यह सरकार बाध्यकारी है । यह लोग इससे अलग नहीं जा सकते हैं । तो मैं यह बल देकर कहना चाहूंगा कि जो निर्णय लिया गया था वह लागू होना चाहिये । इसी समय यह भी समीचीन होगा कि और यह परम्परा रही है चाहे होली हो या दीवाली हो सरकारी कर्मचारियों को वेतन एडवांस में दिया जाता है । मान्यवर, दीवाली 26 तारीख को है इनको वेतन दिवाली के पहले दे दिया जाय । जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनका वेतन और बोनस की घोषणा की जाय तो यह इनके लिये तोहफा होगा । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री हुकुम सिंह जी आज ही यह जबाब दे दें अगर नये मुख्य मंत्री जी की प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो कल जबाब दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, यह जो जूनियर, प्राइमरी, हाईस्कूलों के शिक्षकों का आन्दोलन चल रहा है यह जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित है । मजबूरी में आन्दोलन करके यह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं जो समय उन्हें विद्यार्थियों की शिक्षा में खर्च करना चाहिये था । वह समय आज खर्च हो रहा है अपनी मांगों के लिये जायज मांगों के लिये । श्रीमन्, एक नीति निर्धारित जो है या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीति परिवर्तन कर दे कि हम पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य कर्मचारियों पर जो लागू हुई हैं जो प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा संचालित संस्थायें हैं उनमें लागू नहीं करेंगे एक कानून पास कर दें । तो फिर यह मांगें वे लोग नहीं उठायेंगे । तो शायद मांगों को रखने का स्वरूप कुछ दूसरा होता या इन जायज मांगों को स्वीकार करके जैसा पहले नीतिगत निर्णय हो चुका है कि राज्य कर्मचारियों को किसी वेतन आयोग के अनुसार जो सुविधायें दी जायेंगी वह प्राइवेट मैनेजमेंट द्वारा संचालित विद्यालयों के टीचर्स को भी दे देंगे तो यह सारे आन्दोलन न चलें । मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि जो नीतिगत निर्णय है उसका पालन करायें अथवा नीति ही बदल दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, जब कभी किसी महीने में दीपावली, होली या रक्षाबन्धन, ईद आदि त्यौहार आते हैं तो वहां पर यह सचिवालय कर्मचारियों के लिये उसके पूर्व में उनको वेतन, बोनस आदि दे दिया जाता है, त्यौहार से पहले दे दिया जाता है जिससे वे लोग त्यौहार खुशीपूर्वक मना सकें । यह सरकार जो अपने को संवेदनशील कहती है मैं मांग करता हूं कि इस मामले में सरकार संवेदनशील होकर निर्णय ले ले ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न यह उठाया गया कि जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं उनके वेतनमान पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागू किये जायें । मान्यवर, जिस काल की बात कर रहे हैं सम्मानित नेता कांग्रेस तब सिद्धान्त रूप से तत्कालीन सरकार ने यह कमिटमेंट स्वीकार किया था कि भविष्य में जिस अनुपात में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान होंगे, वेतन पुनरीक्षित होंगे उसी अनुपात में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के जो उनके समकक्ष हैं, उनके वेतनमान भी पुनरीक्षित हो जायेंगे । मान्यवर, कठिनाई वहां होती है जहां संवर्ग तलाश करना सम्भव नहीं हो पाता । जिस चौथे वेतन आयोग की बात आप कर रहे हैं आप सरकार में थे और हम भी सरकार में थे । उस समय प्रदेश के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के किस संवर्ग के अनुकूल वेतनमान दिया गया था इसका शायद उत्तर न हो कि इनको किस संवर्ग के अन्तर्गत माना गया था । मान्यवर, जो कठिनाई थी वह चल रही है और उस कठिनाई को दूर करने के लिये वर्तमान सरकार ने बजाज समिति का गठन किया । वह समिति तो उच्चस्तरीय समिति थी । हमने उनसे अपेक्षा की कि सारे परिपेक्ष्य में विचार करके यह बतायें कि अध्यापकों का वेतनमान क्या हो तो जो वेतनमान उन्होंने रिकमेन्ड किया विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों से बात करके, उनके नेताओं से बात करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कई राउण्ड उनसे वार्ता की उसके बाद उनके वेतन का पुनरीक्षण किया गया और उस पुनरीक्षण के फलस्वरूप 900 करोड़ रुपये का भार आया और आज उस पर नारा दिया जाता है कि केन्द्र सरकार के अनुरूप करें । हम किस संवर्ग के अनुरूप करें । यह संवर्ग वहां हो यह आवश्यक नहीं है । जो प्रदेश सरकार में कर्मचारी हैं उनके समकक्ष कैडर होगा तो ठीक है नहीं तो यह कठिनाई आयेगी । इस कठिनाई को दूर करने का हमने एक तरीका निकाला और एक वेतन समिति का गठन किया, उनकी सिफारिश आई संतोष असंतोष की बात आई, वार्तालाप किया गया उसके बाद बताया तो उतना धन उपलब्ध कराया गया । अब यह सारी बातें किस मंशा से बार-बार उठायी जा रही हैं, मैं नहीं समझता । जो सरकार का पक्ष है वह मैंने प्रस्तुत किया, यह विषय निरस्त किया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 26 फरवरी को भारत के प्रधान मंत्री ने पद की समानता के साथ, उन्होंने अपनी वचनबद्धता दोहराई थी । राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी से उन्होंने कहा था कि संसाधन इकट्ठा करने में कुछ समय लग सकता है उनको देने के लिये हमारी वचनबद्धता है । संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस तरह से कह दिया जैसे लगता है कि पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उनको दे दिया गया । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति है । स्थिति गम्भीर है पिछले चुनाव में जिन्होंने सत्तारूढ़ दल के लिये काम किया है वे लोग भी नारा दे रहे हैं लोक सभा में हारी है अब विधान सभा में बारी है ।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि यह बी० जे० पी० के लोग ही करा रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जो कुप्रचार किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री जी ने एमेन्डमेंट कर दिया, तब भी नहीं किया गया। आपने स्वयं भी कहा कि पदनाम के अनुरूप वेतनमान दिया जाय और पदनाम के अनुरूप वेतनमान दिया गया है और इस पदनाम का केन्द्र सरकार में कोई पद नहीं है, इसलिये इसकी तुलना करना संभव नहीं है। जो दूसरी बात कही गयी उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि वहां अटल जी प्रधान मंत्री हैं और यहां भी बी० जे० पी० के मुख्य मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार शिक्षक विरोधी है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह आन्दोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और किसी के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। मैं सरकार की इस शिक्षक विरोधी नीति की निन्दा करता हूं। शिक्षकों को उनका अधिकार सरकार नहीं दे रही है, इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन से चले गये)

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज उत्तरांचल के साथियों को विदाई देनी थी। होना तो यह चाहिये था कि आज सुबह जब हम लोग 11 बजे उपस्थित हुये थे, उसी समय विदाई दी जाती तो ठीक रहता। अब इस समय 3.37 हो रहा है और उपस्थिति देख लें आप सदन में। अब इतनी कम उपस्थिति में हमारे साथी यहां से विदा होंगे तो मैं यह उचित नहीं समझता। सदन की कार्यवाही निरन्तर चलती रहे, क्या एक दिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब काम स्थगित करके पहले इनकी विदाई करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वागत करूंगा। जितनी भी सूचनायें मेरे पास हैं, वह सब माननीय विपक्ष के सदस्यों की हैं। यदि माननीय सदस्य कह दें तो मैं अभी प्रारम्भ कर दूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो बात कही, मैं उसकी गरिमा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज के बाद कुछ माननीय सदस्य शायद सदन में नहीं आयेंगे। मैं यह कहना चाह रहा था कि हम इनको भावभीनी विदाई देना चाहते हैं। यह जो प्रकरण हैं, यह उठते रहे हैं और उठते रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि मौका फिर कभी नहीं आ पायेगा। इसलिये हम लोग इस अवसर के अनुरूप आचरण करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं दोनों माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करता हूं। कुछ माननीय सदस्य लॉबी में होंगे, वह भी आ जायें। मैंने आज सुबह एक आश्वासन दिया था, माननीय मौर्य जी को, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात पर, इसलिये पहले वह हो जाय और 3.45 बजे से हम विदाइ का कार्यक्रम कर लें और अगर आप लोग कहें तो अभी से प्रारम्भ कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नेता, बसपा से अनुरोध कर लूंगा, मेरा अनुरोध वह कभी टालते नहीं हैं। उनका विषय सुनिश्चित रोजगार योजना से संबंधित है, उसको कृपापूर्वक ले लें और फिर विदाई का कार्यक्रम सवा चार बजे से कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सुबह वार्ता हुई थी, मैं बहुत ही कम समय में केवल 5 मिनट में सारी बात रखकर इस मामले को खत्म कर दूंगा। मेरे मुद्दे कभी कांग्रेस से पूछकर नहीं रखे जाते हैं, इसलिये प्रमोद कुमार का सुझाव कोई मतलब नहीं रखता है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान जो अनुसूचित जाति, जनजाति के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिये बनाया गया था, उसका सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। 1980 में भारत सरकार ने महसूस किया कि दिनों दिन अनुसूचित जाति/जनजाति की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, उसमें बेहतरी नहीं आ रही है इसलिये मान्यवर, इस मंशा के साथ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 1980-85 के दौरान यह व्यवस्था लागू की गयी और केन्द्र सरकार के निर्देश के मुताबिक अनुसूचित जाति, जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये जनसंख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश के बजट के कुल परिव्यय का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करने की बात की गयी थी। इसके पहले कम किया जाता रहा। कहने के लिये 14 फीसदी धनराशि व्यय किया जा रहा था लेकिन 8 से 10 फीसदी से ज्यादा कार्यान्वयन कभी नहीं किया गया। इसे देखते हुए 1995 में, 1996 में केन्द्र सरकार के समाज कल्याण के सचिव द्वारा एक बैठक बुलाई गयी जिसमें सभी प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और नियोजन विभाग के सचिव बैठे। उसमें तय किया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर कुल व्यय का निर्धारण किया जाए, उसी के तहत निर्धारण का कार्य किया गया और 1995-96 में जब इस प्रकार का निर्णय लिया गया तो उस पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की देखरेख में इसके कार्यान्वयन की बात रखी गयी और 1996-97 में इसका हन्डरेड परसेन्ट कार्यान्वयन हुआ।

आजादी के बाद से लेकर अगर इसका शत प्रतिशत क्रियान्वयन हुआ तो सिर्फ जब सुश्री मायावती जी मुख्य मंत्री थीं, उस समय ठीक ढंग से कराया गया लेकिन जैसे ही सुश्री बहन मायावती मुख्य मंत्री पद से हटती हैं और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्य मंत्री आते हैं, इस शासनादेश को रद्द करते हुए जो यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों के लिये यह कानून बनाया गया था, उस पर लीपापोती करने का काम करते हैं। मान्यवर, जब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से आज तक इस पर लीपापोती का रवैया अपनाया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसमें प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, प्रमुख सचिव, वित्त और प्रमुख सचिव, नियोजन थे, उनको यह काम दिया गया था कि इस योजना का प्रारूप तैयार करायें। पैसे का इन्तजाम करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बजट को व्यय करके इन वर्गों के लोगों को सुविधायें दी जानी चाहिये लेकिन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पिछली बार इस मुद्दे पर, इस पर चर्चा यहां पर उठायी गयी थी। उत्तर दिया गया था कि इस पर अमल किया जायगा। आपके कक्ष में माननीय मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में समाज कल्याण मंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि इसका क्रियान्वयन किया जायेगा लेकिन नहीं किया गया। केन्द्र सरकार ने जो निर्देश दिये थे और जो

उत्तर प्रदेश सहित सारे प्रदेशों में इस योजना को लागू करने के लिये निर्देश दिया गया था आज पूरे तरीके से सरकार के कार्यों से यह योजना पूरी तरह से फेल हो गयी है। आज करोड़ों-करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के चलते बन्दर बांट में अपने हितों और अपनी सुख सुविधा के लिये खर्च किया जा रहा है लेकिन यह योजना नहीं चलायी जा रही है और इसका ब्योरा भी सरकार के पास नहीं है। जिस तरह से 1997 में बहन मायावती के समय में इसका क्रियान्वयन किया गया था उसी तरह से इस समय भी किया जाना चाहिये। चूंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है इस कारण से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष है और यह असंतोष कहीं आन्दोलन का रूप न ले ले इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह विषय पूर्व में कई बार उठा है और इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई और सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है। जिस विषय पर इतनी बार चर्चा हुई हो और सरकार का दृष्टिकोण आ गया हो उसको बार-बार उठाया या तो मन का भ्रम है या तो भ्रांति फैलाने का प्रयास है। एक व्यवस्था बदली है, अब धन केवल प्रदेश सरकार के माध्यम से व्यय नहीं होता है उसके बारे में पूर्ण विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। जितने भी हमारे पास साधन हैं, जिला योजना, जिला पंचायत, बी० डी० सी० और ग्राम पंचायत के माध्यम से सारा विकास हो रहा है कोई केन्द्रीकृत व्यवस्था नहीं है और होना संभव भी नहीं है क्योंकि पंचायतों में, हर स्तर पर जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया है उसकी उपेक्षा कैसे होगी। इसमें बल नहीं है मेरा निवेदन है कि इसको निरस्त किया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, राज्य योजना में अलग से खर्च किया जाता रहा है। जबसे भाजपा सरकार आयी है, जो बहन मायावती के बाद आयी है उसने उलटफेर किया है। सन् 97 में 100 फीसदी कार्यान्वयन हो रहा था लेकिन मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा इसी कारण भाजपा की सरकार इस पर लीपा-पोती करने का काम कर रही है। अगर आप दलितों के बड़े हितैषी हैं, होने का दम भरते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये कल्याण सिंह के मुख्य मंत्री बनने के पहले जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाय और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कुल परिव्यय का धन आवंटित किया जाय और धन को खर्च किया जाय। चूंकि भाजपा सरकार और मुख्य मंत्री जी इस मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं इसलिये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आप मान्यवर, निर्देश दें कि इसका ठीक से कार्यान्वयन किया जाय।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, सुबह और कल भी यह तय हुआ था कि माननीय विधायकों .....

श्री अध्यक्ष–

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान वाले मामले पर पहले व्यवस्था दे दूं। माननीय मौर्या जी और संसदीय कार्यमंत्री जी को ....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरे स्पष्टीकरण का उत्तर आ जाये।

(संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा कुछ न कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य एवं संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के विरुद्ध है, यह दलितों के उत्थान को नहीं चाहती है। इसलिये इस दलित विरोधी रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24-10-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर कुछ सूचनायें चयनित की गयी थीं। समय के अभाव को देखते हुये उन माननीय सदस्यों के नाम और विषय पढ़ देता हूं। इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

पहली सूचना श्री उदय राज यादव एवं श्री राम कुमार एडवोकेट की उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों से विकल्प-पत्र न भराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री राम प्यारे सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री अरुणवीर सिंह, डा० वकार अहमद शाह एवं श्री दिलीप वर्मा की जनपद आजमगढ़ तथा बहराइच में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर की जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील अन्तर्गत ग्राम रामपुर तप्पा घाटी में अब तक चकबन्दी कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की सरकार की हठवादिता के कारण प्रदेश के वकीलों, वादकारियों, पत्रकारों/छायाकारों की आर्थिक क्षति का मुआवजा सरकार द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, हरिद्वार के हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा अकारण लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री सुधाकर सिंह की राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात दैनिक वेतनभोगी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश में शुद्ध पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह की मेजा कताई मिल, इलाहाबाद को बी० एफ० आई० आर० के निर्देशानुसार आई० डी० वी० आई० से आधुनिकीकरण पर तकनीकी फीजिबिल्टी आख्या तथा बाजार से लोन लेने के बावजूद न चलाये जाने के संबंध में है। नवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में इण्टरमीडिएट व अन्य कक्षाओं में लाखों छात्रों के प्रवेश न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इन सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गईं और अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री अम्बिका चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव, श्री वसीम अहमद, श्री प्रेमपाल सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री बादशाह सिंह, श्री श्रीराम पाल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री भोनू राम सोनकर, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री संजय गर्ग, श्री बाबू लाल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री राजपाल सिंह और श्री प्रदीप कुमार।

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें समय के अभाव के कारण निरस्त हो गयी हैं उनमें श्री गौरी शंकर एडवोकेट की सूचना लखनऊ स्थित टेल्को इकाई के कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में, श्री सुधाकर सिंह की स्वास्थ्य विभाग लखनऊ में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा घोटाले के सम्बन्ध में तथा श्री राम प्यारे सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव व श्री वसीम अहमद की सूचना जनपद मऊ के ग्राम भदीड़ में महिला ग्राम प्रधान की हत्या के सम्बन्ध में है।

कई माननीय सदस्यों की सूचनायें महंगाई के सम्बन्ध में थीं उसे भी निरस्त कर रहा हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मुझे एक सूचना देनी है। विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :–

1–श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री इकबाल महमूद, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 8 सितम्बर, 1997 को एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1997 को श्री कांशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवहेलना की सूचना।

2–सुश्री मायावती, पूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा पीठ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में दिनांक 14 नवम्बर, 1997 को लखनऊ से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित वक्तव्य के संबंध में मा० अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा संज्ञान में ली गयी सूचना, दिनांक 14 नवम्बर, 1997।

3–श्री केशो मेहरा एवं डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 28 फरवरी, 1998।

4–श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री अफजाल अहमद, डा० वकार अहमद शाह एवं श्री कौकब हमीद, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 24 मार्च, 1999।

5– श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बदायूं क्षेत्र समिति अम्बियापुर के श्री भुवनेश कुमार (सही नाम भूषण कुमार) खण्ड विकास अधिकारी व श्री महावीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 21 अक्टूबर, 1999।

6–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद बागपत के क्षेत्राधिकारी, बड़ौत तथा थाना अध्यक्ष, रमाला के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 3 अप्रैल, 2000।

7–श्री उदय राज यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 15 अप्रैल, 2000।

उपर्युक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे।

(सदन की सहमति से उक्त निर्णय पढ़े हुए माने गये)

श्री कांशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री इकबाल महमूद एवं डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान सभा ने श्री कांशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 8 व 9 सितम्बर, 1997 को पृथक-पृथक रूप में अभिसूचित की है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 8 सितम्बर, 1997 में, लखनऊ के दैनिक समाचार-पत्र "आज" के दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार "केशरी को न हटाया तो मायावती इस्तीफा न देंगी" तथा लखनऊ ही के दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार "केशरी को नहीं हटाया तो मायावती भी इस्तीफा नहीं देंगी" का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि "श्री कांशीराम द्वारा चण्डीगढ़ में दिये गये वक्तव्य से अध्यक्ष जैसे निर्विवाद पद की गरिमा को जहां घटाया गया है, वहीं इस बयान से उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा उसके सदस्यों की भी अवमानना हुई है एवं गरिमा घटी है। इस तरह अध्यक्ष सहित विधान सभा एवं उसके सदस्यों की सार्वजनिक रूप से अवमानना हुई है।" मा० सदस्य ने अपनी सूचना के साथ उक्त दोनों समाचार-पत्रों की मूल प्रतियां संलग्न करते हुए श्री कांशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

इसी प्रकार श्री इकबाल महमूद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 8 सितम्बर, 1997 में लखनऊ के दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार "केशरी के हटे बगैर मायावती का इस्तीफा नहीं" का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि "श्री कांशीराम के उक्त कथन से मा० अध्यक्ष, विधान सभा के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और इस पद की अवमानना तथा विशेषाधिकार का हनन हुआ है।" मा० सदस्य ने अपनी सूचना के साथ उक्त समाचार-पत्र को मूल रूप में संलग्न करते हुए श्री कांशीराम के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

इसी तरह डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने भी अपनी सूचना, दिनांक 9 सितम्बर, 1997 में लखनऊ के दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार "केशरी के हटे बगैर मायावती का इस्तीफा नहीं" तथा दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 8 सितम्बर, 1997 के अंक में प्रकाशित समाचार "केशरी को नहीं हटाया तो मायावती भी इस्तीफा नहीं देंगी" का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि "श्री कांशीराम के इस वक्तव्य से अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद की अवमानना हुई है तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदन की अवमानना हुई है और सदन की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है।" मा० सदस्य ने अपनी सूचना के साथ उक्त दोनों समाचार-पत्रों की प्रतियां संलग्न करते हुए श्री कांशीराम के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही किये जाने की मांग की है।

चूंकि श्री कांशीराम वर्तमान में राज्य सभा के मा० सदस्य हैं, अतः मा० सदस्यगण द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना विषयक उक्त तीनों सूचनाओं को, मैंने प्रक्रिया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 79 के अन्तर्गत राज्य सभा के मा० सभापति को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया था। इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय ने अपने पत्र दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 द्वारा सूचित किया है कि मा० सभापति ने समुचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि राज्य सभा को सन्दर्भित उक्त तीनों प्रकरणों में विशेषाधिकार भंग होने का कोई मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है और तद्नुसार उन्होंने इस मामले को उठाने के लिये अपनी सहमति प्रदान नहीं की है।

मा० सभापति, राज्य सभा की भावनाओं का आदर करते हुए तथा इस प्रकरण में हुए विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस मामले को समाप्त करता हूं।]

अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "मायावती डिसाइड्स टू मूव कोर्ट" शीर्षक से सुश्री मायावती द्वारा पीठ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[दिनांक 14 नवम्बर, 1997 के अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र "दि टाइम्स आफ इण्डिया" के लखनऊ संस्करण के प्रथम पृष्ठ पर "मायावती डिसाइड्स टू मूव कोर्ट" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें सुश्री मायावती ने विधान सभा अध्यक्ष पर तेरह बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की निरर्हता सम्बन्धी कार्यवाही में देरी करने का आरोप लगाया था और यह कहा था कि अध्यक्ष, विधान सभा का इरादा सम्मानजनक नहीं प्रतीत होता है सुश्री मायावती द्वारा अध्यक्ष, विधान सभा पर लगाये गये उक्त आरोप पर मैंने विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में कार्यवाही करने के आदेश दिये थे।

प्रश्नगत प्रकरण में सुश्री मायावती, सदस्य, विधान सभा से उनका अभिकथन मांगे जाने हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 17 जून, 1999 को पत्र भेजा गया था परन्तु इस बारे में उनका अभिकथन प्राप्त नहीं हुआ और कुछ समय के पश्चात् सुश्री मायावती, लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हो गयीं। फलस्वरूप मैंने इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 79 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु सन्दर्भित कर दिया था। लोक सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 7 मार्च, 2000 द्वारा यह सूचित किया गया है कि माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने सुश्री मायावती के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना को विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की भावनाओं का समादर करते हुए तथा इस प्रकरण में हुए विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूं।]

श्री प्रमोद कुमार द्वारा पीठ के विरुद्ध लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री केशो मेहरा व डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 28 फरवरी, 1998 को अभिसूचित की है।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त सूचना में मा० सदस्यगण का कथन है कि 'दिनांक 26 फरवरी, 1998 को मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुए सदन में बहुमत के परीक्षण के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता श्री प्रमोद कुमार ने मा० अध्यक्ष, विधान सभा की आलोचना करते हुए उन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। मा० अध्यक्ष द्वारा बार-बार यह कहे जाने पर कि श्री प्रमोद कुमार सदन का ही नहीं अपितु मा० सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं, श्री प्रमोद कुमार ने आरोप लगाना जारी रखा था। दिनांक 26 फरवरी, 1998 का लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय सहारा" समाचार-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए उक्त कथन की पुष्टि हेतु मा० सदस्यगण ने विधान सभा के दिनांक 26 फरवरी, 1998 के उपवेशन की कार्यवाही का अवलोकन करने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता मा० सदस्यों का यह भी कथन है कि प्रश्नगत मामला सदन के समक्ष घटित हुआ है और इससे विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना हुई है।

उक्त प्रसंग में मा० सदस्य श्री प्रमोद कुमार को विधान सभा सचिवालय द्वारा अनेक पत्र भेजकर उनका अभिकथन मांगा गया था, जो प्राप्त नहीं हुआ।

श्री प्रमोद कुमार के अभिकथन के अभाव में मैंने दिनांक 26 फरवरी, 1998 की कार्यवाही की संशोधित प्रति के संगत अंश का परीक्षण किया। उक्त अंशों से यह स्पष्ट है कि उक्त तिथि की कार्यवाही के जिस अंश के संबंध में आपत्ति की गई है वह अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से हटा दिया गया है। अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (17 मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978) के पृष्ठ संख्या–130 पर अंकित निर्णय संख्या 42 में ऐसे ही एक मामले में यह निर्णय दिया गया है कि "आपत्तिजनक शब्दों के कार्यवाही में अंकित न होने के कारण संबंधित सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता"।

इसी प्रकार अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979-84 के पृष्ठ 290 पर अंकित निर्णय संख्या 523 पर भी यह उल्लिखित है कि "जो अंश कार्यवाही के अंग नहीं होंगे उनके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।"

अतः पूर्ण दृष्टान्तों के प्रकाश में मैं इस मत का हूं कि इस प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है। अतः मैं मा० सदस्यगण की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा असत्य एवं भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री अफजाल अहमद, डा० वकार अहमद शाह एवं श्री कौकब हमीद, सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत मा० संसदीय कार्य-मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना, दिनांक 24 मार्च, 1999 को अभिसूचित की है।

मा० सदस्यगण का कथन है कि नियम–56 के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च, 1999 को दी गई सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश हज समिति द्वारा "ओमास कम्पनी"

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जद्दा (सऊदी अरब) को प्रति हज यात्री 650 रियाल में खाने का ठेका दिया गया था, जिस पर विदेश मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गयी थी क्योंकि वैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश हज समिति को इस प्रकार ठेका देने का कोई अधिकार न था। उक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में मा० संसदीय कार्य-मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि "कोई ठेका नहीं दिया गया है।" इस सम्बन्ध में मा० सदस्यगण का कथन है कि मा० संसदीय कार्य-मंत्री ने प्रश्नगत प्रकरण में भ्रामक और असत्य उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है।

उक्त प्रसंग में मा० संसदीय कार्य-मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। मा० संसदीय कार्य-मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2000 द्वारा यह सूचित किया है कि "यह सही है कि सितम्बर, 1999 में ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। कुछ शर्तें भी तय हुई थीं और एक समझौता हुआ था परन्तु न तो कम्पनी का कोई भुगतान किया गया और न ही किसी हज यात्री से कोई धनराशि प्राप्त की गयी। समझौता तभी प्रभावी होता जब दोनों देशों की सरकारें इस पर अपनी सहमति देतीं। इस प्रकार कोई पूर्ण करार नहीं हुआ और जो भी समझौता हुआ था उसे 15 अक्टूबर, 1998 को समाप्त कर दिया गया।" इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा कहा गया था कि "कोई ठेका नहीं दिया गया" जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया गया। दिनांक 23 मार्च, 1999 को मा० सदस्यगण द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत जब प्रश्नगत प्रकरण सदन में उठाया गया तब उन्होंने जो वास्तविक स्थिति थी, उसी से सदन को अवगत कराया। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा यह कहा गया था कि कोई ठेका नहीं दिया गया। उनका आशय सदन को गलत उत्तर देकर गुमराह किये जाने का नहीं था।

वर्णित स्थिति में मा० सदस्यगण की सूचना एवं मा० संसदीय कार्य-मंत्री से इस सम्बन्ध में प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं मा० सदस्यगण की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।]

श्री भुवनेश कुमार सही नाम भूषण कुमार खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री महावीर सिंह सहायक विकास अधिकारी क्षेत्र समिति अम्बियापुर, बदायूं द्वारा श्री भोलाशंकर मौर्य के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत श्री भुवनेश कुमार (सही नाम भूषण कुमार) खण्ड विकास अधिकारी तथा श्री महावीर सिंह, सहायक विकास अधिकारी, क्षेत्र समिति अम्बियापुर, जनपद बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 को दी है। मा० सदस्य का कथन है कि क्षेत्र समिति अम्बियापुर, जनपद बदायूं की बैठक दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 को निर्धारित थी। कोरम पूरा न होने के कारण प्रतीक्षा अवधि में उक्त दोनों अधिकारियों ने उनसे कहा कि "आप ब्लाक के बारे में विधान सभा में बहुत प्रश्न करते हैं इस कारण हमको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। आज हम लोग आपसे विधान सभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का बदला लेंगे।"

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बी० डी० सी० के उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रतिवाद किये जाने पर उक्त दोनों अधिकारी उत्तेजित हो गये तथा बी० डी० सी० के लगभग 50 सदस्यों एवं प्रधानों की उपस्थिति में गाली गलौज एवं हाथापाई की जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में उनकी अवमानना हुई है । उक्त दोनों अधिकारियों ने विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में उनकी अवमानना की है । उक्त दोनों अधिकारियों ने विधान सभा के लिये भी अपमानजनक शब्द कहे जिससे विधान सभा की गरिमा को भी भारी ठेस पहुंची है । मा० सदस्य का यह भी कथन है कि दिनांक 21 अक्टूबर, 1999 को विधान सभा की लोक लेखा समिति की होने वाली बैठक के लिये वहां से प्रस्थान करने पर भी उक्त अधिकारियों ने रुकावट डाली, मा० सदस्य ने अवमानना के दोषी उपर्युक्त दोनों अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की मांग की है ।

उपर्युक्त सूचना के संबंध में मा० ग्राम्य विकास मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई । मा० मंत्री जी से प्राप्त आख्या में सूचित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जांच जिला विकास अधिकारी, बदायूं द्वारा की गई । जांचोपरान्त यह पाया गया कि दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 को क्षेत्र पंचायत, अम्बियापुर, जनपद बदायूं की बैठक में मा० सदस्य, विधान सभा (श्री भोला शंकर मौर्य), श्री सजेन्द्र प्रसाद, सदस्य, क्षेत्र पंचायत, श्रीमती निर्मलेश कुमारी, प्रमुख, क्षेत्र समिति तथा श्री भुवनेश कुमार (सही नाम भूषण कुमार) खण्ड विकास अधिकारी एवं श्री महावीर सिंह, सहायक खण्ड विकास अधिकारी के बीच हुए झगड़े की प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त अधिकारियों द्वारा थाना बिल्सी में दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 को दर्ज कराई गई जिसके आधार पर श्री राजवीर सिंह, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद, सदस्य, क्षेत्र पंचायत को गिरफ्तार किया गया एवं उक्त दोनों को दिनांक 26 नवम्बर, 1999 को जमानत पर रिहा किया गया । इस प्रकरण की विवेचना पुलिस द्वारा कराई जा रही है तथा विवेचना के बाद ही सक्षम न्यायालय से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उक्त घटना के लिये मुख्य दोषी कौन है ।

इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (मार्च, 1969 से दिसम्बर, 1978 तक) के पृष्ठ 120 क्रम संख्या 4 पर दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है जिसके अनुसार किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार विशेषाधिकार का प्रश्न तभी बन सकता है जब वे सदन के सदस्य की हैसियत से किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में उससे मिले हों । इसी प्रकार उक्त संकलन के पृष्ठ 131 पर क्रम संख्या 48 में यह कहा गया है कि "किसी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के संबंध में किया गया व्यवहार या कहे गये शब्द यदि उनका सम्बन्ध सदन के किसी कार्य से नहीं है विशेषाधिकार अवहेलना की परिधि में नहीं आते हैं ।" उक्त संकलन के पृष्ठ 136 पर क्रम संख्या 61 में यह भी कहा गया है "जिस कार्य का संबंध न्यायपालिका और कार्यपालिका से हो और उसका सम्बन्ध सदन के कार्यपालन से न हो वह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता ।"

माननीय सदस्य का, क्षेत्र पंचायत समिति, अम्बियापुर जनपद बदायूं की बैठक में भाग लेने का कार्य, सदन के कार्य से सम्बन्धित नहीं था, अतः प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः मैं मा० सदस्य की उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

जनपद बागपत के थानाध्यक्ष रमाला एवं क्षेत्राधिकारी बड़ौत द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत थानाध्यक्ष रमाला एवं क्षेत्राधिकारी–बड़ौत, जनपद बागपत के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना, दिनांक 3 अप्रैल, 2000 को अभिसूचित की है। इसके पूर्व मा० सदस्य ने उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 1 अप्रैल, 2000 को प्रेषित तार द्वारा मुझको सूचित किया था कि पुलिस वालों ने उनके बाबा को लाठियों से पीटा था तथा धमकी दी थी कि वे विधायक को देख लेंगे।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना ने अपनी सूचना में यह शिकायत की है कि दिनांक 28 मार्च, 2000 को थाना–रमाला, जिला बागपत की पुलिस ग्राम किरठल में श्री धर्मेन्द्र पुत्र श्री रामपाल के घर की कुर्की करने गये थे। पुलिस ने श्री धर्मेन्द्र के घर की दीवारें गिराने के साथ-साथ उनके घर की दीवारें भी गिरवानी शुरू कर दी। वहां उपस्थित उनके बाबा व अन्य परिवारजनों ने जब इसका विरोध किया तो थानाध्यक्ष रमाला ने उनके साथ अभद्रता की। उक्त घटना के सम्बन्ध में जब वे (माननीय सदस्य) क्षेत्राधिकारी–बड़ौत से मिलने गये तो क्षेत्राधिकारी ने भी उनके साथ अभद्रता की तथा अपशब्दों का प्रयोग किया।

उक्त प्रसंग में, मा० सदस्य के पत्र एवं तार की छाया प्रति मा० संसदीय कार्य मंत्री को भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। मा० संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बागपत से प्राप्त जांच आख्या की छाया प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि दिनांक 28 मार्च, 2000 को थानाध्यक्ष–रमाला पुलिस बल के साथ ग्राम किरठल में अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ मेजर पुत्र श्री रामपाल के घर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुर्की करने गये थे तो अभियुक्त के परिजनों द्वारा पुलिस दल पर भारी पथराव किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही किये जाने पर भगदड़ मच गयी तथा कुछ व्यक्ति अभियुक्त धर्मेन्द्र के मकान से पीछे स्थित घर की संयुक्त दीवार से कूदकर भागे जिससे दीवार के एक दो रद्दे गिर गये। उक्त मकान श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के बाबा के भाई श्री वेद सिंह का है। द्वितीय बिन्दु के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2000 से 3 अप्रैल, 2000 तक क्षेत्राधिकारी बड़ौत से मा० सदस्य की कोई भेंट नहीं हुई। अतः क्षेत्राधिकारी बड़ौत द्वारा मा० सदस्य के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उक्त प्रकरण में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिससे मा० सदस्य के विशेषाधिकार हनन अथवा अवहेलना की पुष्टि होती हो।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री उदय राज यादव, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना, दिनांक 15 अप्रैल, 2000 को अभिसूचित की है। मा० सदस्य का कथन है कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1998, के दूसरे मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या–82 में पूछा गया था कि क्या ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम उसनीधा, मैनपुरी को दिया जाने वाला अनुदान वर्ष 81-82 से रोक दिया गया है। मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) एवं शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से आख्या/संस्तुति प्राप्त हो गयी है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार यथोचित निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

तृतीय सत्र 1998 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–83 के उत्तर का आशय भी यही था। इसके बाद प्रथम सत्र 1999 के पांचवे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–149 का उत्तर दिया गया था कि शिक्षा निदेशक से प्राप्त आख्या को परीक्षणोपरान्त निस्तारित कर दिया गया है। तृतीय सत्र 1999 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 का यह उत्तर दिया गया था कि ओंकारेश्वर विद्यालय उसनीधा मैनपुरी को राज्यानुदान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया। इसी सम्बन्ध में नियम–301 की एक सूचना के उत्तर में मा० मंत्री द्वारा यह कहा गया था वित्तीय वर्ष 99-2000 के आय-व्ययक में धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय को अनुदान दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

मा० सदस्य के अनुसार इस प्रकार मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने श्री ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम, पोस्ट उसनीधा, जिला मैनपुरी के अध्यापकों का वर्ष 81-82 का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में भ्रामक एवं तथ्यों से परे उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है तथा उनके विशेषाधिकार का हनन तथा सदन की अवमानना की है। उक्त प्रसंग में मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। मा० मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2000 द्वारा वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए यह सूचित किया है कि ओंकारेश्वर संस्कृत विद्यालय संकीर्तन धाम उसनीधा मैनपुरी के सम्बन्ध में पूछे गये तृतीय सत्र 1998 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–82 के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया था कि उप शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त हो गयी है। परीक्षणोपरान्त शीघ्र निर्णय लिया जायेगा। अतारांकित प्रश्न संख्या–83 में भी इसी आशय का उत्तर दिया गया था। प्रथम सत्र 1999 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–149 के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया कि "उप शिक्षा निदेशक से प्राप्त आख्या का परीक्षण कर निस्तारित कर दिया गया है"। इसके अतिरिक्त तृतीय सत्र 1999 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के उत्तर में यह स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया गया है कि "प्रश्नगत विद्यालय को राज्यानुदान स्वीकृत करने का औचित्य नहीं पाया गया तथा नियम–301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं है"।

मा० मंत्री ने उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया है कि शासन के पत्र संख्या–626(1)/15–99–25(17)/98, दिनांक 30-12-99 द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश–83 सं०/15-9-99–25(17)/98, दिनांक

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

16-2-99 को संशोधित कर दिया गया है जिसके द्वारा स्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय को अनुदान स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में शासन द्वारा समय-समय पर जो उत्तर दिये गये हैं उनका आशय एक ही है जो गलत प्रतीत नहीं होता है ।

अतः वर्णित परिस्थिति में मा० सदस्य की सूचना तथा इस सम्बन्ध में मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के अवलोकन से प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता हुआ प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं मा० सदस्य की उपरोक्त सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

अधिकारियों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम न किये जाने के आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की सूचनाएं जो आज हैं और समय देखें तो विदायी का कार्यक्रम भी होना है इसलिए विधायकों की जो समस्याएं हैं नियम–300 में विधायक की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठायी है ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर सरकार द्वारा प्रशासन में बैठे अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है कि वह शिलान्यास एवं उद्घाटन या किसी समारोहों में कोई सामग्री वितरण का काम न करें । इस तरह के आदेश वर्ष 1982, 1983, 1988, 1993, 1995, और 1998 में दिये जाते रहे हैं । लेकिन जो आदेश 9 जुलाई, 1999 को इसी सरकार द्वारा समस्त अधिकारियों को भेजा गया है । उसमें स्पष्ट लिखा है, पत्र संख्या–13/21/93–का–1/99, दिनांक 9 जुलाई 1999 है । जिसमें शासन की ओर से लिखा गया है कि कोई भी अधिकारी किसी भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोहों, विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि के वितरण समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री के वितरण समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग नहीं लेंगे । अपितु शासन की स्पष्ट मंशा है कि ऐसे सभी समारोहों में मुख्य अतिथि/अध्यक्ष यथा सम्भव जनप्रतिनिधि ही रहेंगे तथा सरकारी कर्मचारीगण द्वारा इन समारोहों को हर सम्भव सहयोग देकर सबल बनाया जाय । किन्तु फिर भी प्रशासन में बैठे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं । श्रीमन् वह जनप्रतिनिधियों के अपमान में पूरी तरह से तुले रहते हैं, तुले हुए हैं । ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा । हमारे औरैया जनपद के विधूना तहसील के एस०डी०एम० ने एक नया स्कूल बनने वाला था और वह उसी स्थान पर बनने वाला था जहां जीर्ण-शीर्ण स्कूल पहले था वहां पौने तीन एकड़ जमीन चकबन्दी द्वारा स्कूल के लिए निश्चित की गई थी स्कूल के नाम कर दी गई थी । लेकिन निहित स्वार्थवश एस०डी०एम० ने दूसरी जगह हटकर गांव के दूसरी ओर हटकर आबादी की जमीन फर्जी सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर आदेश देकर उसे एलाट कर दिया स्कूल की जमीन के नाम पर पौने तीन एकड़ छोड़कर दूसरी 21 बिस्वा जमीन एलाट कर दी उसमें 22 सितम्बर, 2000 को शिलान्यास कर दिया इस पर वहां के लोग डी०एम० साहब के यहां से स्टे ले आए लेकिन डी०एम०साहब को समझा बुझाकर एस०डी०एम० ने वह स्टे निरस्त करवा लिया । तथा उस पर इमारत बनवाना शुरू करवा दिया इस तरह से शासन के स्पष्ट आदेश होते हुए भी एस०डी०एम० विधूना ने मनमाने तरीके से जनप्रतिनिधियों को चाहे वह सांसद हों, विधायक हों, ब्लाक प्रमुख हों जिनको उद्घाटन करना चाहिए था चाहे वह किसी भी दल के हों उन्होंने सबकी अवमानना की है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में शासन को निर्देशित करने की कृपा करें तथा ऐसे एस०डी०एम० को जिसने डी०एम० को भी झांसा दिया है तथा शासनादेशों का उल्लंघन करता है उसको तुरन्त सस्पेंड किया जाए तथा कार्यवाही करके उसको बर्खास्त किया जाए अगर ऐसे अधिकारियों को सजा नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से यह जन प्रतिनिधियों के यह अधिकार ऐसे ही छीनते रहेंगे, इसी तरह से उनको अपमानित करते रहेंगे । मैं आपके पास दैनिक जागरण अखबार की कटिंग शासनादेश तो आपके पास होगा ही । भिजवाए देता हूं जिसमें उनकी फोटो छपी है उद्घाटन करते हुए तथा उनका वक्तव्य है इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही करें । यह औचित्य का प्रश्न है । क्योंकि कई दफा इस विधान सभा में भी इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया है, शासनादेश भी है उनकी अवहेलना हो रही है । अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए । यह समस्त विधायकों की अवमानना का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसी विषय पर मैं दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना एक विशेष घटना के बारे में थी इसलिए सुन लिया गया । इस पर संसदीय कार्य-मंत्री जी को सुनने के बाद निर्देशित कर दिया जाएगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रकरण संदर्भित किया है उसे शासन ने पूर्ण गम्भीरता के साथ लिया है हमने इस सूचना के आधार पर जिलाधिकारी औरैया को निर्देश दिए हैं कि सारे प्रकरण की जांच करें तथा जांच करने के बाद तुरन्त हमको अवगत कराएं इसमें दोषी पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में शासनादेश का कठोर अनुपालन किया जाय ।

सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी और सूचनायें हैं जिसमें श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री राम अचल राजभर, श्री राम ललित चौधरी, श्री राम औतार शाक्य द्वारा सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का पालन न किये जाने के संबंध में सूचना दी गई है इसी में श्री अजय कुमार पोइया जी की भी सूचना है एस आर वाय की सूचना को भी मैं इसी में जोड़ लेता हूं । इस विषय में ऐसा शासनादेश हुआ है कि "सांसदों के परामर्श से किसी कार्य योजना को"...तो मैं माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी को निर्देश दे रहा हूं कि इसमें यह और जोड़ दिया जाय कि "माननीय सांसदों और विधायकों की सलाह से योजना को अन्तिम रूप दिया जाय" ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो स्थिति सांसदों की है वही विधायकों की ।

श्री अम्बिका चौधरी–

दो जून को शासनादेश जारी किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

इस शासनादेश को और स्पष्ट कर दिया जाय और माननीय विधायकों की भागीदारी को रेखांकित करते हुए दूसरा शासनादेश जारी कर दें और कठोर अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

श्री राम औतार शाक्य–

यह शासनादेश ऊर्जा विभाग पर लागू नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैं ऊर्जा विभाग को भी ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

शासनादेश के बाद भी सहमति की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है । सदन की ओर से यह व्यवस्था आ जाय कि बिना उनकी सहमति के योजना को अन्तिम रूप न दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

सांसदों में भी ''सहमति'' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ''सलाह'' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

सदन के सदस्यों की मंशा के अनुरूप आपने कहा कि विधायक जोड़ दिया जाय । 2-6-2000 को शासनादेश जारी किया गया उसमें ''विधायक'' शब्द नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वयं देखा है ''विधायक'' शब्द है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यह कह रहा था कि यह पूरे तौर पर निष्प्रभावी है । आप संरक्षक हैं आप सरकार को निर्देश दें कि जिला स्तर पर, जिला पंचायत में या विकास खण्ड में सुनिश्चित रोजगार की योजना तब तक स्वीकृत न की जाय जब तक विधायक या सांसद की सहमति न हो या उनका योगदान न हो तब तक किसी भी योजना को प्रदेश सरकार अपने स्तर से कदापि स्वीकार न करे ।

सदन की यही मंशा है कि विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं विकास के साथ उनकी सीधी जिम्मेदारी है । जनता हमसे पूछती है कि सड़क, पुल और स्कूल बना कि नहीं बना । सांसद से नहीं पूछा जाता, विधायक से पूछा जाता है । जवाहर रोजगार योजना के तहत अब कोई राहत नहीं है । 30 प्रतिशत जिला पंचायतों को दे दिया गया....

श्री अध्यक्ष–

सुनिश्चित रोजगार योजना तो केन्द्र सरकार की है । उसकी तरफ से कुछ गाइड लाइन्स हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत सी योजनाओं में हमारा पैसा जाता है । मैं उन गाइड लाइन्स के विपरीत नहीं जाना चाहता हूं । उन्हीं गाइड लाइन्स के अन्दर रहते हुए सरकार अपनी इच्छा शक्ति को जगा ले । कर्मचारियों द्वारा उनका अनुपालन होना है । मुख्य विकास अधिकारी सरकार का आदमी है कोई भी सुनिश्चत रोजगार योजना चले । जिसमें विधायक की सहमति न हो, उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहमति प्रदान न करे तो फिर किसी भी मुख्य विकास अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ेगी । आज सुनिश्चित रोजगार योजना के

तहत हमारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है। आज विधायकों को जो विधायक निधि दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। अगर सचमुच में आप भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज दाम सभी निर्माण सामग्रियों के बढ़ गये हैं, लोहे, सीमेन्ट, ईंट आदि के दाम बढ़ गये हैं। एक किलोमीटर की जो सड़क 4 लाख में बनती थी अब वह 8 से 14 लाख में बन रही है, इसलिये आप इस 75 लाख को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दें जिससे कि विधायक अपने क्षेत्र में कार्य करा सके। हम यह नहीं कहते कि हमें पैसा दे दीजिये। हमसे 1 करोड़ रुपये के सुझाव ले लिये जायं और हमारे सुझावों के अनुरूप कार्य किया जाय। आज जिन एजेन्सियों से कार्य कराया जा रहा है वह संतोषप्रद नहीं है, घटिया एजेन्सियां हैं। विधायक निधि का जो पैसा है, जिस एजेन्सी से विधायक काम कराना चाहे, जिससे जवाब देही हो सके, उससे निर्माण कार्य कराया जाय। सी०डी०ओ० जिन एजेन्सियों से कार्य करा रहे हैं वह घटिया किस्म की हैं। इसलिये विधायक निधि को एक करोड़ किया जाय। सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत बिना विधायक की सहमति के स्वीकृति न दी जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार जी ने जो कहा है, इसमें दो बातें हैं। आपने स्वयं देखा है उत्तर प्रदेश सरकार निर्देश दे सकती है। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो यह व्यवस्था कर दी गई थी कि विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि और निर्देश दे सकती है। दूसरा जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि एक कि०मी० सड़क 11 लाख रुपए में बन रही है, यदि 5-6 कि० मी० सड़क बनानी हो तो 75 लाख रुपए तो इसी में खर्च हो जायेगा। जहां तक एजेन्सी की बात है, सी०डी०ओ० अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। लेकिन मान्यवर, इनका उत्तरदायित्व नहीं है। जहां विधान सभा क्षेत्र में काम होता है वहां एजेन्सी की जो एक लिस्ट है उसमें सदस्य जो चाहें जिससे चाहें काम करा सकें ताकि उनके काम के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी भी विधायक ले सकें। सी०डी०ओ० कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। विधायकों का यह कहना कि एक करोड़ रुपया कर दिया जाय वह तो सरकार करना चाहेगी तो बहुत अच्छी बात है। विधायकों को यह पता है कि आज विकास के कार्य में उनकी भागीदारी नहीं रह गई है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप कृपया इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि वह इसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व्यवस्था बनाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पाल जी, कृपया एक मिनट में अपनी बात कहें अभी काफी काम है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कल इस सम्मानित सदन में और आपके कक्ष में सत्ता और विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा ऐसे बिन्दु उठाये गये थे जो विभिन्न विभागों से संबंधित थे जैसे दीन दयाल योजना है जिसमें सड़कें बनाई जाती थीं। नावार्ड को प्रमुख सचिव वित्त ने एक पत्र लिखा कि पी०डब्लू०डी० की सड़कों के लिये वह पैसा न दें इसी कारण से पिछले दो तीन सालों में कोई सड़क के लिये पैसा नहीं मिला है। जब कि उस समय पर मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि विधायक अपने-अपने क्षेत्र की दो-दो सड़कें दो-दो किलोमीटर की जो वह चाहें लिखकर दे दें। एक प्रमुख सचिव वित्त के पत्र लिख देने से पी०डब्लू०डी० की सड़कें स्वीकृत नहीं हुई हैं। आज पूरे प्रदेश में एक अधिकारी सरकार पर भारी पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के पास पैसा नहीं है। नावार्ड से पैसा आता था तब सड़कों का विकास होता था। इसी तरह से पांच गांवों के विद्युतीकरण की बात हुई थी। आज एक वर्ष हो गया यह इस

सदन की घोषणा थी मंत्री जी का वक्तव्य था । अभी तक यह लागू नहीं हुआ सुनिश्चित रोजगार योजना के सम्बन्ध में जिस शासनादेश 2-6-2000 का उल्लेख किया गया है । जी०ओ० हो गया न परामर्श की बात, न सहयोग की बात, प्रस्ताव के कार्यान्वयन की बात है । मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं आपने सदस्यों की पीड़ा को समझा था जिसके नाते माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि सभी लोग मेम्बर रहेंगे । माननीय सदस्यों को अपने कर्तव्य के पालन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करेंगे । इसी सन्दर्भ में मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कृपया निर्देश दें कि जो शासनादेश है जारी किया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो । जो कार्य हमारे हो रहे हैं उनके लिये कारगर संस्थाओं का चयन विधायकों के द्वारा होना चाहिए । जनपद के विकास अधिकारियों द्वारा उनका चयन नहीं होना चाहिये । जिस तरह की अनियमितताएं आज हो रही हैं वह दूर हो सकें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी । जिस जी०ओ० का उल्लेख किया गया वह 2 जून, 2000 को निर्गत हुआ है और जहां तक मेरी जानकारी है उस जी०ओ० का अनुपलान प्रदेश के किसी भी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी या परियोजना निदेशक द्वारा नहीं किया गया है । उस शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कृपया उस शासनादेश का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में सरकार को निर्देशित करें । मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक और निवेदन करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा । विधायक निधि के साथ एक पाबन्दी लगा दी गई है कि हम पांच गांव के अतिरिक्त किसी और गांव के विद्युतीकरण में "निधि" के धनराशि को नहीं दे सकते हैं । शासनादेश यह हुआ है हम विद्युत प्रणाली सुधार के नाम पर विधायक निधि का धन दे सकते हैं तो आपसे निवेदन है कि सरकार को इस बात के लिए निर्देशित करें कि जो पाबन्दी लगाई गई है सरकार उस पर पुनर्विचार कर उसे वापस ले । मान्यवर, शहरी विकास मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में घोषणा की थी कि नगरीय क्षेत्र में भी 50 इण्डिया मार्का टू हैण्डपम्प मा० विधायकों की संस्तुति पर लगाये जायेंगे किन्तु आज 6 महीने व्यतीत होने के बाद भी इस आशय का शासनादेश निर्गत नहीं किया गया मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सरकार को निर्देशित करें कि सदन में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु वह तत्काल शासनादेश निर्गत करें ।

श्री अध्यक्ष–

पटेल जी एक मिनट में अपनी बात कह दें ।

* श्री आर० के० सिंह पटेल–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास निधि में जो बंटवारा होता है पूरे बुन्देलखण्ड के जनपदों में समान आनुपाति रूप में न करके कहीं कम कहीं ज्यादा होता है तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड के जिलों में जिलांश राज्यांश का जो बंटवारा होता है, जिलांश में तो प्रस्ताव लिए जाते हैं लेकिन राज्यांश में जो विधायक कहीं का प्रस्ताव करते हैं तो उसको महत्व नहीं दिया जाता है तो जिलांश और राज्यांश में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे जाएं आप ऐसे निर्देश दे दें ?

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा भी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

फिर उत्तरांचल के विधायकों की विदाई अच्छी तरह हो जो हम चाहते हैं, उसके लिए समय कम मिल पायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों की भागीदारी की बात है । मान्यवर, 10-5-2000 को 5–5 गांव के विद्युतीकरण की घोषणा की थी लेकिन जिला स्तर पर एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है । अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं । 50–50 इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प विधायकों द्वारा इंगित स्थल पर लगाए जाऐंगे उसकी अवहेलना की जा रही है । मैनपुरी में मुख्य विकास अधिकारी अनावश्यक रूप से अड़ंगेबाजी कर रहे हैं, विधायकों की अवहेलना कर रहे हैं । पांच-पांच गांव के विद्युतीकरण की घोषणा की गई इसमें सरकार को निर्देश दें कि उसका अनुपलान हो जाए ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय विधायकों ने विधायक निधि किस तरह व्यय की जाए, सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों की क्या भागीदारी रही, मूल रूप से दो बातें सामने आईं एक तीसरी बात यह सामने है कि जनपदों में नये विद्यालय खोलने होते हैं तो उनको खोलने के स्थान को भी माननीय विधायकों से नहीं पूछा जाता है तो इन तीनों बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । सुनिश्चित रोजगार योजना में जिसमें 30 परसेन्ट धन जिला पंचायत द्वारा व्यय करने का प्राविधान है और 70 प्रतिशत व्यय करने का प्राविधान है क्षेत्र पंचायत को । श्रीमन् दोनों पंचायतों में विधायकों की सहमति और भागीदारी निश्चित तरीके से सुनिश्चित की जाय क्योंकि विधायक जनता के साथ सीधे जुड़ा होता है । जनता की आकांक्षाओं के प्रति वह सीधा जवाबदेह है और जनता भी विधायक से ही बार–बार आग्रह करती है कि अमुक स्थान पर अमुक कार्य हो । तो श्रीमन् सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से शासन को निर्देश जायें और शासन भी, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, निश्चित तौर से इस भावना से भलीभांति अवगत हैं और सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण भी इन सारी बातों से सहमत हैं । मान्यवर, एक आदेश सरकार द्वारा यह चला जाय कि सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों की भागीदारी और सहमति लेनी होगी । दूसरी बात यह है कि विधायक निधि का पैसा व्यय करने के लिए चाहे हैण्ड पाइप बने, सड़क बने, मिट्टी या कंकड़ के कार्य हों सरकार ने जो कार्यदायी संस्थाएं घोषित कर रखी हैं उसमें सरकार यह निश्चित कर लै कि फलां कार्यदायी संस्था ठीक है और उसको मान्यता दें और इसमें विधायक की भी सहमति हो कि इस कार्यदायी संस्था को पैसा दिया जाय जिससे विधायकों की भी जिम्मेदारी हो कि वह कार्य ठीक से हो रहा है कि नहीं ।

मान्यवर, शासन की ओर से एक आदेश और गया है कि इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प अब जल निगम द्वारा लगाये जायेंगे । इस बारे में मुझे यह कहना है कि जिस मैटीरियल और जिस मार्का का हैण्ड पाइप में सामान लगता है उस मार्का का वही सामान दूसरे लोग जैसे नलकूप निगम है वह पन्द्रह हजार में लगाते हैं तो यह 19 हजार में लगा रहे हैं । चार हजार ज्यादा में यह लगाते हैं । तो इससे और ज्यादा हैण्ड पाइप लग सकते हैं । इस आदेश को संशोधित किया जाय अगर यह पाया गया है तो इसमें यह कर दिया जाय कि किसी भी कार्यदायी संस्था से लगवा लीजिये । इसमें शासन या सी० डी० ओज या दूसरे लोग कह सकते हैं कि जल निगम के लोग मरम्मत करते हैं तो वह अब ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है और अगर मरम्मत करते हैं तो पैसा लेते हैं कोई मुफ्त में तो करते नहीं ।

श्री धनी राम वर्मा–

पैसे तो लेते ही हैं उसका । जब पैसे लेते हैं तो फिर जल निगम के द्वारा लगाने का कोई औचित्य नहीं है । तीसरी बात नये स्कूल खुले उसमें पहले भी ऐसा होता था कि सारे जिले के सांसद/विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष, एम०एल०सी० की एक मीटिंग होती थी मीटिंग में तय हो जाता था कि इतने-इतने स्कूल एक-एक विधायक सांसद के कोटे में आते हैं लिखकर दे देंगे बनेंगे । उसका भी आदेश चला जाये । मान्यवर, मैं यह आशा करता हूँ कि इस संबंध में सरकार कार्यवाही करेगी ।

विधायक निधि की जो बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी आपने 25 लाख रु० बढ़ा दिया और 25 लाख बढ़ाने की कृपा करें आपसे विशेष आग्रह है सभी विधायकगणों का और आपसे आशा करते हैं कि आप कर देंगे । सारे अधिकार तो आपने हमारे छीन लिये हैं हम लोगों को तो काम चाहियें आप एक करोड़ कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मोटे तौर पर विधायकों के संबंध में समस्यायें थी । सभी का उल्लेख माननीय सदस्यों ने कर दिया माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस संबंध में कुछ कहना चाहें या माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैंने शासनादेश कल आपको भी उपलब्ध करा दिया है और माननीय नेता विरोधी दल को भी उपलब्ध करा दिया है । शासनादेश में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया था सांसदों के संदर्भ में जो उन्होंने जिले पर जिलाधिकारियों को निर्देशित किया था उसके अनुसार इसी विधान सभा में माननीय विधायकों ने प्रश्न किया था तो सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कहा था क हम विधायकों का भी सम्मान उसी के अनुसार रखेंगे । जिस हिसाब से भारत सरकार के सांसदों के संबंध में निवेदन किया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने वक्तव्य में आज बताया कि जून में वह शासनादेश जारी कर दिया है । सांसद के संदर्भ में केवल जिले की बात थी, इसे थोड़ा बढ़ाकर क्षेत्र पंचायतों में भी माननीय विधायकों की सहमति के आधार पर ही उनकी सहमति लेकर के फ़िर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा । फिर यह कहना कि अनुपालन नहीं कर रहे हैं, अनुपालन की बात आती है हम संबंधित अधिकारियों से बात कर लेंगे हम अधिकारियों को निर्देश दे देंगे कि अगर कहीं सांसदों और विधायकों के दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है तो बिठला दीजिये । सहमति के आधार पर ही योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा ।

मान्यवर, भारत सरकार ने जो गाईडलाइन्स दी है आज गाईडलाइन्स में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गयी है उस पंचायती राज को हम इगनोर नहीं कर पायेंगे । 70 प्रतिशत सुनिश्चित रोजगार योजना के लिये क्षेत्र पंचायत को और 30 प्रतिशत जिलां पंचायत को यह देंगे इन दोनों स्थानों पर माननीय सांसद और विधायकों की सहमति होगी ।

श्री अध्यक्ष–

शासनादेश में परामर्श और सलाह दो शब्द प्रयोग हुए हैं परामर्श और सहमति में अंतर है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अगर सरकार स्वीकार करती है सहमति किया है तो वह लागू करें ।

श्री अध्यक्ष–

गतिरोध न हो । जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत तय करती हैं, अमुक कार्य होना है और सांसद विधायक की सहमति आप अनिवार्य कर रहे हैं और उनके निर्णय से आप सहमत नहीं है तो गतिरोध हो जायेगा तो व्यवहारिक दृष्टिकोण देखिये ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, परामर्श शब्द भारत सरकार ने दिया है परामर्श शब्द उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

शब्द प्रयोग हुआ है सांसदो की सलाह ।

शासनादेश आपने देखा होगा कि सांसदों की सलाह से अंतिम रूप दिया जाये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से कार्य करेगा तो सलाह शब्द अनिवार्य है और राष्ट्रपति कार्य करेगा प्रधान मंत्री की सलाह से तो प्रधान मंत्री की सलाह अनिवार्य है उसको वह मानेंगे तो उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कदाचित आप हमारी बात से सहमत होंगे उसमें सहमत शब्द डलवा दें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने आपको नेता विरोधी दल को भी शासनादेश उपलब्ध करा दिया है । आप परामर्श के बजाय सलाह कह दिया हो तो शब्द पकड़ रहे हैं परामर्श शब्द भारत सरकार ने भी दिया है मैंने भी यह कहा है कि माननीय सांसदों से सभी माननीय विधायकों से भी परामर्श लिया जाय, यही शब्द है । अब वहाँ वी०डी०सी० के लोग भी चुनकर आये हैं जिला पंचायत के लोग भी चुनकर आये हैं तो उनकी भी राय ली जायेगी हमारी भी राय ली जायेगी और राय के अनुसार ही कार्य किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य बात है कि माननीय विधायकों की भागीदारी सुनिश्चत करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं यह शासनादेश पढ़ रहा हूँ :–

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–631/38–4–2000–3सीक्यू/2000, दिनांक 25 मार्च, 2000 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जिला पंचायत की बैठक में कार्य योजना को अंतिम रूप देते समय माननीय सांसदों के साथ-साथ माननीय विधायकगणों से भी परामर्श लिये जाने के निर्देश दिये गये है ।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत के साथ-साथ क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय माननीय सांसदों के साथ ही माननीय विधायकगणों से भी परामर्श ले लिया जाय । यह क्षेत्र पंचायत के लिए है, यह 2 जून का है । इसके पहले 25 मार्च का जारी किया गया है वह जारी किया गया है जिले के लिए जिला पंचायतों के संदर्भ में जारी कर दिया है । सांसदों के लिए एक जारी हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश में दोनों जारी कर दिये हैं । अब इसमें 80 प्रतिशत पैसा सुनिश्चित रोजगार का भारत सरकार से आता है और 20 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देती है तो हम भारत सरकार की गाइड लाइन को चेंज नहीं कर सकते ।

श्री धनीराम वर्मा–

एक तो कार्यदायी संस्था और दूसरे विद्यालयों के चयन के बारे में बता दें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, परामर्श शब्द से कोई तात्पर्य नहीं है उसको निकाल दें। अगर सहमति शब्द उसमें डाला जा सकता हो तो निश्चित रूप से उसे करा दें अगर परामर्श शब्द रखना है तो उसको निकाल दे ताकि हमारा अपमान न हो।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह पैसा ऐसा नहीं है कि जो खैरात में आ रहा है अगर 80 प्रतिशत भारत सरकार दे रही है तो 20 प्रतिशत हम भी दे रहे हैं। आप हमारा पैसा खर्च करेंगे और हमसे सहमति भी नहीं प्राप्त करेंगे। मान्यवर, यह तो नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष–

2 नवम्बर, 2000 को दिन में 11.00 बजे इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिये माननीय दल के नेताओं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और जो संबंधित मंत्री हों, की एक बैठक बुला लें और उस दिन इसका समाधान कर लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बैठक 30–31 में कर लें या फिर 2–4 के बाद कर लें।

श्री अध्यक्ष–

यही तो दिक्कत है। जब मैं निर्देश देता हूँ, जब मैं समस्या का समाधान ढूँढने का प्रयास करता हूँ तो वह करने नहीं देते।

श्री धनीराम वर्मा –

कार्यदायी संस्थाओ के बारे में भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस बीच ग्राम्य विकास मंत्री कृपया एक ऐसा शासनादेश जारी कर दें जिससे माननीय विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाय और उनकी भूमिका कम न हो बल्कि प्रभावी हो जाय।

मेरे पास 3 और सूचनायें बची हैं माननीय कुँवर रेवती रमण जी ने जो बात उठाई थी, उसको एक घंटा हो गया। विदाई का जो कार्यक्रम है, उसको लेने दें। शेष सूचनायें नियम 300 में आती नही, इसलिये मैं उनको निरस्त करता हूँ।

प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन विषयक प्रकरण उठाने का प्रयास

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, विधान सभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान विधान सभा के गलियारों में एक बात सुनिश्चित रूप से उठ रही है कि आज उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा तो यह घोषणा सदन के बाहर नहीं होनी चाहिये। मुख्य मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं। यह एक संसदीय परम्परा है।

श्री अध्यक्ष–

इससे सदन से कोई मतलब नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

जिज्ञासा है नेतृत्व परिवर्तन की । पाल साहब यहां के जाने माने नेता हैं, 24 घन्टे इनका ध्यान उधर ही रहता है ।

श्री जगदम्बिका पाल –

अगर वही काम संसदीय कार्य मंत्री भी करेंगे तो ठीक नहीं है । आप संसदीय परम्पराओं के रक्षक हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी आप रोज ही सिखाते हैं कि समाचार–पत्रों में छपी खबरों का संज्ञान नहीं लेते । इलेक्ट्रानिक मीडिया का संज्ञान नहीं लेते ।

दिनांक 15 मई 2000 के कार्यवृत्त में अंकित नियम 103 के अन्तर्गत श्री लाल जी वर्मा आदि द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा किसी सदस्य के रुचि न लेने के कारण अस्वीकार किये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैंने दिनांक 20 अक्टूबर, को औचित्य के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी, मैं आज उस व्यवस्था को दे रहा हूँ ।

श्री लाल जी वर्मा ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को सदन में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये दिनांक 15 मई, 2000 के कार्यवृत्त की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुये कहा था कि दिनाँक 15 मई, 2000 को नियम 103 के अन्तर्गत श्री लाल जी वर्मा, श्री बी०आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को सदन में प्रस्तुत विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किये जाने विषयक प्रस्ताव पर जारी चर्चा किसी सदस्य द्वारा रुचि न लेने के कारण अस्वीकार होने का उल्लेख है जब कि सदन में लम्बित कोई प्रस्ताव किसी सदस्य के रुचि न लेने के कारण अस्वीकार नहीं हो सकता है । इस विषय पर श्री वर्मा ने अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दिये जाने का अनुरोध किया था । मैंने उस समय यह कहा था कि मैं संबंधित दिवस की विधान सभा की कार्यवाही देखकर अपनी व्यवस्था बाद में दूँगा ।

मैंने 15 मई 2000 की सदन की कार्यवाही देखी । उक्त कार्यवाही के पृष्ठ 261 को देखने से यह विदित होता है कि उक्त तिथि की सदन की कार्यसूची की मद संख्या–17 पर कार्य–सूची बद्ध उक्त प्रस्ताव पर श्री अधिष्ठाता द्वारा माननीय सदस्यों से चर्चा में भाग लेने और अपने विचार रखने का अनुरोध किया गया था किन्तु किसी सदस्य द्वारा जब विचार नहीं रखे गये तो उक्त प्रस्ताव के विषय में श्री अधिष्ठाता द्वारा प्रश्न उपस्थित किया गया और ध्वनि मत से उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ था । इस प्रकार उक्त प्रस्ताव के संबंध में सदन में अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतया नियमानुसार थी, अतः मैं औचित्य के उक्त प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ ।

नव गठित उत्तरांचल सभा क्षेत्र में आने वाले उत्तर प्रदेश विधान सभा के 22 सदस्यों की भावभीनी विदाई

श्री अध्यक्ष–

उत्तरांचल जो नया राज्य गठित होने वाला है उस क्षेत्र के माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित हैं। 22 की संख्या है इनकी। इस संबंध में मैं चाहूँगा, विदाई का यह जो कार्यक्रम है, उसमें हम सब भाग लें। इसको नेता प्रतिपक्ष या माननीय मुख्य मंत्री जी पहले शुरू करें या संसदीय कार्य मंत्री जी शुरू कर दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, पहले हम शुरू कर देते हैं, माननीय नेता सदन समापन करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय नेता सदन समापन करेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज का दिन वास्तव में इस विधान सभा का ऐतिहासिक दिन है। सम्भवतः इससे पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया जब यहाँ अपने साथियों को इस प्रकार की विदाई दी हो। हम लोग वर्षों तक साथ–साथ बैठते रहे और यह केवल व्यक्तियों की विदाई नहीं बल्कि क्षेत्रों की विदाई है। जिन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 13 वीं विधान सभा के रूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं और आज के बाद जब नए राज्य का गठन हो जायेगा, यहाँ उनको न पाकर एक अधूरापन तो इस सदन में निश्चित रूप से रहेगा। हालांकि राज्य के गठन की माँग होती रही और पूरी हुई है। जब उसका एक स्वरूप बनकर सामने आया है और स्वरूप बनने का पहला कदम यह है कि हम आज अपने साथियों को विदाई दे रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिन लोगों का जिन महानुभावों का इतना बड़ा योगदान यहाँ की चर्चाओं में रहा हो यहां की परम्पराओं को बनाने में रहा हो, कल वह हमारे बीच में नहीं रह पायेंगे। यह वास्तव में एक रोमांचकारी क्षण हैं।

मान्यवर, हमारे सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के तीन सम्मानित सदस्य माननीय अम्बरीष जी, माननीय राम सिंह सैनी जी और माननीय मुन्ना चौहान जी, कभी भी कोई विषय रहा हो, तीनों ने बड़ी गम्भीरता से अपनी भागीदारी की है और संयोग की बात यह है कि तीनों में से एक खुश होकर जा रहे हैं और दो बेमन से जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता काजी जी क्षेत्र में ही नहीं हमारे पश्चिम में उनकी एक ख्याति है। कितनी बार हमें साथ–साथ बैठने का अवसर मिला है। जब हम रूड़की जाते थे तो उनके यहां बहुत आदर–सत्कार मिला है। अब उनकी तलाश करने देहरादून जाना पड़ेगा या और कहीं जाना पड़ेगा। हमारे साथी के०सी० सिंह "बाबा" जी जो काशीपुर का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके भी दर्शन इस सदन में नहीं हो पायेंगे। श्री ज्ञान चन्द्र, श्री लाखी राम जोशी, श्री मातवर सिंह कंडारी, श्री भारत सिंह रावत, श्री मोहन सिंह रावत गाँववासी, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री केदार सिंह फोनिया, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण रामदास, श्री वंशीधर भगत, श्री तिलक राज बेहड़, श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री हरिवंश कपूर जी कई बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे हैं।

इस सदन को सुशोभित किया और कुछ सदस्य तो हमारे साथ विदेश गये थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो ऐसे कुछ क्षण हैं जिनको कहने का बहुत मन करता है और कहा भी नहीं जाता है । मैं अपनी ओर से इन सबको शुभकामनायें अर्पित करता हूं और हमारी प्रार्थना होगी ईश्वर से कि जो नया राज्य गठित हुआ है वह नया राज्य फले-फूले और जिस तरह से इस प्रदेश को बनाने में आपका योगदान रहा उससे भी ज्यादा योगदान वहां रहेगा । यह बंटवारा देशों का बंटवारा नहीं है यह बंटवारा केवल सीमाओं का हो रहा है, प्रदेश का एक हिस्सा कटकर दूसरी जगह जा रहा है । भाई-भाई की तरह से हम लोग रहेंगे और जो आज तक सम्बन्ध बने रहे हैं उन सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने में हमारा योगदान रहेगा । हम सब मिलकर पूरक के रूप में काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी भावभीनी विदाई सभी माननीय सदस्यों को अर्पित करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद सभी दलों के नेताओं को मैं बुलाऊंगा और उसके पश्चात् हमारे जो उत्तरांचल क्षेत्र में जाने वाले माननीय सदस्य हैं वह अपने विचार व्यक्त करेंगे, उसके पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में सदियों, पीढ़ियों से हम सब लोग एक साथ रहते चले आ रहे हैं और प्रेम तथा सद्भाव का वातावरण आपस में रहा है । आज हम 425 सदस्यों की इस विधान सभा के सदस्यों में 22 माननीय सदस्यों को भावभीनी विदाई दे रहे हैं । श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चन्द, श्री लाखीराम जोशी, श्री मातवर सिंह कंडारी, श्री भारत सिंह रावत, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, डा० रमेश पोखरियाल निशंक, श्री केदार सिंह फोनिया, श्री विशन सिह चुफाल, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण राम दास, श्री बंशीधर भगत, श्री तिलक राज बेहड़, श्री सुरेश चन्द्र आर्य, श्री के० सी० सिंह "बाबा", श्री राजेन्द्र सिंह, श्री हरबंस कपूर, श्री मुन्ना चौहान, श्री राम सिंह सैनी, श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री अम्बरीष कुमार, इन सभी 22 माननीय सदस्यों को हम आज भावभीनी विदाई दे रहे हैं । श्रीमन्, जैसे घर में रहकर एक साथ हम काम करते हैं उसी तरह से यह विधान सभा रूपी हमारा परिवार है और एक परिवार के रूप में हम सभी सदस्यों ने मिलकर इस प्रदेश की खुशहाली के लिये, इस प्रदेश की प्रगति के लिये, हम सबने मिलकर वर्षों वर्ष काम किया है । हमारे माननीय सदस्य आज हमसे अलग होकर परिवार से न्यारा साझी करके जरूर अलग हो रहे हैं लेकिन वह काम नहीं होना चाहिए । देहात में एक कहावत है "बांटा पूत पड़ोसी बराबर" यह भावना हमारे माननीय सदस्यों में नहीं होनी चाहिए । जिस तरह का प्रेम और सद्भाव आपस में हम लोगो में है, उसी तरह से प्रेम और सद्भाव आगे भी बना रहे और यह भी हम आशा करते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव पहाड़ और यहां हम न करें, न आप करें और न वहां की जनता के मन में आने दें, न हम यहां की जनता के मन में आने दें तभी हम लोगों का दायित्व पूरा होगा और तभी उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के लोग आपस में मिलजुलकर रह सकेंगे । दोनों प्रदेशों के लोग जब मिलजुलकर रहेंगे तभी दोनों की प्रगति सम्भव है । अगर खींच-तान किसी प्रकार से होती है तो निश्चित तरीके से प्रगति रुकेगी । जिस प्रकार से बंटवारे में छोटी-छोटी बातों को लेकर कभी-कभी बड़े-बड़े मनमुटाव पैदा हो जाते हैं, अगर उसी तरीके से मनमुटाव पैदा होता है तो इस तरीके से हमारे दोनों के बीच में बाधा बढ़ेगी, जब हम दोनों के बीच में बाधा बढ़ेगी तो दोनों के मन में गांठ पड़ेगी । भले ही बंटवारा हुआ हो ।

हम अब भी यह नहीं मानते हैं कि उत्तरांचल जाने वाले साथी विधायक या उत्तरांचल प्रदेश हमसे अलग है, हम यह महसूस नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी हम यह चाहेंगे कि न आप महसूस कर

सकें न हम महसूस कर सकें। न वहां रहने वाले यहां के अधिकारी/कर्मचारी महसूस कर सकें और न यहां रहने वाले वहां के अधिकारी/कर्मचारी महसूस कर सकें। यह हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता होगी। यही हम लोगों का बड़ा दायित्व है, इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी भाई सद.यों को जिसमें हमारे सैनी जी, अम्बरीष जी, काजी साहब जो स्वयं नहीं जाना चाहते हैं। मजबूरी में जा रहे हैं, उनको भी विदाई देते हैं। वैसे उन्हें हम तब तक विदाई नहीं देते हैं जब तक माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भाव भीनी विदाई देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस मौके पर जब हमारे इस सदन के एक साथ 22 माननीय सदस्य उत्तरांचल प्रदेश बनने के बाद वह इस सदन से व हमसे अलग होकर के उत्तरांचल प्रदेश जा रहे हैं। ऐसे वक्त पर हम अपने इन सभी जाने वाले माननीय सदस्यों से इस बात की अपेक्षा करेंगे कि प्रदेश का बंटवारा भले ही हो गया हो लेकिन दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम भाईचारा जिस तरीके से इस सदन में बैठकर बनाये रखें हैं उत्तरांचल प्रदेश में जाने के बाद भी व्यवहारिक रूप में यह भी दिखायी पड़े, इस बात की हम अपेक्षा करते हैं। वैसे उत्तरांचल प्रदेश के बिना उत्तर प्रदेश की परिभाषा अधूरी जरूर लगती है लेकिन चूंकि यह वहां के लोगों के मांग के मुताबिक जब नये प्रदेश का गठन हो ही गया है तो माननीय सदस्यों का जाना स्वाभाविक है। इसे हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो दिलों में एक दूसरे के प्रति जगह है प्यार की और आपसी भाईचारे की वह भविष्य में अनवरत बनी रहेगी इस बात की मैं अपेक्षा करता हूं। यद्यपि उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल प्रदेश शोभा है लेकिन उत्तरांचल प्रदेश के अलग बन जाने के बाद भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर जब आप रहेंगे तो हमारी शान के रूप में ही इस प्रदेश का भी आप अपने दिलोदिमाग में एक स्थान बनाये रखेंगे और उत्तर प्रदेश के जो भी लोग यहां पर हैं आप भले अलग हो रहे हों लेकिन हम आप को अलग नहीं मानते हैं, आपका स्थान पूर्ववत हमारे दिलों में वही रहेगा जो आज है।

मान्यवर, यह एक ऐसी बेला है जो कुछ मायने में सुख और कुछ मायने में दुख की बेला है। सुख इस मायने में कि एक नये प्रदेश का गठन हुआ और वहां के विकास की बात हमारे 22 नये माननीय सदस्यों के देख-रेख में शुरू होगी और नये उत्तरांचल प्रदेश को सजाने संवारने में एक अच्छे शिल्पी का कार्य करेंगे। जैसा कि इस माननीय सदन में हमारे इन सभी माननीय सदस्यों का एक बहुत अच्छा योगदान रहा है चाहे वह हां पक्ष के माननीय सदस्य रहे हों चाहे न पक्ष के माननीय सदस्य रहे हों, सभी लोगों ने समय-समय पर आपसी सौहार्द बनाये रखने का काम किया है जो हमेशा यादगार के रूप में जाना जायेगा। विशेष रूप से काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन जी जो बहुजन समाज पार्टी के इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और उनके साथ ही हमारे साथ में बगल में बैठने वाले समाजवादी पार्टी के 3 माननीय सदस्य जिनकी विपक्ष की भूमिका निभाने में अच्छा सहयोग हमें मिलता रहा है, उनका अभाव हमें अवश्य खलेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर माननीय मंत्री जी के रूप में डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" जी का जो योगदान रहा है, जो उनकी मृदुभाषा व कुशलता रही है और कभी-कभी जो एक कवि के रूप में। समय-समय पर वह अपनी बात रखने का काम करते थे वह अविस्मरणीय रहेगा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से हमारे जितने भी माननीय साथी हैं जैसा कि पहाड़ को सरस सरल माना गया व्यवहार शीतल माना गया है वैसे ही हमारे साथी चाहे सर्वश्री ज्ञान चन्द्र जी लाखी, राम जी, मातवर सिंह कण्डारी, भारत सिंह रावत, मोहन सिंह रावत गांववासी, कृष्ण चन्द्र पुनेठा जी चाहे अजय भट्ट साहब, नारायण राम दास, बंशीधर भगत, तिलक राज बेहड़, राजेन्द्र सिंह, हरबंश कपूर, सुरेश चन्द्र आर्य, के०सी०सिंह बाबा या अन्य साथी रहे। इन लोगो का व्यवहार हमेशा सरस रहा है यह हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं इनकी हमेशा याद आती रहेगी और हमको प्रसन्न रखेगी। जो अलग होने का कष्ट हो रहा है उसको इन्हीं यादों के तहत भुला पायेंगे। आप लोग यहां से उत्तरांचल प्रदेश जायेंगे तो

हम लोग जो मिल जुल कर रहे हैं यह स्मृति आगे भी बनी रहेगी । आप लोग जब भी यहां बाद में आयेंगे एक मेहमान के रूप में आपका हमेशा स्वागत किया जायगा । साथ ही साथ यह उम्मीद करेंगे कि जब भी हम उधर आयें तो अपने भाई होने के नाते, एक साथी के नाते हम भी आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, घर जाने का भी प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि हमारा जो यहां पर भाई चारा रहा है जो आपसी तालमेल रहा है यही बना रहेगा । अन्त में आप लोगों को इस विदाई के अवसर पर मैं अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से आपका भावभीनी अभिनन्दन करता हूं ।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये । जो खन्ना जी ने कहा है ।

(नेता उ० प्र० लोकतांत्रिक कांग्रेस का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर।)

लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

मान्यवर, आज हम सब इस सदन में 22 माननीय सदस्यों के विदाई समारोह में विदाई दे रहे हैं । मेरा मानना है कि उनकी ऐसी विदाई नहीं है कि जिसमें कोई कष्ट हो । एक भू-भाग के विकास की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है । हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते । इसलिए अलग नहीं हो सकते क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी आस्था उत्तरांचल के पवित्र स्थानों से युगों-युगों से जुड़ी है । पूरे देश में ही नहीं विश्व में जहां एक नहीं कई हिन्दू धर्म के लोग निवास करते हैं उनकी आस्था गंगा यमुना में, बद्रीनाथ, केदार नाथ में, गंगोत्री, जमुनोत्री में है सभी की भावनायें जुड़ी हैं । मेरा मानना है विदाई दो प्रकार की होती है एक तो जिसमें स्थायी कष्ट होता है जैसे अन्तिम विदाई और दूसरी थोड़ा क्षणिक कष्ट वाली जैसे लड़की की विदाई पर होती है । तो यह विदाई क्षणिक है हम इन्हें एक भू-भाग के विकास की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और ये अपनी अपेक्षा के अनुसार उसका विकास करेंगे । इन सभी 22 माननीय सदस्यों को जो हम लोगों के साथ इस ओर चाहे उस ओर बैठे हो उनके उस सुखद भविष्य की कामना के लिये और प्रसन्नता के साथ विदाई कर रहा हूं । धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, आज यह ऐतिहासिक क्षण तो है पर बहुत ही मार्मिक और दुखद क्षण भी है । निःसंदेह उत्तरांचल का गठन न हुआ होता यदि लोक सभा और राज्य सभा में हमारी पार्टी ने अपनी सहमति न दी होती । परन्तु आज उत्तरांचल के बनने के बाद जब कभी भी उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश के नक्शे से अलग पायेंगे तो बहुत कष्ट होगा । सच पूछिये इसका एहसास बहुत भारी लगने लगा है । उत्तर प्रदेश एक शरीर है और ऐसा लग रहा है उसका मुकुट हटा लिया गया है । भौगोलिक सीमा बंट गई है पर आज ऐसा लग रहा है जैसे हृदय का कोई टुकड़ा अलग हो रहा हो । बड़ा दुख है पीड़ा है । हम कभी चलते फिरते गैलरी में दीवारों पर बद्रीनाथ केदारनाथ या नैनीताल या कुमाऊं गढ़वाल के चित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट गया है और जब शरीर का कोई सुन्दर हिस्सा कटने लगता है तो पीड़ा और ज्यादा हो जाती है । जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता । हम दुख के साथ कहते हैं कि सुन्दर हिस्सा अलग हो रहा है । हमें पीड़ा इस बात की भी है कि पर्वतीय अंचल में संस्कृति, सौम्यता, समरसता, निष्कलंकता जो है वह हमसे अलग हो रही है । हमारे पर्वतों ने हमें तीन-तीन मुख्यमंत्री दिये हैं चाहे वह गोविन्द बल्लभ पन्त हों, हेमवती नन्दन बहुगुणा हों या फिर नारायण दत्त

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तिवारी हों तीनों ही सादा परन्तु प्रशासनिक क्षमता तो जबरदस्त थी । इतिहास को उठाकर देखिये 62, 63, 71 का युद्ध हो या कारगिल का बलिदान देने की बात अगर आती है तो पर्वतीय अंचल के रहने वाले जवानों ने भारत का झंडा ऊंचा रखने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया । अगली बार जब हम विधान सभा में बैठेंगे तो यह हमारे साथी हमारे साथ नहीं होंगे उनका योगदान हमारे बीच नहीं रहेगा । कभी-कभी सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती मन नहीं मानता है कि ये सभी हमारे बीच नहीं रहेंगे । हमारे दल के एक साथी श्री के० सी० सिंह बाबा जी हमसे अलग हो रहे हैं । श्री के० सी० सिंह बाबा जी के बारे में बहुत कम सदस्य जानते होंगे । यदि मैं उनके बारे में बताऊं तो आपको जानकर काफी गर्व होगा । श्री के० सी० सिंह बाबा जी उत्तर प्रदेश के पांच बार पावर लिफ्टिंग के चैम्पियन रहे । वह चैम्पियन ही नहीं रहे बल्कि उन्हे पावर लिफ्टिंग का कीर्तिमान भी बनाया, जिसे 20 साल तक तोड़ा नहीं जा सका । यही नहीं उन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी दो गोल्ड मैडल मिले । यही नहीं उन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भी दो कीर्तिमान बनाये । इसके साथ ही एशियन चैम्पियनशिप जब इण्डोनेशिया में हुई तो भारतवर्ष को दो रजत और दो कांस्य पदक दिलाये और भारत का सिर ऊंचा किया । ऐसे मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक दिलाया हो और भारत का प्रतिनिधित्व किया हो क्या उसके लिये लक्ष्मण पुरष्कार की घोषणा नहीं होनी चाहिये । इसलिये उनके योगदान को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध कहता हूं कि वह विदाई स्वरूप में इस बात की घोषणा करें कि उन्हें लक्ष्मण पुरष्कार दिया जायेगा ।

मान्यवर, हमारी राजनैतिक आस्थायें हो सकती हैं, निष्ठायें हो सकती हैं अगर कभी किसी के मन में कभी कोई पीड़ा हमारी बात से हुई हो तो हम उसके लिये क्षमा मांगते हैं । हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो भावना उस समय व्यक्त की होगी वह हमारी राजनैतिक दल की मान्यता या स्थापना के अनुरूप होगी, हमारे मन में आपके प्रति कोई कटुता नहीं हो सकती है । आज हम इसी आस्था, श्रद्धा, आदर, विश्वास के साथ आप लोगों की विदाई करते हैं, इतना जरूर कहेंगे कि भारी मन से कह रहा हूं । मैं वहां से जुड़ा रहा हूं । ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की शान हमारे बीच से चली जा रही है । सुरम्य स्थान हमसे छूटा चला जा रहा है । आपके संघर्ष की विजय हुई और आपने उसे पाया परन्तु इतना कहना चाहता हूं कि हम खोकर हार गये । यह पीड़ा वर्षों तक हमको सालती रहेगी । हमारे बीच से श्री अम्बरीष कुमार जी व श्री मुन्ना चौहान जी की निष्पक्षता और उनकी संसदीय क्षमता की भी हमें याद आयेगी । यह सही है कि श्री मुन्ना चौहान जी आये अकेले थे, परन्तु यहां से दुकेले होकर जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना है कि वहां पहुंचते-पहुंचते 3-4 हो जायं ।

मान्यवर, मुझे दुख है, पीड़ा है कि हमारा एक अंग कट कर चला जा रहा है । इसकी पीड़ा हमें सताती रहेगी । मैं इन माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आपने नया प्रदेश बना लिया है । हमारी शुभकामनायें आप लोगों के साथ हैं । भगवान करे कि आपका प्रदेश सर्वाधिक शक्तिशाली व समृद्ध बने । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब पा सकते हैं परन्तु अपने मातृ प्रदेश को नहीं भूल सकते हैं, उससे अपने को आप अलग नहीं कर सकते हैं । हमारे जो 22 सदस्य आज से हमारे बीच से जा रहे हैं, वह हमसे अलग नहीं हो सकते हैं । इसी विश्वास के साथ, शुभकामनाओं के साथ और इसी आदर के साथ, भारी मन से कहना चाहता हूं कि हम जिन माननीय सदस्यों को विदाई दे रहे हैं, उनके साथ किसी न किसी रूप में हमारे सम्बन्ध स्थायी रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे । अकेलेपन का एहसास कभी नहीं हो । वे हमसे जुड़े हुए थे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं ।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, ऐसे लम्हात बहुत मुश्किल से क्या कभी-कभी आते हैं जब आप अपने साथियों को विदा नहीं कर रहे हैं मगर एक क्षेत्र को मान्यवर अपने से अलग कर रहे हैं । हमारे बीच में से 22 हमारे साथी

हैं जो उस क्षेत्र से आते थे जो कि अब एक नया प्रदेश बन गया है और वे वहां नये प्रदेश में जा रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जब किसी खूबसूरत क्षेत्र का जिक्र आता था तो इसका तस्सवुर दिमाग में आ जाता था। इन साथियों का इस क्षेत्र से रिश्ता है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। यह हमारा धर्म है कि हम उनको छोटा भाई मानें और यह हमें अपना बड़ा भाई मानें। खून के रिश्ते झूठे नहीं हुआ करते। मैं इस बात के साथ और इस दुआ के साथ इन्हें विदाई दे रहा हूं कि इनका एक अच्छा और फलता फूलता प्रदेश बने।

श्री राम जग–

मान्यवर, आज हमारे बीच में से 22 ऐसे साथी हैं जिनको हम दबे मन से, दुखी मन से विदा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम और हमारी पार्टी इस विचार धारा के थे कि किसी प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने का एकमात्र उपाय बंटवारा नहीं है। उसको अलग कर देने से उसका विकास नहीं हो जायेगा। हमारी नीतियां जो गलत हैं विकास के कार्य जो सही तरह से कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं उनके कारण ही प्रदेश पिछड़ता है। जैसा हमने पश्चिम बंगाल में करके दिखाया वहां पर सुभाष घीसिंग के आन्दोलन में गोरखा लैंड की बात थी। हमने उस आन्दोलन की जो मूल भावनाएं थीं उसको दूर करने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के 22 साथी हमसे अलग हो रहे हैं। यह कष्ट की बात है लेकिन पिछड़ेपन का एक ही जवाब नहीं है कि उस हिस्से को अलग कर दिया जाय। उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये आवश्यक है कि वहां पर विकास कार्यों को किया जाय। उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ापन है वह प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते है। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये बेहतर कदम न उठाकर अलगाववाद नीति के तहत उत्तरांचल का अलग निर्माण कर दिया गया। हम तो इसके पक्षधर नहीं थे। आज हम अपने इन 22 साथियों को दुखी मन के साथ हृदय पर हाथ रख कर विदा कर रहे हैं। आज हमको सोचना पड़ेगा कि पूरे प्रदेश में जो दो गरीब भाई जब आपस में बंटवारा करेंगे तो एक बैल लेगा एक हल लेगा उसके बाद दोनों को ही जुआ और बैल खरीदना पड़ेगा। उत्तराखंड अलग हो गया यह अलग बात है यह जा रहे हैं लेकिन कहीं केन्द्र की कृपा पर न रहना पड़े, आप अपने पैर पर खड़े हों, हम चाहते हैं लेकिन हमारा अनुभव है कि मिजोरम और नागालैण्ड जो अलग हुआ वह अलग होने के बाद दयनीय स्थिति में है वह आपके सामने स्थिति न आवे। अलग होने पर बहुत कष्ट है, उत्तराखंड अलग हो रहा है इसके अलग होने का निश्चित तौर पर दुख है लेकिन खुशी भी है कि पूरे 52 साल बाद, आजादी के बाद जो कारण का इलाज न करते हुए बंटवारा किया है यह उत्तर प्रदेश के लिए कष्ट की बात है हम सदन के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करते हैं, सत्ता में बैठे लोग कभी सत्ता में आते हैं, कभी विपक्ष के लोग आते हैं। उ०प्र० के दूसरे हिस्सों में गरीबी है, अस्पताल नहीं है, विकास के साधन नहीं है वहां विकास का काम कराना चाहते हैं तो मेरी कामना है कि उत्तराखंड ऐसा न रह जाए। हमें खुशी नहीं है दुखी मन से हम उत्तराखंड के 22 सदस्यों को विदाई दे रहे हैं यह हमसे अलग हो रहे हैं यह दुख की बात है, उत्तर प्रदेश में तो बंटवारा हो गया लेकिन उत्तराखण्ड में दूसरा उत्तराखंड न बनने पावे इसका आप ध्यान रखिएगा। हमारा दल छोटा है वरना हम इसका प्रयास करते और उत्तराखंड न बनने देते। दबे मन से, भारी मन से हमारी शुभकामना है आप जाएं हमारे रोकने से भी आप रुकने वाले नहीं हैं, हमारा दल छोटा है वरना हमारा भरपूर प्रयास होता। आप अलग न हों। आप स्वतः अलग हो रहे हैं इसलिए शुभकामनाओं के साथ आपको विदाई देते हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब हम खुशी और गम दोनों एक साथ मना रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल के गठन पर आज हम सभी बेहद प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं नवगठित उत्तरांचल राज्य में जाने वाले इस आदरणीय सदन के 22 सम्मानित सदस्यों

को हम हार्दिक बधाई देते हैं । श्रीमन् आपकी अनुज्ञा से मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के पवित्र धर्म पुराण में हरिद्वार के उत्तराखंड को ही स्वर्ग कहा गया है, देवलोक कहा गया है । श्रीमन् भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल उत्तराखंड है । आज विदाई इन क्षणों में मैं यह विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं कि पुनर्गठन के बाद भारत की राजनीति चाहे भी तो हमको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती क्योंकि प्रकृति ने तथा संस्कृति ने हमको एकता के धागे में इस तरह बांधा है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं । यह भौगोलिक बंटवारा है दिलों का बंटवारा नहीं है । अगर देश की राजनीति भविष्य में हमें बांटना भी चाहें तो प्रकृति तथा संस्कृति इस षडयंत्र को सफल नहीं होने देगी । श्रीमन्, यह तो एहतियात बरतनी होगी जो माननीय 22 सदस्य हमसे अलग होकर जा रहे हैं । वहां की हुकूमत और रियासत का सुख आपके हाथ में हैं । मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा इस राज्य के पुनर्गठन के पीछे जो आपका सपना था, जो लक्ष्य है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में पुनर्गठन होने के बाद उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से मधुर रिश्ता बना रहेगा वे एक दूसरे के पूरक होंगे । इसलिए मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि इस अटूट संबंध को भविष्य में बनाये रखना है और इसी में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में तरक्की है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव शंकर केवल केदारनाथ में ही नहीं हैं, मैं उत्तर प्रदेश के 22 साथियों को विदाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव शंकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति की राजधानी काशी में भी विराजमान हैं । राजनीतिक और भौगोलिक बंटवारे से काशी को केदारनाथ से अलग नहीं किया जा सकता है । महादेव को काशी और केदारनाथ दोनों में अलग नहीं कर सकते हैं । जो 22 माननीय सदस्य जा रहे हैं मैं महादेव शंकर से पूछना चाहूंगा कि आप काशी में रहोगे या फिर केदारनाथ में रहोगे । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि महादेव शंकर के अटूट रिश्ते में बंधे रहना । राजनीति या छोटी सी मरकत हमको अलग नहीं कर सकती है । कौन कहता है कि गंगा जो गोमुख से निकली है वह प्रयास से नहीं आयेगी ।

एक नवम्बर से यह उत्तरांचल अलग होने जा रहा है आज हम उसे नहीं आने देंगे यह नहीं कहा जा सकता है । यह हजारों साल से गोमुख से उतरी है और हम सब लोग भागीरथ के वंशज हैं । अगर गंगा को भागीरथ धरती पर न उतार पाते तो यह हरियाली जो वहां पर नजर आ रही है यह न दिखायी पड़ती । यह भागीरथ हैं जो हमें एक सूत्र में बांधे रहेंगे और यही हमारी तरक्की का राज होगा । इन्हीं शब्दो के साथ मैं इनको विदायी देते हुए उन्हें शुभकामना व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि एक लम्बे संघर्ष के बाद जो एक भू–खंड के आप स्वामी होने जा रहे हो अपने भाग को नक्शे के हिसाब से रखना । एक जिस मकसद को लेकर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है मेरी शुभ कामना है कि आप उत्तरांचल राज्य निर्माण के मकसद में कामयाब हों ।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

मान्यवर, हमारे इस माननीय सदन के 22 सदस्य उत्तरांचल गठन हो जाने के बाद जा रहे हैं उनकी विदाई में आपने मुझे बोलने का मौका दिया मै आभारी हूं । हमारी तमाम पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार यहां व्यक्त किये । आज आजादी के बाद 52 सालों से जो एक लम्बा परिवार था आज उस परिवार में एक अलगाव के बाद से एक अलग भूभाग बन कर हम अपने सदस्यों को अपने से अलग कर रहे हैं । आज हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम परिवार के भाई जब बहुत दिनों तक लम्बे अर्से तक एक साथ रहने के बाद अलगाव होता है अपने परिवार में से लोग अलग होते हैं तो जो हृदय में पीड़ा होती है तो जुबान से किन्हीं शब्दों से कहा नहीं जा सकता है । मैं किन शब्दों से इनकी विदाई करूँ । वह शब्द हमारे पास नहीं है । लेकिन मैं इतना जरुर कहूँगा कि चाहे सत्ता में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों उत्तरांचल की लड़ाई से उत्तरांचल के माननीय सदस्यों ने मिलकर लड़ा है और आज सफलता उनको मिली है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह सब लोग अपने उत्तरांचल के लिये इतनी अच्छी व्यवस्था करें यहां तो हम लोग सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए हैं जो वहां का सदन चले तो वहां पर सत्ता

सत्ता के लोग हो जायें विपक्ष का कोई व्यक्ति न रह जाये (हंसी) जिससे यह वहां का विकास निर्वाध रूप से चले । क्योंकि हमारी इच्छा है कि जब परिवार एक होता है तो वहां लड़ाई जारी रहे तो बड़ा कष्ट होगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 22 माननीय सदस्यों को विदा करता हूं और वे वहां जाकर के पक्ष विपक्ष न बनायें । (सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश विधान सभा का इतिहास का पहला क्षण है कि हमारे सम्मानित 22 साथी जिनका लम्बा काल इस विधान सभा के सदन की कार्यवाही में बीता है आज हमसे हमेशा के लिये अलग हो रहे हैं । हमें उनका अभाव हमेशा अखरेगा चाहे विरोध पक्ष के साथी के रूप में भाई अम्बरीष जी हो जो बड़ा तार्किक और विवेचनापूर्ण भाषण देते हैं । मुन्ना चौहान जी के आक्रामक भाषण यहां पर देखने को मिले वहीं पर हमारे काजी जी का सौम्यता और संज़ीदगी का व्यक्तित्व है वहां हमारे साथी सत्ता पक्ष के निशंक जी परिमार्जित भाषा में अपनी बात कहते हैं । नारायण दास जी को देखने के बाद गांधी जी की याद आती है । बंशीधर भगत जी हों दूसरे साथी हों, मातवर कंडारी जी इनको बड़े नजदीक से देखा और सुना है । विधान सभा की कार्यवाही में नियमित रूप से सबकी उपस्थिति दफ्तरों में जिस तरीके से पूरा प्रस्तुतीकरण होता था, निश्चित रूप से हम लोगों को उसको देखने का अवसर प्राप्त होता था । आज ऐसे क्षण पर हमारे मन में जो एक स्थिति बनी हुई है, मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह जो 22 साथी हमसे अलग हो रहे हैं उनके मन में कितनी पीड़ा होगी, वेदना होगी लेकिन आज हम सबके लिए खुशी की बात है कि जो छोटे राज्यों की कल्पना महात्मा गांधी जी ने, डा० लोहिया ने की थी आज उसी के तहत उत्तरांचल का निर्माण हुआ है । मुझे विश्वास है कि जो अनुभवी साथी हैं उनको संसदीय राजनीति का काफी अनुभव है बनने वाले उत्तरांचल में निश्चित रुप से वे अपनी योग्यता का लाभ पहुंचाते हुए एक ऐसी सरकार बनायेंगे, एक ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिससे उत्तारांचल यशस्वी होगा, समृद्ध होगा, सक्षम होगा । जैसा कि अन्य साथियों ने कहा हम राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भले ही अलग हो लेकिन सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से अलग नहीं हो सकते हैं । हमारी शुभकामना है कि हमारे सभी 22 साथी जो हमसे अलग हो रहे हैं उनके प्रति मैं अपनी शुभकामना प्रकट करता हूं हमें विश्वास है कि इन सबके सफल नेतृत्व में उत्तरांचल एक मजबूत राज्य बनेगा ।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज हमारे अपने ही बीच से उत्तरांचल के हमारे 22 साथी हमसे अलग होकर जा रहे हैं । मैं नेता प्रतिपक्ष और अन्य दल के सम्मानित समस्त नेतागण के विद्वतापूर्ण विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं । अपने अतिथियों की विदाई के लिए थोड़े शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा ।

"अश्रुपूरित नेत्र से हम देते विदाई आपको
कष्टकारक भी लगेगी मेरी जुदाई आपको
उत्तरांचल हो मुबारक आपको ए दोस्तों
खुश रहें, उन्नति करें, शुभ हो बधाई आपको ।

इतने दिनों का साथ छोड़ते नहीं बनता
सम्बन्ध अति प्रगाढ़ तोड़ते नहीं बनता
जाते हो तो जाओ मगर भूल न जाना
लाख चाहने पर भी मुँह मोड़ते नहीं बनता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगी बरदाश्त कैसे ये दूरियाँ
जा रहे हो दिल पे मेरे चला छूरियाँ
किन्तु जाना तो पड़ेगा यही सत्य है
हम समझ रहे दोस्त आपकी मजबूरियाँ ।
है पता कुछ नहीं जा रहे हो कहाँ
माफ करना हुई भूल जो हो यहाँ
है दुआ ये मेरी ईश से प्रार्थना .
खुश रहे तू सदा तू रहे भी जहां ।
उत्तरांचल के मेरे भाई आप सब खुशहाल रहें
चाहे देहरादून रहें चाहें गढ़वाल रहें ।

मान्यवर, कल परसों दीवाली है । इसके साथ ही दीवाली की शुभकामनाएँ अपने उत्तरांचल के साथियों को सभी सम्मानित साथियों को और पूरे प्रदेश की जनता को देता हूं :–

प्रगति पर परिवार हो
सुख शांति हो खुशहाली हो ।
विश्वास जन-जन में बढ़े
व्यक्तित्व प्रतिभाशाली हो ।
स्नेहिल स्वजन समित्र में
हो सम्बन्ध की प्रगाढ़ता
खुशनुमा समृद्धशाली
शुभ आपकी दीवाली हो ।।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जब हम उत्तरांचल के माननीय सदस्यों को यहां विदाई दे रहे हैं । मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत लगाव रहा है और राजनीति में जब मैंने उत्तर प्रदेश में प्रवेश शुरू किया, तब से प्रतिवर्ष एक चक्कर उत्तरांचल के सभी जिलों का लगाने का मुझे सौभाग्य मिला और बड़ी आत्मीयता, घनिष्ठता के सम्बन्ध वहां के सभी कार्यकर्ताओं से हुये । आज जो माननीय 22 सदस्यों को हम विदा दे रहे हैं, उनमें से अनेक से बहुत आत्मीयता के मेरे सम्बन्ध हैं और वह उत्तरांचल में जा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उत्तरांचल का विकास हो ।

मान्यवर, उत्तरांचल सारे हिन्दुस्तान में श्रद्धा का केन्द्र है । हिमालय इसका इतना आकर्षण है कि सारा भारत उत्तरांचल में आता है, श्रद्धा नवाने आता है, तीर्थयात्रा के लिये आता है, इसलिये उत्तरांचल प्रगति करे, समृद्धशाली हो, यहां का सारा क्षेत्र हरा-भरा हो, वहां के नागरिकों का जनजीवन समृद्ध हो और जो भी उत्तरांचल में आये, वह देखकर गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर सके कि ऐसा सुन्दर क्षेत्र यहां पर है, ऐसा मनोहारी दृश्य यहां पर है, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा है और मैं आज अपने मित्रों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह बंटवारा नहीं है । उत्तर प्रदेश की पूरी शक्ति उत्तरांचल के विकास में लगवाई जायेगी, श्रद्धा से, सद्भावना से जो हम कर सकेंगे, वह करेंगे । लेकिन एक बात की मुझे तकलीफ है, वह मैं कहना चाहता हूं । इन माननीय सदस्यों में बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली हैं, राजनीति में क्षमता रखने वाले कार्यकर्ता हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश से अलग राज्य में न जाते तो जिन्हें उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य होता उसके बाद जैसा यहां के 3 मुख्य मंत्री उत्तरांचल से आये और राष्ट्रीय नेता हो गये, केन्द्र में सत्ता सम्भालने का मौका मिला, ऐसा भी मौका उनको मिलता तो इन प्रतिभाओं से हम वंचित रह जायेंगे, यह हमको कष्ट है । लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि उत्तरांचल

में वह नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, अपने लिये नया गर्व का स्थान बनायेंगे, उत्तरांचल का सही दिशा में विकास करके, वहां के समाज में एकता की भावना को सुदृढ़ करके सारे संदेहों का निराकरण करके, कि उत्तरांचल में कोई विभेदकारी शक्तियां सफल हो सकती हैं, इन शुभकामनाओं के साथ उत्तरांचल के लिये जो हमने लक्ष्य बनाये थे, उसको पूरा करने में सफल हो सकें, इन शुभकामनाओं के साथ हार्दिक विदाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जो 22 माननीय सदस्य इस विधान सभा के 9 नवम्बर से उत्तरांचल विधान सभा के सदस्य हो जायेंगे, उनमें एक आज प्रदेश के मंत्री, 3 प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं और उनके साथ ही साथ जो अन्य माननीय सदस्य भी हैं, मैं चाहूंगा कि वह भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें। माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंत्री, संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व।

संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल "निशंक")–

श्रीमन्, उत्तरांचल राज्य के निर्माण में इस सदन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले तो हम विनम्रतापूर्वक इस पूरे सदन का अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और उत्तरांचल की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, आजादी के 50 वर्षों में उत्तरांचल ने तमाम त्रासदियों को झेला है और उस पीड़ा को सबने महसूस किया इसके लिये यदि कोई ठोस कदम उठाया गया, उसके लक्ष्य त[illegible]ंचाने का काम किया, लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य इस सदन ने किया है, हम इसके लिए आभार [illegible]त करना चाहते हैं। 12 अगस्त, 91 का वह पहला दिन था जब उत्तरांचल के लिये इस सदन ने प्र[illegible]ास करके केन्द्र सरकार को भेजा। उसके बाद 24 अप्रैल, 94 को दूसरी बार जब समाजवादी पा[illegible] सरकार थी और तीसरी बार 24 अप्रैल, 97 को जब भाजपा-बसपा की संयुक्त सरकार थी, [illegible] बार यह प्रस्ताव गया। मैं केन्द्र सरकार के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि [illegible] अटल बिहारी बाजपेयी के कुशल नेतृत्व में जो उन्होंने कहा और जब उन्होंने पहाड़ को देखा कि यह [illegible]त्र विकास के लिए छटपटा रहा है, तरस रहा है तो प्रतिबद्धता के साथ जो उन्होंने कहा था उत्तरांचल राज्य के बारे में, जैसे ही सरकार में आए, 1998 में पहली बार बिल के स्वरूप में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को इस माननीय सदन के पास चर्चा के लिए, अनुमति के लिए भेजा था।

मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पक्ष और विपक्ष ने अपने मतों को अभिव्यक्त करते हुए भारी बहुमत से उत्तरांचल बिल को पास किया था। 1998 के केन्द्र सरकार के गिरने के कारण उत्तरांचल राज्य नहीं बन सका और 2000 में पुनः यह विधेयक आया और फिर इस माननीय सदन ने जिस उदारता का परिचय दिया, मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में, जैसा एक-एक सदस्य ने संघर्षरत जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सहभागिता की है और इस सम्मानित सदन से पास करके उत्तरांचल के निर्माण की दिशा में अपना पूरा-पूरा योगदान किया है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी कि उन्होंने जिस उदारता का परिचय दिया और जिस सक्रियता के साथ इस उत्तरांचल के बिल को पास कराने के लिए, इस सदन के सामने और पूरे उत्तरांचल के हमारे विधायकगणों के साथ, वहां की जनता के साथ जिस तरीके से सहभागी बनकर हमारे विश्वास को जीता है, हम उनके प्रति पुनः आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 1991 में पहली बार अचानक चुनकर आया था आपके सानिध्य में, हमारे सामने पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं, इस सम्मानित सदन से सीखने का मौका मिला। आज निश्चित रूप से हम वेदना से युक्त हैं कि इस महान सदन जिसने संसदीय परम्पराओं और उसकी भाषा बोलनी सिखायी, निश्चित रूप से उत्तरांचल अलग राज्य होने से इस महान सदन के संरक्षण से, मार्गदर्शन से वंचित रहेंगे। आपकी उदारता के बारे में मैं क्या

कहूं, बहुत कम होगा । जिस तरीके से आपने हर कदम पर हमें संरक्षण देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की मैं बहुत गदगद भाव से विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

मान्यवर, सभी यहां पर जो माननीय नेतागण हैं, माननीय नेता विपक्ष, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य नेता ब०स०पा०, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आदरणीय प्रमोद कुमार जी, अपने लोकदल के नेता, आदरणीय जनता दल के नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जनता दल राजाराम पाण्डे, नेता समता पार्टी, नेता लोकतांत्रिक कांग्रेस, नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी और सभी साथियों, पक्ष विपक्ष के सभी साथियों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं । श्रीमन्, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चायें यहां पर हुयी हैं, बहुत सारे विचार यहां पर आये हैं, इस संबंध में मै यह जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल राज्य का गठन केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिये नहीं हुआ है । हम नहीं भूल सकते कि भारत का यह सांस्कृतिक प्राण है । मध्य हिमालय का क्षेत्र जिसने सारी दुनियां का मार्गदर्शन किया है । जहां बद्री और केदार हैं और गंगोत्री से निकलने वाली गंगा थपेड़े खाती हुयी करोड़ों करोड़ लोगों की जहां प्यास बुझाती है वहीं पर मन को धोकर कहीं न कहीं पवित्रता को पैदा करती है । उस क्षेत्र के हम निवासी हैं जिसने इस देश को हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है । आज भी प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य सेना में है जो अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रखकर एक तरफ जहां देश की रक्षा करता है वहीं दूसरी तरफ तीन-तीन विदेशी देशों के मध्य हिमालय के क्षेत्र के सेनानियों की मातायें और बहनें एक सेनानी के रूप में खड़ी हैं । जब-जब यह बात आती है और क्षेत्रीयता की मुहर लगाने की कोशिश की जाती है तो बड़ी वेदना होती है ।

मैं कहता हूं कि वहां पर क्षेत्र और क्षेत्रवाद कभी रहा ही नहीं है । क्षेत्र की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर हमेंशा राष्ट्र के हित में वहां के लोगों ने काम किया है । चाहे पेशावर काण्ड के महानायक चन्द्रसिंह गढ़वाली रहे हों या जनरल जोशी रहे हैं सबने इस देश की सेवा की है । वहां से 3-3 मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय ख्याति के अनेक लोगो को देश और प्रदेश को दिया है । वह एक तपोभूमि है । इसलिये राजनैतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिये केवल उत्तरांचल का जन्म नहीं हुआ है । वह क्षेत्र भारत का भाल है । यदि भारत का भाल सशक्त नहीं होगा तो भारत पर संकट के बादल गहरायेंगे । इसलिये यह हम सबका कर्तव्य है कि भारत के भाल को सशक्त बनायें । वहां के जितने भी संसाधन है जिनका अभी पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सका है उनका पूरा उपयोग होगा और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन उत्तरांचल सबके सहयोग और आपके आर्शीवाद से, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े भाई के राजनीतिक सहयोग और मार्गदर्शन से अपना विकास करेगा । वह दिन दूर नहीं है जब दुनियां में उत्तरांचल की धरती स्वर्ग बनेगी और उत्तरांचल एक समर्थ राज्य के रूप में विकसित होगा ।

मैं यहां पर अपने सचिवालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का आभारी हूं कि उनका बहुत सानिध्य और सहयोग रहा है । मैं उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का तथा अपनी विधान सभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनका सहयोग और सानिध्य हमेंशा मिलता रहा है । इसके साथ ही साथ अपने साथी पत्रकार बंधुओं का, जिनका लगातार स्नेह मुझको प्राप्त होता रहा है उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं अपने आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री, अपनी मंत्रि परिषद् के साथियों, तमाम अपने सहयोगी माननीय सदस्यों के सहयोग के लिये बहुत विनम्रता से आभार व्यक्त करता हूं । शायद यह क्षण बहुत ऐतिहासिक है । इसके बाद हमको आपका स्नेह इस सदन के माध्यम से नहीं मिल सकेगा इसलिये इतना जरूर अनुरोध करता हूं कि उत्तरांचल आपके छोटे भाई के रूप में होगा और उत्तर प्रदेश उसका सतत् मार्गदर्शन करता रहेगा । इस सदन के माध्यम से यह जो पौधा रोपा गया है निश्चित रूप से वह विकसित होगा । इतना जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबका सतत् संरक्षण मिलता रहेगा । यही कहकर एक बार पुनः इस सदन के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं ।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस विदाई समारोह में मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, सर्वप्रथम इस माननीय सदन का आभार प्रकट करता हूं कि उत्तरांचल राज्य की मांग विगत कई वर्षों से उत्तरांचल की जनता कर रही थी और आपके संज्ञान में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि उत्तरांचल की जनता ने अपना राज्य प्राप्त करने के लिए मुजफ्फरनगर जैसा घिनौना काण्ड भी बर्दाश्त किया । इस माननीय सदन ने हमारी मांग को एक बार नहीं 5 बार प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा । मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं । केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी न्यायोचित मांग को पूरा किया और एक राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए बिल पास किया । मान्यवर, मैं यहां पर इस सदन का सदस्य 1991 से हूं । मैंने अध्यक्ष जी से भी बहुत कुछ सीखा है, इस सदन की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए, किस प्रकार से निर्देश दिये जाने चाहिए । इसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष से यह सीखा कि प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से जूझना चाहिए और नेता सदन और संसदीय कार्यमंत्री जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा ।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य आपकी कृपा से बन गया । मैं यह चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश हमारी "मदर स्टेट" है । उत्तर प्रदेश से हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से "मां" अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है ठीक उसी प्रकार से उत्तरांचल राज्य को समृद्धिशाली बनाने में आपका सहयोग मिलेगा । इसका मुझे पूर्ण विश्वास है । आपकी कृपा से राज्य तो बन गया मगर हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा । इस आर्थिक संकट का समाधान करने में आप हमें सहयोग देंगे । आपके संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल की गरीबी का कारण है उत्तरांचल में उद्योग का न होना । उत्तरांचल में रोजगार के लिये लोग देश-विदेश पलायन कर जाते हैं और वहां से मनी-आर्डर करते हैं और उससे परिवार का पालन-पोषण होता है । इस राज्य का जन्म आपके ही प्रयासों से हुआ इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । उत्तरांचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक-दूसरे के पूरक हैं । हमारा तो पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा । आपसे हम यही चाहेंगे कि आपका पूरा सहयोग मिले । जब आप कभी भी उत्तरांचल में आयेंगे तो "अतिथि देवो भव" यह मानकर हम आपका स्वागत करेंगे । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नये उत्तरांचल राज्य में जाने वाले कुछ पूर्व मंत्री भी हैं । मैं आमंत्रित कर रहा हूं काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन साहब को जो पूर्व मंत्री हैं और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं ।

* श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन–

मान्यवर, आज आप लोगों ने हमारी विदाई कर दी लेकिन हम कम से कम 3 माननीय विधायकों ने यह विदाई स्वीकार नहीं की वह है, श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम सिंह सैनी और मैं स्वयं । मान्यवर, इस विधान सभा से और लखनऊ से मेरा पुश्तैनी रिश्ता रहा है । मेरे फादर 1937 में यहां विधायक रहे । मेरे फादर इन ला श्री सईदुल हसन 15–20 सालों तक विधायक, एम०एल०सी० और मिनिस्टर रहे । मेरे भाई श्री सईदुज्जमा एम०एल०ए० और मिनिस्टर रहे । मान्यवर, वर्ष 1974 से मैं यहां विधायक हूं और 4-4 माननीय मुख्य मंत्रियों के साथ मुझे मिनिस्टर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । मान्यवर, आपके साथ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी एक बार 1977 में मिनिस्टर की हैसियत से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब अध्यक्ष के रूप में भी आपको पूरा सम्मान देते हुए मैंने आपको केवल अध्यक्ष नहीं जाना बल्कि एक साथी समझा और विधान सभा से परे हटकर कोई काम पड़ता था तो किसी अधिकारी को पत्र लिख देता था तो आप उससे या मंत्री से कह देते थे और वह काम कराकर जवाब उसका आप भेज देते थे कि तुम्हारा काम हो गया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।

आपके मंत्रीगण जी हैं देखा जाए तो पार्टी के लिहाज से उनके विचारों में खाई रहती है लेकिन मा० हुकुम सिंह, डा० नरेन्द्र सिंह गौर, चौधरी नरेन्द्र सिंह आदि से फेमिली टर्म्स हमारे रहे हैं इसलिए उनसे लड़भिड़कर काम करा लेते थे और उनका काम करते थे। इसलिए मान्यवर, इस विधान सभा से और इस शहर से मेरा कुछ पुस्तैनी लगाव रहा है, इसलिए इसे कभी भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं और न आज छोड़ना चाहता हूँ। मैं इस पूरी विधान सभा में हर एक सदस्य का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी इच्छाओं का आदर किया और यहां से जो प्रस्ताव भेजे गये उनमें हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में रखने की बात कही गयी लेकिन केन्द्र सरकार ने न मालूम कैसे हरिद्वार को उत्तरांचल में जोड़ दिया जबकि भौगोलिक हमारा तालमेल नहीं बैठता है। हमें कहने में कोई घबड़ाहट नहीं है क्योंकि ऐसी हालत में एक टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिये हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यदि आपकी दया दृष्टि रही तो आपके अच्छे मशविरे मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालत से हमें इन्साफ मिलेगा।

जहां तक उत्तरांचल साथियों का ताल्लुक है जिन्होंने जोश के साथ उत्तरांचल बनवाया है उनको मैं बधाई देता हूं और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर वह यहां रहते तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रहकर अपने जौहर दिखाने का मौका मिलता। मान्यवर, अब मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा बल्कि उत्तरांचल के साथियों की नजर एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसलिए उनकी नजर यह सेर है–

"सोचती आंखों को मांजी का सफर अच्छा लगा,
जो घबड़ा कर छोड़ा था वह घर अच्छा लगा।"

धन्यवाद।

* श्री केदार सिंह फोनिया–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम सब लोग उत्तरांचल की ओर जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग अपने मन में बहुत अच्छी शानदार बड़ी तस्वीर लेकर जा रहे हैं इस महान सदन से। देश का सबसे बड़ा सदन, महान परम्पराओं वाला सदन इस सदन की परम्पराओं को लेते हुए हम एक नये प्रदेश के निर्माण के लिए अग्रसर हैं उत्तरांचल की ओर हमें पूरा विश्वास है कि जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि जो कुछ हमने सीखा है इस सदन में माननीय अध्यक्ष जी के विद्वतापूर्ण निर्णय, माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष की चुटकलियां या नरेश अग्रवाल और प्रमोद कुमार की फुलझड़ियां, हमें इन सबके लिए फख है और हमेंशा इस बात का गर्व रहेगा कि हम सबसे बड़े सदन और ऊंची परम्पराओं वाले सदन के सदस्य रहे हमारे किसी भाई ने कहा कि मिजोरम बना नागालैण्ड बना, विसंगतियां आईं लेकिन यह दुर्भाग्य होगा यह कहना कि उत्तरांचल की तुलना मिजोरम और नागालैण्ड से हो। उत्तरांचल से गंगा बहती है यह पूरे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र को सींचती हुई बिहार और बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उत्तरांचल की इन प्रदेशों से तुलना करना नासमझी की बात है । यह उत्तरांचल को ठीक ढंग से न समझने की बात है ।

उत्तरांचल पूरे देश का सांस्कृतिक श्रोत है । हम उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में घर हमारा है । पूरा प्रदेश हमारा है हम उत्तरांचल में जाकर भी उत्तर प्रदेश की परम्परा को कायम रखेंगे । यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं । यह बंटवारा नहीं है यह बड़े परिवार का एक इण्टरनल डिवीजन है । बड़ा भाई खुशी-खुशी छोटे भाई को नये घर में बसाता है उसकी व्यवस्था करता है । बड़ा भाई पानी देने की व्यवस्था करता है । ठीक ढंग से रखने के लिए बड़ा भाई प्यार देता है, सम्मान देता है छोटा भाई ग्रहण करता है हम लोग उत्तरांचल में जाकर इस बड़े भाई को सम्मान देते रहेंगे यहां से सीखते भी रहेंगे तथा आते जाते भी रहेंगे । मैं इस सदन का 10 वर्ष से सदस्य हूं चन्द दिनों के लिए मंत्री भी रहा हूं हमें आप सबका प्यार और सम्मान मिला है । हमारे मंत्री पोखरियाल साहब ने भावनात्मक शब्दों में अपनी बात रखी कि किस प्रकार इस महान सदन ने उत्तरांचल के लिए तीन बार प्रस्ताव पास किया इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जरूर गया । हमारे प्रमोद कुमार ने यह कहा कि अगर कांग्रेस का सपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं मिलता तो उत्तरांचल नहीं बनता । मैं मानता हूं हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी बात है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लोग सीधा और गोदान करते हैं । गोदान तो एक परिवार करता है लेकिन पड़ोस के लोग आकर पूंछ पर हाथ लगा देते हैं । ठीक उसी तरह से कांग्रेस ने पूंछ पर हाथ लगाकर उत्तरांचल गठन कराया है । पूंछ पर हाथ न लगाकर यदि पूंछ पकड़कर गोदान करते तो बहुत बड़ी बात होती । हमारे रमेश पोखरियाल जी ने सभी का आभार प्रकट कर दिया स्टाफ का प्रेस का और सभी माननीय सदस्यों का लेकिन मैं भी सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं । जो हमने यहां से सीखा है उसका । हमें वहां जाकर नई विधान सभा बनानी है इसी प्रकार बैठने की व्यवस्था करनी है साथ ही एक अच्छी चीज और लेकर जा रहा हूं कि जैसे यहां छोटे माइक लगे हैं वैसे ही छोटे माइक वहां पर भी लगाये जायं । भाव कहना न चाहे फिर भी प्रकट हो ही जाते हैं । मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जो आप सभी सदस्यों ने उत्तरांचल का गठन करने में सहयोग दिया । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत शीघ्र हम स्वावलम्बी बन जायेंगे और समय-समय पर आपका जब आप आयेंगे तो बड़े भाई की तरह से सम्मान करेंगे । धन्यवाद ।

* श्री के० सी० सिंह बाबा–

श्रीमन्, अध्यक्ष जी आपने मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । भविष्य में दो बार इस सदन का सदस्य बनने का मौका मुझे मिला है । मैं अपने परिवार से अलग नहीं हूं । मैं ही नहीं इससे पूर्व मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर आनन्द सिंह कुमाऊं के प्रथम विधायक रहे हैं और अब मैं और मेरा परिवार उत्तर प्रदेश विधान सभा का हर वक्त आभारी रहूंगा । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने उत्तरांचल राज्य बनवाया । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई नई चीज शुरू करने में समय लगता है उत्तरांचल तो एक नया राज्य है । नया मकान बनाने में 10 साल लग जाते हैं और एक राज्य बनाने में एक विशाल राज्य बनाने में उसे सजाने में संवारने में आप सब लोग जानते हैं बहुत मेहनत है और कठिनाइयां भी हम लोगों को झेलनी पड़ेगी । हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन कठिनाइयों का मुकाबला कर लेंगे । बहुत सारे स्टेट हैं हिमांचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हमारे डेलिगेशन यहां से जाकर उनसे वार्ता कर सकते हैं । हम आप लोगों को भूल नहीं सकते और बिना आपके उत्तरांचल राज्य चल नहीं सकता है । हम आपके छोटे भाई हैं और उत्तर प्रदेश हमारा मदर स्टेट है । आप हम लोगों को पूरा सहयोग दें क्योंकि एक नया राज्य बन रहा है । धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*आबकारी राज्य मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आज का दिन उत्तरांचल के लिये और उत्तर प्रदेश की जनता के लिये जिस संयोग को दे रहा है, उस संयोग के लिये विराजमान हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं मंत्रि-परिषद् के सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, प्रेस गैलरी के लोग, समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण सभी लोग इस संयोग के लिये योगदान कर रहे हैं और बड़े अच्छे मन से योगदान हो रहा है। यह महान सदन, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, पूरे देश का नेतृत्व करने वाला सदन रहा है और रहेगा भी, ऐसा हमारा विश्वास है। मुझे भी पहली बार यहां आने का सौभाग्य मिला। हालांकि 1967 से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की गतिविधियों से अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न रहा हूं और मेरे परिवार से मेरा भतीजा गोपाल राम दास साढ़े 12 साल तक इस सदन का सदस्य रहा और मंत्री भी रहा। तब से निरन्तर यहां की गतिविधियों से वाकिफ रहा हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र होने के नाते भी मेरी रुचि यहां रही थी। दर्शक दीर्घा से सुनने को मिलता था, नेक राम जी की व्याख्यान सुनने को मिलता था अलगू राय जी की अध्यक्षता और कमला पति त्रिपाठी जी का चाँद सा चमकता चेहरा जो विद्यार्थी जीवन में चरित्र की शिक्षा देता था। पंडित बहुगुणा जी श्री नारायण दत्त तिवारी जी तथा पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जी जो यहां के सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रान्त का उन्होंने नेतृत्व किया। ऐसे महान सदन से आज से स्थायी तौर पर हम अलग हो रहे हैं। हम यहां चुनकर आये थे तो हमारे कई विधायक विधान सभा की गैलरी देखने के लिये तरसते थे और यह यकीन नहीं होता था कि हमको शपथ भी मिलेगी। थोड़ी कृपा से अगर किसी ने विधान सभा का दरवाजा दिखा दिया तो यह मानते थे कि चलो दरवाजा तो देख लिया। जब विधान सभा के अन्दर प्रवेश हुआ तो खून खराबा भी हम लोगों ने देखा। लेकिन आज माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी उत्तरांचल की जनता के सामने वह नेतृत्व की छाप लेकर जा रहा हूं जिन्होंने खून खराबे में बदलने वाले इस विधान सभा को एक पारिवारिक रूप देने का श्रेय प्राप्त किया है, और ऐसी आत्मीयता आप ला सकेंगे हमको ऐसा विश्वास था आपकी विद्वत्ता, कर्मठता और निष्पक्षता से। जिसको केवल सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी स्वीकार करता है और हमको इसका गर्व है। मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा जो इक्कीसवीं सदी में पदार्पण करने वाली है और इसके जो माननीय सदस्य हैं वे इस सदन की महान गरिमा को एक पारिवारिक माहौल में बनाये रखेंगे। अपने राजनैतिक स्वार्थों के खातिर देश की, प्रदेश की एकता को, अपनी महान परम्पराओं को जिनका हम नियमों और परम्पराओं के रूप में सदन के दौरान उल्लेख तो करते हैं लेकिन गम्भीरता का दृश्य अदृश्य रहता है, उसको न होने देंगे। हमको आपसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है हम जा तो रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे कायदे कानून के द्वारा हम चलेंगे वे हमारा संरक्षण करेंगे।

आपके बनाये कानून से और नियमों से हम संचालित होते रहेंगे। इस प्रकार से हम आपसे अलग भी नहीं है। आपके दिशा-निर्देश का हम पालन करते रहेंगे। जहां तक अलग होने की बात है मेरा तो यह मानना है कि पहाड़ की समस्याओं को समझने के लिये हमको बहुत बड़ा मन बनाना होगा। आज 75 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ का ऐसा है जहां एक गाँव जाने के लिए कम से कम डेढ़ दिन लग जायेगा और रास्ता कटीला और जंगली है। 75 प्रतिशत इन जगहों पर हम जन सम्पर्क करने जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने वाले साथी और नेता वह उस गरिमा को महसूस करते हैं। जब यहां पर आते हैं तो भूल जाते थे। इसलिये मैं माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री राम जग जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी पार्टी का भी नेतृत्व ऐसा बनाने की कृपा करें जो पूर्वांचल क्षेत्र की समस्याओं को समझ सके और उनके बारे में विचार कर सके। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष के सुयोग्य नेतृत्व में माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी के मार्ग दर्शन में उत्तरांचल विधेयक को जिस व्यापकता से बनाया गया वह एहसान उत्तरांचल की जनता कभी नहीं भूलेगी। हम विश्वास करते हैं कि उत्तरांचल में जब शपथ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ग्रहण समारोह होगा हमारी आप सबसे प्रार्थना रहेगी माननीय सदस्य विधान सभा के हों या विधान परिषद् के हों, माननीय सांसद हों प्रदेश के वह हम सबका नेतृत्व करने के लिये और हमको आशीर्वाद देने के लिये वहां पर जरूर आयें चाहे हमारा निमंत्रण पहुंचे या न पहुंचे । हमारी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करें । एक छोटी सी शंका भी निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि उधमसिंह नगर और हरिद्वार जनपद आपने उत्तरांचल में दिया उधमसिंह नगर तो पहले ही उत्तरांचल में था । हरिद्वार को दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री नारायण राम दास–

उधमसिंह नगर में अधिकांश औद्योगिक इकाइयां और उनके उद्योगपतियों को आशंका है कि 9 नवम्बर से जब उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आ जायगा तो उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल दो राज्यों के करों का बोझ हमारे सिर पर आएगा तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में विराजमान है उसमें कोई परिवर्तन उत्तरांचल में न लाया जाए इस प्रकार से उत्तरांचल में करों के संबंध में व्यवस्था में परिवर्तन आए नहीं तो उत्तरांचल के उद्यमियों को कष्ट होगा । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

एक और पूर्व मंत्री हमारे सामने हैं जो समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में हैं ।

* श्री रामसिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भारी मन से और एक तरह से दुखी मन से इस समारोह में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर,उत्तरांचल बने, खुशी थी, प्रसन्नता थी और मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी का भी और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, पांच बार यहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ उत्तरांचल बने, हरिद्वार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे । उत्तर प्रदेश एक हृदय प्रदेश हमारे भारत का है इस प्रदेश ने इस देश को आठ प्रधानमंत्री दिए । यहां की गौरवशाली परम्परायें हैं आपके आसन को, आप जानते हैं किन-किन विभूतियों ने सुशोभित किया । आप जैसे विद्वान यहां आसीन रहे हमारे सदन की परम्परायें अद्वितीय हैं । भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की विधान सभा की परम्परायें हैं यहां की गतिविधियों के कीर्तिमान स्थापित रहे हैं । राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ए०जी०खेर और आप जैसे लोग कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश बहुत ही विशाल प्रदेश है । मान्यवर, हरिद्वार के लोग आन्दोलित हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को वहां के लोगो ने आन्दोलन किया तीनों विधायकों को पहले ही जेल में भेज दिया गया फिर रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई पुलिस लगाई गई लेकिन जनता बैरीकेटिंग तोड़ते हुए जहां बैठक होनी थी वहां पहुंच गई वहां की जनता नहीं चाहती है उत्तरांचल बने अभी काजी साहब ने विचार व्यक्त किए हैं हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे हम न्यायालय में गए हैं हमें पूर्ण आशा है न्यायालय से सुनिश्चित रूप से न्याय मिलेगा । जैसा और विधायकों ने कहा आप से बहुत चीजे सीखी हैं उत्तर प्रदेश में आप जैसे विद्वान लोगों का सहयोग बने । आपने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने हरिद्वार की भावना को हाई कमान तक पहुंचाने का काम किया है मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं । श्रीमन् अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मातवर सिंह कंडारी का बयान आया 25 दिन पहले, 618 करोड़ का रेवेन्यू है उत्तरांचल का है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3600 करोड़, तीन हजार करोड़ रुपया चाहिए जब सारा का सारा ढांचा खड़ा होगा तो 18 हजार करोड़ रुपये का व्यय वहां होगा। हमें इस बात की चिन्ता है कि किस तरह से यह प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि हरिद्वार को इसलिए लिया गया है कि वहां पर उद्योग बहुत हैं। मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं कि वहां उद्योगपति यह मना रहे हैं कि यदि हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल किया गया तो वह अपने उद्योग को नोयडा में ले जायेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनका उत्तरांचल बने यह उनकी मांग थी, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की मांग थी लेकिन हरिद्वार मेरठ का मण्डल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी की स्पीच को अगर देखा जाय तो उन्होंने तथ्य उजागर किये थे और भी माननीय सदस्यों ने तथ्य उजागर किये थे लेकिन केन्द्रीय सरकार ने क्या कारण थे कि हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित कर लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग विदाई के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन विदा हो रहे हैं। अगर आखिरी लड़ाई भी जैसे कि हम न्यायालय की शरण में गये हैं और वहां की जनता भी सड़क पर उतर रही है, नहीं कामयाब हुआ तो भारी मन से फिर हम लोगों को यही सान्त्वना करनी पड़ेगी और भारी मन से सम्मिलित होना पड़ेगा। हरिद्वार को उत्तरांचल में मिलाया यह अच्छा नहीं है। मैं शैली की कविताओं की दो पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा "अवर स्वीटेस्ट सॉंग आर दोज

दैट टेल द सेडेस्ट थाट्स"

तो यह हमारे लिए सेडेस्ट होगा। अगर जाना पड़ा तो हम जायेंगे। वैसे अध्यक्ष जी, हम आपका और सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि किस तरह से भाई–भाई की तरह हम लोग रहे, सामंजस्य रहा आपस में एक दूसरे का व्यवहार अच्छा रहा उसकी तुलना नहीं हो सकती है। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम इस गरिमामयी सदन को इतने बड़े प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं और हमें जबरदस्ती भेजा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में आप लोग अपनी बात को रखें। मैं श्री बंशीधर भगत जी को आमंत्रित करता हूं।

वन राज्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी भावनाओं के अनुरूप चन्द शब्दों में अपनी बात को पूरा करूं। मान्यवर, यह एक ऐतिहासिक क्षण इस आदरणीय सदन में हैं जिसकी कल्पना हमने दस वर्षों पूर्व नहीं की थी। विदायी का समारोह खुशी और गम का मिला जुला मिश्रण है। खुशी इसलिए कि बीस वर्षों से उत्तरांचल की जनता संर्घषरत थी। पिछले चार पांच वर्ष पूर्व का अभूतपूर्व दृश्य सारी जनता और महिलाएं सड़क पर थीं, ऐसी स्थिति जो संभाले नहीं संभल रही थी और आज उसी का परिणाम हमने प्राप्त किया है इसीलिए खुशी है और इसके लिए हम इस आदरणीय सदन के नेता और साथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अनेक बार इस सदन में उत्तरांचल प्रदेश का प्रस्ताव पास करके सहयोग प्रदान किया। मान्यवर, कष्ट इसलिए हो रहा है कि इतने बड़े आदरणीय सदन में पिछले चार पांच दिनों से हमें अपार कष्ट हो रहा है इसके बिछड़ने का, हमें अवसर मिला, संरक्षण मिला और मार्ग दर्शन मिला, सत्ता और विपक्ष दोनों का स्वाद हमने इस आदरणीय सदन में लिया। इसके लिये बड़ा कष्ट हमको हो रहा है इतने बड़े सदन को छोड़कर एक छोटे सदन के सदस्य के रूप मे उत्तराचंल में हम कार्य करेंगे। मान्यवर, मैं सहयोग के लिये आपका, नेता सदन का, नेता प्रतिपक्ष का सभी सहयोगी दलों का, विपक्षी दलों के माननीय नेताओं का सदस्यों का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आभार प्रकट करना चाहता हूं बड़े भाई राजधारी जी का जिन्होंने वन मंत्री के रूप में मुझे ऐसा सहयोग

और आशीर्वाद दिया कि मैंने महसूस नहीं किया कि मैं मंत्री हूं या राज्य मंत्री हूं और साथ ही इस उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का इस सचिवालय के सभी कर्मचारियों का पत्रकार बन्धुओं का भी आभारी हूं हम सबको मान सम्मान दिया । हम उत्तरांचल के सभी छोटे भाई आये हैं आपका हमेशा वरदहस्त उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा । उत्तरांचल बिना उत्तर प्रदेश के चल ही नहीं सकता है । जो कारखाने हैं, मिले हैं वहां वह बिना उत्तर प्रदेश के सहयोग के चलायी नहीं जा सकती । हमारा संबंध जो आज है वह हमेशा बने रहें जो मिलें कारखानें वहां हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलती रहे । धन्यवाद ।

श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

मान्यवर, आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आभारी हूं । मान्यवर, 1951 से उत्तरांचल राज्य की बराबर मांग रही है कि वह एक सरसब्ज राज्य बने, सभी मंचों से यह आवाज उठायी गयी थी और इसकी परिणित यहां तक पहुंची कि एक जन आंदोलन वह बना । और इस जन आंदोलन में अनेक आंदोलनकारी शहीद हुए हैं । इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आन्दोलन का नेतृत्वकर्ता जो रहे चाहे वह इन्द्रमणि बड़ौनी जी हों, मानवेन्द्र शाही जी हों और तमाम लोग जिन्होंने आंदोलन को गति दी और सबसे बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने इस मांग को एक राष्ट्रीय स्तर का बनाया । और 1991 से जो भी मुख्य मंत्री इस उत्तर प्रदेश सरकार के बने सबने उत्तरांचल के प्रस्ताव को पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा चाहे माननीय कल्याण सिंह जी हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी हों चाहें सुश्री मायावती जी हों और 1967 से जिनका अपार प्रेम से माननीय राम प्रकाश गुप्त जी का अपार प्रेम मुझको मिला उनके नेतृत्व में यहां से प्रस्ताव पारित होकर केन्द्र को गया, मुझे खुशी है कि 25 अगस्त, 2000 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने उत्तरांचल के विधेयक को अपनी स्वीकृति दी और वह क्षण आया कि इस गौरवशाली सदन से हमको विदाई दे रहे हैं । यह उत्तर प्रदेश का महान सदन यह भारत का गौरव है हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस सदन के सदस्य रहे हैं यहां जितने विधायकगण एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, विधान सभा, विधान परिषद् व सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी हैं, पत्रकार बन्धु हैं सबने उत्तरांचल को बड़ा महत्व दिया है । यहां का चाहे उत्तर प्रदेश की समस्या का निवारण करने के लिए चाहे उत्तरांचल की समस्या का निवारण करने के लिये हमेशा हमारा सहयोग दिया है और आगे भी जो स्वप्न वहां की जनता ने संजोया हुआ है कि एक समृद्धशाली सुरक्षित राज्य बने उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे । जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तरांचल कभी भी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो सकता । हिमालय की संस्कृति, हिमालय पानी, हिमालय हवा, मिट्टी बराबर उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश में जाती रही है और बराबर जाती रहेगी । चूँकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि उत्तरांचल की समृद्धि के लिए हमेशा वह सहयोग करते रहेगे मैं इस सदन को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बराबर उत्तरांचल की समृद्धि मे सहयोग देता रहेगा । पुनः मैं उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को धन्यवाद देता हूं, सम्पूर्ण नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं भारत वर्ष की महान जनता भारत के सांसदों को, उक्त मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को, मा० प्रधान मंत्री, मा० अटल बिहारी बाजपेयी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी का जिन्होंने उत्तरांचल को बमाने में मदद की है । इन सभी को आभार के साथ धन्यवाद देता हूं, भारत की महान सस्कृति का सब तक ज्योरित को प्रस्फुटित धारा में बद्रीनाथ जी के भाषा गांव में वेदों का संकलन व पुराणों की रचना के प्रथम श्लोक में नागा धीरज देवात्मा हिमालय की संस्कृति प्रवाह में प्रकृति व देवात्व का समरसता उद्धृत है ।

नारायणं नमस्कृतं नरौचैव नरोत्तम,
देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरेत ।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान –

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय यह क्षण हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें जहां एक तरफ हम इस बात को लेकर बहुत प्रफुल्लित हैं कि उत्तरांचल के लोगों को उनकी इच्छा आकांक्षा के मुताबिक एक राज्य आ रहा है वही इस बात को कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि आज मन इस बात को लेकर बहुत बोझिल है, हम जज्बाती तौर पर बहुत अपने आपको उद्वेलित महसूस करते हैं आज से न तो इस गरिमामयी सदन के अन्दर बहैसियत सदस्य हमें बैठने का अवसर प्राप्त होगा और न ही अपने आपको उत्तर प्रदेश प्रान्त का निवासी कहने का गौरव हासिल होगा। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को जो चरणबद्ध विकास हुआ है उसके तमाम सारे पड़ाव हैं। मैं समझता हूं कि यह भी उस पड़ाव का एक हिस्सा है। यह ठीक है कि यदि हम थोड़ा छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर बात करें तो जिस उत्तरांचल राज्य के निर्माण की बात हम चन्द महीने पहले, चन्द वर्षों के पहले जज्बाती तौर पर नहीं करते थे लेकिन यह सत्य है कि न तो सारे लोग इससे इत्तिफाक करते हैं, आज जज्बाती भी हो जायेंगे। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो हमारा मदर स्टेट है हमारा जो उत्तर प्रदेश से संबंध है यह उत्तर प्रदेश से संबंध होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत का काम करेगा, यही संबंध इस बात को साबित करेगा कि जब कभी भी उत्तरांचल की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक ताकत की जरुरत पड़ेगी तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सदैव एक बड़े भाई की तरह मदर स्टेट्स की तरह उसकी मदद करेगा। मां से कोई वैसा दूर रहने लग जाय तो उससे रिश्ता खत्म नहीं हो जाया करता है। हम यहां यह कह सकते हैं हमें आपके वरदहस्त की जरूरत होगी और आपका वरदहस्त हमारे सिर पर रहेगा यही इच्छा आकांक्षा हमारी रहेगी। हम उसके बदले में सिर्फ यह कहना चाहते हैं। मैंने बार-बार कहा, तब भी कहा। यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अन्दर सभी तरह की असहमति व्यक्त करना बुनियादी अधिकार है। मैंने तब भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी महान है, यह उत्तर प्रदेश के लोग कितने महान हैं। यह उत्तर प्रदेश के निर्वाचित इस विधान मंडप के सदस्य कितने महान हैं कि जिसे हम जनसंख्या के लिहाज से छोटा सा क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम उत्तरांचल के नाम से जानेंगे, लेकिन उस कम आबादी वाले क्षेत्र ने इस विशाल प्रदेश को 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री दिये क्योंकि कुछ तो 3-3 बार रहे हैं, जिन्होंने देश को नेतृत्व प्रदान किया। श्रीमन्, मैंने कहा कि इस उत्तर प्रदेश के साथ हमारे सम्बन्ध हमारी सबसे बड़ी ताकत का कारण बनेंगे। मैं अपनी बात कह सकता हूं। मैं जब विधान सभा का सदस्य नहीं था तो संसदीय पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशंस के बारे में राय भिन्न रखता था और स्वयं इस बात का गरूर था, गलत आंकलन था, गलत सोच थी कि विधान मंडल में बैठने वाले सब लोग बहुत कम काबिलियत के होते हैं, लेकिन इस विधान सभा में कदम रखने के बाद हमारा वह गरूर चकनाचूर हुआ। मान्यवर, देश और प्रदेश का नेतृत्व इसी सदन के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्य करते हैं तो उसकी वजह है, मजबूत जमीन और उनका जमीर। चंद लोगों के जमीर बदल जाने से इस गरिमामयी संस्था, पार्लियामेंटरी संस्था की जमीन नहीं बदल सकती।

मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने पहला चुनाव लड़ा था तो राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों को, शत्रुता की दृष्टि से देखते थे, यह आम वातावरण था, लेकिन इसी गरिमामयी सदन, गरिमामयी पीठ, इसी गरिमामयी सदन के सम्मानित सदस्यों गरिमामयी विधान सभा के गुम्बद ने एहसास कराया, इस बुलन्द गुम्बद के नीचे बैठकर, इस इमारत के नीचे बैठकर यह मालूम हुआ कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, वह भी बहुत बड़े हैं, लिहाजा आज इस बात को कहने में चूक करूंगा, यदि आज मैं यह नहीं कहूंगा कि निश्चित रूप से राज्य बनने जा रहा है, कुछ भ्रान्ति होना स्वाभाविक है, लेकिन हल्फ लेकर इस बात को कहना चाहते हैं, भरोसा दिलाकर कहना चाहते हैं, कठिनाईयां बहुत आयेंगी, लेकिन हल्फ लेकर जिस राज्य को तामीर किया जा रहा है, उस राज्य में कहीं पर भी संकीर्णता के लिये कोई स्थान नहीं होगा, यह हम 22 विधायक, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि उत्तरांचल राज्य की नींव कोई पृथकवादी अवसर से नहीं पड़ी है। उत्तरांचल किसी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर नहीं पड़ा और उत्तरांचल राज्य निश्चित रूप से बावजूद इसके, हम सभी का यह फर्ज होगा कि हम इस तरह का माहौल बनाने का काम

करेंगे, जहां पर समुचित उर्जा वहां के विकास में लगाई जा सके। हम कहना चाहते हैं, बिना वाद-विवाद में पड़े हुये, सभी माननीय नेतागण, श्रद्धेय नेता विरोधी दल, श्रद्धेय नेता कांग्रेस पार्टी, श्रद्धेय नेता बसपा मौर्य जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य नेतागण, माननीय कौकब साहब, माननीय राजाराम पाण्डेय, माननीय रामजग, माननीय श्रीवास्तव जी एवं अन्य सभी नेतागण तथा अन्य सारे शासन-प्रशासन के लोग मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उत्तरांचल राज्य का निर्माण आपके प्रयास, तमाम सरकारों के प्रयास, इस सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों और सभी दलों के प्रयास से हुआ है, कोई दल, इसका श्रेय, यश या अपयश लेने का प्रयास नहीं कर सकता है। मैं वहां की स्थिति का एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम लगभग 6 हजार रुपये है, जबकि उत्तरांचल में 13 हजार कैपिटा इनकम है, लगभग दुगना। इसकी कोई खास बात होगी जिसके कारण बावजूद इसके उसके पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। इसका मात्र इतना ही कारण है उत्तरांचल का पृथक राजनीतिक स्थिति के रूप से गठन किया गया। हम आशावादी हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ताकत होती है वह है राजनीतिक नेतृत्व। जिस विधान सभा के हम लोग अंश रहे हैं, यह वह विधान सभा है जिसमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन से लेकर आप जैसे विद्वान पुरुष इस सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस विधान सभा की जो हैसियत है निश्चित रूप से सदैव आपकी पीठ की तरफ, इस विधान सभा के वर्तमान सदस्यों की तरफ इस आशा और उम्मीद के साथ देखते रहेंगे कि आप सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। एक बात कहकर मै विराम दूंगा, निश्चित रूप से तर्क-वितर्क के दौर में हम लोगों ने तमाम सारी कटु बातें कहीं होंगी, कहनी पड़ती हैं लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश का जो रिश्ता है, दुनिया की कोई ताकत हमारे इस रिश्ते को समाप्त नहीं कर सकती और उत्तरांचल राज्य राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को मजबूत करने का काम करेगा। दोनों राज्यों के बीच समझौते होंगे, और बाते होंगी।

हम निश्चित रूप से एक भाई-चारे के वातावरण में दोनों राज्य कार्य संचालित करेंगे और उत्तर प्रदेश से उम्मीद करेंगे कि उस नये राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन में अपना भरपूर सहयोग समय-समय पर देता रहे। श्रीमन्, आज हमें इस सदन के अन्दर, जो वरिष्ठ संदस्य थे उनका जिस तरीके से अप्रत्याशित सम्मान मिला, सदैव मिलता रहा है, जिस तरीके से यहां के जो नये सदस्य थे उनका सम्मान और आदर जिस तरीके से मिला वह सदैव एक बहुमूल्य धरोहर के रूप में हमारे हृदय में रहेगा और मैं समझता हूं कि वही हमारे दोनों राज्यों के रिश्तों को आगे भी प्रगाढ़ बनाये रखेगी और जब कभी भी तीर्थाटन के लिये, भ्रमण के लिए उत्तरांचल आयेंगे तो आभास नहीं होगा कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं रह गया है। हम भी उसी अधिकार के साथ सदैव अपनी बात करेंगे। आपने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया निश्चित रूप से कुछ बातें हैं, चाहे काजी साहब ने कहीं, मार्गदर्शन किया, रामसिंह सैनी जी ने, अम्बरीष जी ने जो कुछ कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का हक है। उसकी सुलह सफाई के रास्ते अलग-अलग है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जैसा तमाम सदस्यों ने कहा हम निश्चित रूप से उत्तरांचल का जो सम्मान है, उसमें और बढ़ोत्तरी करेंगे और एक माडल स्टेट बनाने के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रदेश की महान जनता, महान प्रतिनिधि जो इस सभा मण्डप में बैठे हैं, पुनः एक बार श्रद्धा से नमन करता हूं और वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की ओर से, जो हमारे उत्तरांचल राज्य में जाने वाले विधायक हैं, उनको प्रतीक चिन्ह देने का कार्यक्रम है। हमारे मुरादाबाद के प्रतिनिधि माननीय जे० पी० सिंह साहब कुछ प्रतीक चिन्ह ले आये हैं। मैं चाहूंगा, जो हमारे गठन होने वाले राज्य उत्तरांचल के माननीय सदस्य हैं वह और उनके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बहुत शीघ्र और संक्षेप में अपनी बात कहें।

*श्री हरवंश कपूर–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया । मान्यवर, सन् 1989 में मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया था । उसके पश्चात् निरंतर किसी न किसी रूप में सदन के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका मिलता रहा और संसदीय कार्य प्रणाली के विभिन्न रूपों को देखने का अवसर मिला । मिलीजुली सरकार और सहयोग की सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का मौका मिला । मान्यवर, देश के सबसे महान सदन होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ । आज जो विभिन्न सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तरांचल राज्य की जो विधान सभा होगी उसका स्वरूप इतना विशाल नहीं होगा । जो अनुभवी सदस्य इस महान सदन में हैं उनका भी अभाव हमेशा रहेगा । मान्यवर, आप जैसे विद्वान और अनुभवी पीठासीन अध्यक्ष का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो सकेगा । इसके साथ ही साथ नेता सदन के रूप में जो यहां पर माननीय सदस्य रहे हैं और नेता विपक्ष के रूप में जितने माननीय सदस्य रहे हैं और जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उनका अभाव भी खलता रहेगा । उत्तरांचल राज्य का निर्माण उस क्षेत्र के विकास के लिये, वहां के नियोजन के लिये अलग राज्य के रूप में होना जरूरी था वहां की जनता की यह मांग थी ।

उसके लिए आन्दोलन भी हुये, शहादत भी हुई, उत्पीड़न भी हुआ और आज सबके सहयोग से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ है । आज इन क्षणों में जो विदाई का दुख है उसकी भी अनुभूति हो रही है और इसके साथ-साथ अपने अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी कल्पनाओं के अनुरूप, वहां की क्षेत्र की जनता के अनुरूप जो राज्य का गठन हुआ है उसके सुख की अनुभूति भी हो रही है । मान्यवर, जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश का रिश्ता आज समाप्त नहीं होने जा रहा है । यह रिश्ता हमेशा-हमेशा के लिये रहेगा । आपके सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी और पग-पग पर विकास की दृष्टि से आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी । इसी रूप से उत्तरांचल एक छोटे भाई के रूप में जो भी कुछ कर सकेगा उसके लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे । मैं इस अवसर पर यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ यह निवेदन भी करता हूं कि जब-जब चाहे उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय शपथ-ग्रहण का अवसर हो, चाहे कोई और अवसर हो आप हमारे बीच में आईये, हमारा यह सौभाग्य होगा । हम आपका अभिनन्दन करेंगे, स्वागत करेंगे और जब हमें सहयोग की आवश्यकता पड़े आपके सहयोग और स्नेह भी मिलता रहे । जय हिन्द ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सरकार की ओर से कोई नीतिगत घोषणा महत्वपूर्ण सूचनायें सबसे पहले सदन में देनी चाहिए । अगर इस तरह की कोई जानकारी गलियारों में या दूसरी ओर हो तो यह सदन की एक प्रकार से अवमानना है । बाहर यह खबर बहुत तेज है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बदल दिये गये हैं । माननीय नेता सदन मौजूद हैं यह स्थिति स्पष्ट हो जाये । वैसे भी परम्परायें अजीब हैं, दीवाली खराब करने की परम्परा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । ऐसी कोई घोषणा बाहर नहीं की गयी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस विदाई के क्षण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, समयाभाव के कारण मैं अपनी बात को आपके दिये गये निर्देशानुसार 2-3 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, आज वास्तव में मन बहुत ही भारी है कि जिस सदन में हम इतने दिन लम्बे समय तक रहे और यहां राजनीति का पहला अध्याय पढ़ा और तमाम लोगों से सीखा। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे पेश होते हैं और किस तरह से सदन में बोला जाता है, शिष्टाचार क्या है ? ये तमाम चीजें जिस सदन में सीखा आज उससे हम विदा हो रहे हैं। वास्तव में यहां की यादें कभी भी भुलायी नहीं जा सकती है। आज दिन में कोई मजाक में कह रहा था कि अब तुम्हारे बेटे भी कभी यहां नहीं आ सकते हैं। उस बात में सत्यता प्रतीत हुई कि सदन में बैठने के लिए कम से कम वहां से कोई भी हम लोगों में से नहीं आ सकता है। लेकिन मान्यवर, जब हम उत्तरांचल में जा रहे है और जिस कठिनाई के कारण उत्तरांचल का जन्म हुआ। एक खुशी यह भी है कि दूर-दराज 30-35 किलोमीटर की दूरी में जहां विकास की किरण भी नहीं गयी है, हम निश्चय ही वहां जायेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे चूंकि जो उत्तरांचल बना है यह अपने ही देश का एक हिस्सा है, यह कोई दूसरा प्रदेश अथवा दूसरे देश का नहीं है। मान्यवर, यह जानकर खुशी है कि वहां सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसमें सदन के तमाम लोग; नेता प्रतिपक्ष और अन्य जिलों के जो तमाम नेतागण हैं सभी ने मिलकर जो भूमिका निभायी है और जो हक उत्तरांचल को दिया है उसके लिए हम सभी आपके और विशेष कर भारत सरकार के आभारी हैं। मान्यवर, आपकी विद्वता भरी नजीरें हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उत्तरांचल के लोग मिलजुल कर रहेंगे क्योंकि उत्तरांचल कोई भाषा या दूसरे कारणों से इस का जन्म नहीं हुआ है। मान्यवर, उत्तरांचल का जो जन्म हुआ है वह उसके विकास की परिकल्पना को देखते हुए उसका जन्म हुआ है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और भरे मन से विदाई लेते हुए कहना चाहता हूं कि आपने जो हमें स्नेह दिया है मैं आशा करता हूं कि वह स्नेह हमेशा मिलता रहेगा। आप जब उत्तरांचल में प्रवेश करें यदि हमें सूचना दे देंगे तो हम आपके स्वागत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।

* श्री ज्ञानचन्द्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, आज एक ओर जहां हमें खुशी हो रही है क्योंकि वर्षों की हमारी तपस्या संघर्ष के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य का गठन होने जा रहा है वहीं दूसरी ओर हमें इस बात का दुख है कि इस महान सदन का सदस्य होते हुये मैं इस विधान सभा क्षेत्र का पहला सदस्य 1991 में बना था और तब से इस सदन का सदस्य रहा हूं। मान्यवर, इस बीच हमें आपसे और माननीय मंत्रियों एवं माननीय सदस्यों से जो यहां की परम्परायें रही हैं और इस ऐतिहासिक नगर की जो अपनी पहचान देश में रही है उसको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ शंकायें व्यक्त की हैं उत्तरांचल में रहने की। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरांचल राज्य का गठन हो चुका है। इसलिए अब शंकायें करने की बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि वहां का विकास और नियोजन कैसे हो इसके संबंध में विचार करने की जरूरत है। चूंकि उत्तरांचल राज्य का जो गठन हुआ है यह उसके नियोजन, विषम भौगोलिक स्थिति, सामाजिक विषमता को लेकर जन्म हुआ है। इसलिए निवेदन है हम सभी मिलकर उत्तरांचल के चौमुखी विकास के लिए काम करें। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यगण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप लोग जब भी उत्तरांचल में आयेंगे तो आपको हमारा सहयोग मिलेगा जिस तरह से आज तक सहयोग मिलता रहा है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आप के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम विदाई ले रहे हैं विश्वास नहीं होता कि हम आपसे विदा हो रहे हैं। इस महान सदन से विदा हो रहे हैं हमारे मन में पीड़ा है वर्षों तक हम इस सदन के सदस्य रहे हैं। मुझे तमाम स्मृतियां याद आ रही हैं तमाम बड़े बड़े नेता इधर और उधर हुआ करते थे अपनी बातें रखते थे उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। अध्यक्ष जी आपकी मुख्य मंत्री जी की ओर केन्द्रीय नेतृत्व की श्री अटल बिहारी बाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की प्रेरणा और सहयोग से पहाड़ की जो अभिलाषाएं, अपेक्षाएं थी अलग राज्य बनाने की उन अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है। इसलिए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी-अभी मैं सुन रहा था तमाम भावनात्मक भाषण और अभिव्यक्तियों जो इस सदन के नेता हैं, उनकी तथा सम्मानित सदस्यों की उन सभी ने तमाम शुभ कामनाएं अर्पित की हैं तथा जो भाव दिया है। मैं उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। गंगा यमुना की जो संस्कृति है वह पहाड़ों से निकलकर मैदानों में उसकी प्रवाह व गंगा यमुना और शारदा नदियां भी पहाड़ों से निकलकर मैदान की तरफ आती हैं। जब तक यह संस्कृति रहेगी तब तक उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से कोई अलग नहीं कर सकता है। हम अलग एक व्यवस्था के रूप में हो रहे हैं। हम आपके निर्देशों का आपके आदेशों का पूरा पालन करेंगे तथा आपके मार्ग दर्शन के अनुसार कार्य करेंगे। यहां पर कुछ सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तरांचल में भाषा जाति सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायगा। हम सब आशंकाओं को निर्मूल साबित कर देंगे। हिमांचल जैसा निर्मल और धवल है उसी प्रकार हमारी भावनाएं भी होंगी, आपका पूरा समादर होगा सभी आशंकाओं के बारे में एक साल में सच्चाई सामने आ जाएगी। इस अवसर पर मैं इस प्रदेश की जनता को इस सम्मानित सदन के सदस्यों को विशेष रूप से आपको क्योंकि आपकी अध्यक्षता में हम विदाई ले रहे हैं आभार व्यक्त करते हैं। हमारी विदाई हो रही है इसमें आपका महान योगदान रहा है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर अनुमति दी। जिस अवसर पर अभिव्यक्ति से ज्यादा अनुभूतियां होती हैं वही यह अवसर है। पिछले वर्षों में हमको एक दूसरे के साथ काम करने अवसर मिला है। एक दूसरे के व्यक्तित्व को कृतित्व को एक दूसरे की कार्यशैली को यह सब प्रभावित करता है। सदन को प्रभावित करता है, समाज को प्रभावित करता है।

निःसंदेह बहुत से ऐतिहासिक क्षण इस सदन के समक्ष आये। देश की आजादी से लेकर बहुत से उतार चढ़ाव हमने देखे हैं लेकिन यह पहला अवसर है इस सदन के लिए कि इस सदन के कुछ वर्तमान सदस्यों को सदन की सदस्यता रहते हुए किसी दूसरे सदन में हम भेज रहे हैं। निःसंदेह इन सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन की परम्पराओं को आत्मसात किया है उसका अनुकरण किया है अपने दायित्वों का निर्वहन किया है चाहे वह मंत्री के रूप में हो या प्रतिपक्ष में। इस नये राज्य के नियोजन की जिम्मेदारी, राज्य के नवनिर्माण की जिम्मेदारी इन्हीं 22 माननीय सदस्यों के ऊपर होगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से मैं सभी माननीय 22 सदस्यों को शुभकामनायें दे रहा हूं और अपेक्षा है कि ये शक्तिशाली, गतिशील राज्य विकसित करेंगे पूरे देश को ऐहसास करायेंगे बुनियाद के रूप में जो मुख्य मंत्री होगा और जो प्रतिपक्ष का नेता होगा वह अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और वह सब उत्तर प्रदेश से ही सीखा हुआ होगा । मेरा तो उत्तरांचल के साथ गहरा लगाव है क्योंकि हमारी तो मातृभूमि ही वहीं की है मेरा जन्म ही वहीं का है इसलिए हमारी भावनाएं वहां से जुड़ी हैं ।

आज जब उत्तरांचल का गठन हो रहा है तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसके ऊपर 1500 करोड़ रुपये का कर्ज होगा । यह हमारा दायित्व है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा करें कि उनके ऊपर यह बोझ न पड़े । किसी भी विभाग का बंटवारा हो रहा हो तो उसे ईमानदारी से कर दिया जाय । केवल एक जिम्मेदारी पूरी करना भर न रहे । मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो रहा है । वहां तो एक-एक चीज का बंटवारा किया जा रहा है चाहे वह कुर्सी हो मेज हो या विभागीय गाड़ियां । उत्तर प्रदेश तो उत्तरांचल राज्य का मात्र प्रदेश रहेगा ही । यह हमारे एक पड़ोसी राज्य के रूप में रहेंगे और पड़ोसी राज्य की भूमिका निभायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा क्षण है जब हम सभी दुखी हैं और भरे मन से हम विदा कर रहे हैं लेकिन इधर इन लोगों के मन में उल्लास भी है । इतना तो सत्य है कि इन सभी माननीय 22 विधायकों की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हम लोगों की शुभकामनायें इन सभी के साथ हैं । धन्यवाद ।

*श्री विशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । इस सदन का भी मैं आभारी हूं कि जिसने तीन बार उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पास करके यहां से केन्द्र सरकार को भेजा । जिस प्रकार उत्तरांचल राज्य की मांग वहां की जनता कर रही थी उसी प्रकार विदर्भ राज्य की भी मांग थी किन्तु महाराष्ट्र की सरकार ने उसका प्रस्ताव पास करके केन्द्र को नहीं भेजा, जिसकी वजह से वह राज्य बनने से रह गया । आप सभी लोगों के सहयोग से उत्तरांचल राज्य का निर्माण हो रहा है । इस सदन से काफी सीखने को मिला । जिस प्रकार पहाड़ है, उसी प्रकार मैदान है । उत्तरांचल के विकास में ही उत्तर प्रदेश का भी विकास है । इस सदन के प्रति, सम्मानित सदस्यों के प्रति, आपके प्रति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं ।

*श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विदाई की बेला में बोलने का अवसर दिया । विदाई की बेला अपने आप में दुख भी प्रकट करती है और नई योजना बन रही है प्रसन्नता भी प्रकट करती है । मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि 1991 में मुझे भी इस आदरणीय सदन का सदस्य बनने का मौका मिला । आपके सानिध्य में रहकर सीखने का मौका मिला । उत्तरांचल राज्य को बनाने में आप सभी ने सहयोग दिया भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं, खासतौर से माननीय श्री अटल जी के प्रति जिन्होंने इस राज्य के निर्माण में एक अच्छी पहल की । मान्यवर, एक तरफ दुख इस बात का है कि हमारे यहां पर इस महान सदन के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, उनका सानिध्य नहीं मिल पायेगा, आपका मार्ग दर्शन नहीं मिल पायेगा । यह हमें खलता रहेगा । क्योंकि वहां की जो विधान सभा होगी, वह इस विशाल सदन के अनुरूप नहीं होगी । यह हमेशा याद दिलाती रहेगी । मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश हमारी मातृ प्रदेश रहेगा । उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कोई अन्तर नहीं करेगा । चाहे आप तीर्थाटन करने आयें या पर्यटक के रूप में आये, हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोटे भाई की तरह से हमेशा आपका स्वागत करते रहेंगे । पुनः एक बार आप सभी लोगों का और विशेष रूप से आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा सभी दलों के वरिष्ठ माननीय नेताओं/सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

* श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस विदाई के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आज का दिन इस विधान सभा के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा । मुझे भी इस विशाल प्रदेश के इस आदरणीय सदन में सदस्य के रूप में पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ । आज चार साल के इस कार्यकाल में हम आज यहां से विदाई ले रहे हैं । श्रीमन्, विदाई का जो समारोह है वह गमगीन होता है परन्तु इस बात की भी खुशी है कि उत्तरांचल की मांग को लगातार 50 सालों से वहां की जनता कर रही थी उसे इस सम्मानित सदन के सदस्यों ने स्वीकार किया और अलग राज्य बनाने का सहयोग दिया । मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध करना चाहूंगा कि एक छोटे भाई के रूप में, आप लोगों ने जो हमारा मार्गदर्शन लगातार किया है उसकी एक अमिट छाप रहेगी और आपसे भी आशा करेंगे कि आज तक जो आपका प्यार हमको इस सदन में मिला वह उत्तरांचल राज्य के निर्माण में और उसके चहुंमुखी विकास के कार्य में भी मिलता रहेगा । इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि जब कभी भी आप लोग उधर आयेंगे एक छोटे भाई के रूप में हमारे हृदय के दरवाजे आपके लिये हमेशा खुले रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सबसे पहले मैं उत्तरांचल की जनता की ओर से पूरे सदन को और भारत सरकार के साथ-साथ वहां पर विपक्षी दलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सहयोग से एक अलग उत्तरांचल राज्य का निर्माण हो सका । वहां की समस्याओं को देखते हुए अलग उत्तरांचल राज्य की मांग की जा रही थी । वहां बहुत कठिनाइयां हैं ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यहां के अधिकारियों ने वहां की कठिनाइयों के बारे में न सोचा हो । मैं इसका अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण दे रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री थे और आपने 3-3 गांव एक एक विधान सभा में आदर्श गांव बनाने के लिये निर्देशित किया था । अधिकारियों ने इस आदेश का पालन किया और उन गांवों में गये जिनका हमने चयन किया था । दुर्भाग्यवश एक अधिकारी जाते समय तो पैदल गये आते समय घोड़े से आ रहे थे वे गिर गये और उनकी टांग टूट गई थी दोबारा कोई अधिकारी यहां नहीं गया । दूसरा उदाहरण यह है कि उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री एक स्कूल का उद्घाटन करने वहां गये थे उनके साथ उनका अर्दली भी था जो एक विशेष सिम्बल अपनी पगड़ी में लगाये हुए था लोगों ने उनके गले में माला डाल दी यह सोचकर कि यही मंत्री जी हैं । ऐसे मन के लोग हैं वहां उनकी सोच ऐसी है क्योंकि विकास की गति वहां पहुंची नहीं है । अभी माननीय मुन्ना चौहान जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आमदनी यहां से वहां दुगुनी है । आप ही के दल के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने लोक सभा में स्वीकार किया था कि उत्तरांचल में शिक्षा का प्रतिशत अच्छा है उसके बाद भी इस तरह से वहां के लोगों के साथ भेदभाव किया गया । आज विदाई के इस समय में हम अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं । जैसा अभी काजी साहब ने भी कहा एक परिवार में दो भाई होते हैं जब छोटा भाई बड़े भाई से अलग होता है तब यह अपेक्षा रहती है कि बड़ा भाई मदद करेगा हम आपका आर्शीवाद चाहते हैं कि हम आर्थिक,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सम्पन्न बनें । यह गौरव हमको मिलें । मैं सदन के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं ।

*श्री तिलकराज बेहड़–

मान्यवर, आपने मुझे इस विदाई के अवसर पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । उत्तरांचल राज्य की प्राप्ति के लिये लम्बे समय से संघर्ष चल रहा था और काफी लम्बे समय के संघर्ष के बाद यह राज्य का निर्माण हो सका इसके लिये मैं सभी दलों के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने साथियों को बधाई देता हूं । विशेष रूप से अपने केन्द्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं जिनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ । मान्यवर इस सदन के अन्दर अपने वरिष्ठ लोगों से, आपके माध्यम से आपके द्वारा जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, वह सदैव याद रहेगा । इस सदन में हम लोगों को पिछले दिनों से काफी कुछ सीखने का मौका मिला, कैसा आचरण करना चाहिये, अपने व्यवहार को सदन के अन्दर किस तरह से रखना चाहिये और भी काफी कुछ सीखने को मिला । हमें आशा है कि उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात् भी हमें आप लोगों से वैसा ही प्यार मिलता रहेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं उधम सिंह नगर का क्षेत्र लम्बाई में है उसकी लम्बाई सवा सौ किलोमीटर के आसपास बैठती है या उससे भी ज्यादा । वहां राइस की मिलें हैं चीनी मिलें हैं गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश से हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, धान की आवश्यकता पड़ेगी तभी वहां राइस मिल चल सकती है चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के सहयोग के बगैर नहीं चल सकती है । जैसे अभी तक कच्चा माल प्राप्त होता रहा है उसी तरह से राइस मिल और चीनी मिलों को आगे भी कच्चा माल प्राप्त होता रहे । इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री सुरेश चन्द्र आर्य–

मान्यवर, इस सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के लिये आज ऐतिहासिक दिन है इस उत्तर प्रदेश के सदन में तीन समय ऐसा इतिहास आया पहला इतिहस स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा बनी, दूसरा भारत रत्न गोविन्द बल्लभ पन्त यहां के मुख्य मंत्री जी बने । आज हमारे पूरे प्रदेश की खुशहाली को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां के लोगों ने उत्तरांचल का हिस्सा मांगा, छोटा सा राज्य मांगा और उस दिन जब यहां पर उत्तरांचल प्रदेश को अलग राज्य बनाने का बिल पास हुआ केन्द्र सरकार ने माननीय अटल बिहारी बाजपेयी ने उत्तरांचल का गठन किया यहां के सदस्यों ने सत्तापक्ष के सदस्यों ने उत्तरांचल का समर्थन किया साथ ही साथ विपक्ष के लोगों ने समर्थन दिया उनको मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने समर्थन नहीं दिया जो गलियारे से बाहर चले गए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, यह अलविदा का समय है ! आपने हमें विदायी दी और आज हमारा उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक उत्तरांचल राज्य बन गया । मान्यवर, पहाड़ में बद्रीनाथ और केदार नाथ से गंगा नदी निकलती है जो हरिद्वार होते हुए इलाहाबाद और बनारस जो हमारी संस्कृति से मिलती है, उत्तर प्रदेश और पहाड़ की संस्कृति भिन्न नहीं है । दूसरी ओर हिमालय है जो सबकी रक्षा करता है । मान्यवर, नये राज्य में कठिनाई जरूर आयेंगी । आर्थिक संसाधन वहां हो सकते हैं, खनिज वहां हैं, रेता और बजरी तथा फारेस्ट है, जल विद्युत उत्पन्न हो सकती है, एग्रीकल्चर उत्पन्न हो सकता है वह तमाम विकास की बात हम कर सकते हैं । इसमें हमें आपका सहयोग चाहिये । आपके नेतृत्व में जो-जो हमने सीखा उसके लिये पूरी लाइफ में हम उस चीज को याद करेंगे और जो हमारे ईमानदार मुख्य मंत्री जी ने पहाड़ को दिया है हम उसकी सराहना करते हैं । एक छोटी सी बात जो हमारे राज्य के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयी उत्तर प्रदेश में जो-जो डेवलेपमेंट होना चाहिये, कौन-कौन सी सुविधाएं हैं, जो भी विषय है हम आशा करते हैं कि आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा । इसी के साथ मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने इस सम्मानित सदन के 22 सदस्यों को विदा करते समय जो माहौल है, हमारे सदन में जितनी गम्भीर फिजा हो गयी है, मान्यवर, ऐसा लगता है कि जैसे बेटी को विदा करते समय लोगों के मन में सुख और दुख के भाव आते हैं वैसा ही माहौल यहां हो रहा है इन 22 लोगों को विदा करने में । ऐसा भारी होने की जरुरत नहीं है । यह सही है कि वह हमारे दोस्त रहे और हमने उनके साथ ऐसे लम्हें गुजारे हैं जो बार-बार नहीं आयेंगे । हमारे निशंक साहब की वाणी तथा उनकी मोहिनी सूरत, अजय भट्ट जी का सहयोगपूर्ण रवैया, केदार सिंह फोनिया का बड़ा भाई पूर्ण रवैया यह हमेशा याद रहेगा । मान्यवर, इसमें तीन सदस्य ऐसे हैं जिनकी जबरदस्ती खींचकर विदाई दी जा रही है । क्या भिन्नता है इसमें जो 19 लोग हैं वह तो पैरों में महावर लगाकर मचलते हुए जा रहे हैं और तीन ऐसे हैं जिनके पैरों में महावर भी नहीं है और उन्हें घसीटकर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, राजनीतिक रूप कुछ भी हो लेकिन मेरे मन में एक बात है । मैं नेता विरोधी दल से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं यह मेरे विचार नहीं हैं मेरी इच्छा है और आज ऐसा प्रस्ताव पारित करके इस विदाई की बेला में 22 माननीय सदस्यों को उत्तरांचल में भेजने का उपक्रम किया । जब क्रमानुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर को उत्तर प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया प्रकारान्तर में वह उत्तरांचल में चले जाने का हो गया फिर आप उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश में शामिल करने का प्रस्ताव कर सकें यह इच्छा है । एक दूसरे के पूरक यह दोनों राज्यों के अलग होने की कल्पना इतनी आसानी से इस हद तक जाकर नहीं की जा सकती है । उत्तर प्रदेश के मैदान इसकी कल्पना उस स्वरूप की नहीं हो सकती, उत्तरांचल में आने वाले नदियों का जो प्रवाह है, उसके बगैर उनकी कल्पना नहीं हो सकती है । विद्युत परियोजनायें विकास से जुड़ी दूसरी योजनायें वहां हैं । इन्हीं मैदानों में छोटी से बड़ी तक जो चीजें पहाड़ों तक जा सकती हैं । जो हमारा संबंध है उसमें अलग होने की कल्पना हम नहीं कर सकते । मैं शुभ कामनायें देना चाहता हूं अपने साथियों को जो कौशल आपने यहां सीखा होगा जब उत्तरांचल विधान सभा का कानून बनाने के लिये विधायक की हैसियत से जो पहले दौर में आपकी पहचान सारे हिन्दुस्तान में इस तौर पर आये कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जिन महान परम्पराओं महान विद्वानों जो बड़े नेता थे उनके सान्निध्य में जो कुछ सीखा है उसी के अनुरूप प्रदेश को विकसित करने में आप दिशा देने का काम करेंगे । पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भाई अम्बरीष जी को चिन्ता करने के जरुरत नहीं है अदालती फैसलों से बड़े बदलाव नहीं आते हैं बदलाव राजनीतिक निर्णयों से आये उत्तरांचल भी राजनीति लड़ाई के परिणति हैं आपके उत्तरांचल से निकलने की राजनीतिक परिणित होगी । आपने जैसा प्रदर्शन आज तक किया है उसका आगे पालन कीजिये ।

मैं अपने साथियों को शुभकामनायें और विदाई देना चाहता हूं उन साथियों को देना चाहता हूं सचमुच मैं देव भूमि पर स्वर्ग है अगर स्वर्ग है तो उत्तरांचल के अलावा कहीं नहीं हो सकता है । युधिष्ठिर सशरीर वहां पर गये थे 22 सदस्यों को जीवित सशरीर अवस्था में स्वर्गारोहण हो रहा है उनका यश उनका तप, ज्ञान, उनका पौरुष गल न जायें उस स्वर्ग में जिस स्वर्ग में सशरीर आ जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो पौरुष, ज्ञान, बल, क्षमता अर्जित किया है उसका एक नया इतिहास लिख लें पौराणिक काल को दोहराने का सामर्थ्य इन साथियों में आ सके मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक लम्बी प्रसव पीड़ा के बाद आज उत्तर प्रदेश जिसे मातृ प्रदेश कहा जाता है, उत्तरांचल का प्राण नाल विच्छेदन करने का अवसर आया। प्रसव पीड़ा लम्बी रही होगी किन्तु जन्म होने के पश्चात् सारे कटु अनुभव उनके स्मरण करेंगे और जो नया शिशु है उसे पूरा सहयोग देंगे यही समाज की परम्परा रही है और यह परम्परा केवल भारतीय समाज की नहीं पूरे विश्व की रही है। मान्यवर, मैं इसके राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहूंगा, एक लम्बा संघर्ष रहा है, कुछ बिन्दुओं पर सर्वमान्य बातें स्वीकार्य भी नहीं हुई हैं। मान्यवर, अम्बिका जी ने कहा भी अगर इस धरती पर स्वर्ग कही है तो उत्तरांचल में है, कुछ हमारे मित्र स्वर्गवासी नहीं होना चाहते हैं तो कोई कठिनाई नहीं है। मान्यवर, मैं उस विषय में न जाकर केवल इस सदन को जो क्षति हो रही है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं इस सदन में वह माननीय सदस्य आज जिनकी विदाई के लिये हम एकत्र हुए हैं माननीय अम्बरीष जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान, श्रीमान तिलक राज बेहड़, उनकी आवाज, उनकी विद्वतापूर्ण तर्कसंगत वार्ता अब इस सदन को सुनने को नहीं मिलेगी। माननीय हाजी साहब, सैनी जी, केदार सिंह फोनिया जी उनका अनुभव, उनकी तर्कशक्ति, उनको अपने पक्ष रखने की कला से ही यह सदन वंचित होगा। रमेश पोखरियाल जी का भावनापूर्ण ओजस्वीपूर्ण भाषण, श्री रामदास जी, मातवर सिंह कंडारी जी का ओजस्वी वाणी से वंचित हो रहे हैं। यहां पर हमारे नौजवान मित्र आर्य जी, लाखीराम जोशी जी, अजय भट्ट जी, पुनेठा जी, मोहन सिंह गांववासी, रावत जी इन सबकी सेवाओं से यह सदन वंचित हो रहा है खाली प्रसन्नता है कि आज वह एक नये प्रदेश के निर्माण में नींव डालने वाले सदस्य होंगे। मुझे विश्वास है कि यह नया प्रदेश यशस्वी होगा और पूरी तरह से अग्रणी प्रदेश बनकर दिखायेगा हम इसका गौरव महसूस करेंगे कि हमारे सदन के माननीय सदस्य जिन्होंने नये राज्य की नींव डाली, उन्होंने उत्तरांचल को एक नई दिशा दी। मा० के० सी० सिंह बाबा सदन में कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तब तौल कर बोलते हैं उनकी अनुपस्थिति अखरेगी।

जो माननीय सदस्य विदाई के लिये एकत्र हुए हैं उन मित्रों का भविष्य सुखद हो, वह यशस्वी हों और जिस क्षेत्र ने इस पूरे प्रदेश को 3-4 ऐसे महापुरुष दिये हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्तम्भ कहे जाते हैं उस क्षेत्र से आये हुए यह हमारे मित्र जब उत्तरांचल की स्थापना हो जाय तो वह दिशा दें कि सारा का सारा प्रदेश पूरे भारत के उनके नक्शे कदम पर चलने के लिये उतारू हो जाय। इन शब्दों के साथ शब्दों के माध्यम से और यह शब्द मेरी जिह्वा के नहीं हैं यह हृदय-से अवमुक्त होते हैं यह नया प्रदेश विकासशील हो, विकसित हो, हमारे मित्रों का भविष्य सुखद हो, यह सब यशस्वी हों। इन शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आज बोझिल मन से हम अपने 22 साथियों को विदाई दे रहे हैं। बहुत पुराने साथी भी इसमें हैं और कुछ नये साथी भी हैं ये नये प्रदेश की नींव को बनाये जैसा डंग साहब ने कहा मैं भी अपनी भावना उनसे जोड़ता हूं। इन सब साथियों के कन्धों पर यह दायित्व होगा कि नये प्रदेश का जो सृजन हो रहा है उसे वह किस प्रकार का प्रदेश बनायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाकवि कालीदास ने हिमालय को मस्तिष्क में रखकर लिखा है –

अनन्त रत्नप्रभवस्य यस्य,
हिमं न सौभाग्य विलोहिपजातम् ।
एकोहि दोषी गुण सन्निपाते,
निमज्जतिन्दिो : किरणेषुवांकः ॥

मान्यवर, यह हिमालय तमाम रत्नों से भरा पड़ा है, उसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, लेकिन उससे उसके गुण कम नहीं हो जाते, यदि उसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित न रहे और यह गंगा जमुना वहां से न निकलतीं तो हमारी जिन्दगी की धारा ही सूख जाये । जिस तरह चन्द्रमा में कालिमा का दोष होने के बावजूद उसकी आभा कम नहीं होती । इसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि इनके मार्ग में जो भी बाधायें आयेंगी । उन बाधाओं को यह पार कर सकेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे । मैं बात को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता । सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह वक्त आपको मिला है यदि आपने वक्त का सही ढंग से सदुपयोग किया तो यह जो आपने निर्णय लिया है, उस पर आपको पछताना नहीं होगा, लेकिन यदि आपने सदुपयोग नहीं किया और कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो आने वाली पीढ़ियां आपके इस निर्णय के लिये आपको कोसेंगी । मैं यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं –

वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ॥

मुझे विश्वास है कि आपके इस प्रभाव के आगे कोई भी बाधा आयेगी, आप उन बाधाओं को पार करेंगे और हम लोगों से कभी जाने अनजाने कोई ऐसा आचरण हो गया हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो, जिसने आपके मन को दुखी किया हो, कड़ुवी लगी हो तो मैं अपने साथियों की ओर से और अपनी ओर से क्षमा प्रार्थी हूं, आप उन चीजों को छोड़कर, जो हमारे सुखद भाव हैं, उनको साथ लेकर जायेंगे । मान्यवर, बहुत भारी और बोझिल मन से जबरदस्ती बिदाई करने का मेरा मन नहीं है । भाई राम सिंह सैनी जी के साथ एक लम्बी राजनीतिक यात्रा मैंने की है । हम अभी मानने को तैयार नहीं हैं कि यह जायेंगे । यह अभी संघर्ष करेंगे और अभी उत्तर प्रदेश से नहीं जायेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आये, उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे । मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस संघर्ष में सफलता मिले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इन माननीय सदस्यों की बिदाई के लिये जो उद्गार व्यक्त किये गये हैं, मुझे भी उसमें जोड़ने का मौका आपने दिया, धन्यवाद ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो साथी 22 की संख्या में अपने बीच से जा रहे हैं, उनके साथ हम लोगों के अपने विचार रहे हैं, बातचीत होती रही है कभी मंत्री के रूप में, कभी साथी विधायक के रूप में । हमारे भाई मुन्ना सिंह जी, उनके साथ कभी-कभी ऐसी स्थितियां बनीं, लेकिन संबंध ऐसे होते हैं, जिसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये हमको कुछ न कुछ करना पड़ता है । हमारे लोगों की तरफ से कभी कोई अड़चन, दिक्कत या बाधा आई होगी तो उसको यह लोग अन्यथा नहीं लेंगे । आप लोग यह मन मत बनाकर जाइयेगा कि आप उत्तर प्रदेश से बहुत दूर जा रहे हैं हम सब लोग करीब में हैं, कहीं दूर नहीं हैं,

सुख दुख में हम आपके साथ हैं और आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे, यह हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा है। आपके उत्तरांचल को और सभी को मिलाकर के ही भारत बना है। इसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आयेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं जो भी हमारे साथी हैं, विचार में, मन में, दिल में कोई भी अन्तर रहा होगा लेकिन संस्कृति में, बातचीत में हम सब एक हैं। यदि ऐसा कोई भी प्रसंग आया हो जिसमें जाने वाले साथियों को कोई ठेस पहुंची हो, दुख हुआ तो वह मेरे जैसे व्यक्ति को जरूर माफ करेंगे। इतना कहना चाहता हूं कि मुन्ना सिंह चौहान जी छोटे हैं लेकिन बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर उनको रहने का सौभाग्य मिला है। अम्बरीष जी और सैनी जी ये लोग ऐसे हैं जो जाना नहीं चाहते, हम जाने भी देना नहीं चाहते। ताकत आप में भी रहनी चाहिए, हम लोगों में भी रहनी चाहिए और यह ताकत बड़ी ताकत बन कर आयेगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अम्बरीष कुमार का नाम पुकारे जाने पर और उनके खड़े होने पर माननीय सदस्यों ने मेंजें थपथपाई)

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस अवसर पर हम अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। यह उत्तर प्रदेश, यह एक प्रदेश नहीं है, मान्यवर, इसकी मिट्टी को अगर हम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू करें तो मैं कहना चाहता हूं, शहीद मंगल पाण्डेय जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष सबसे पहले किया था, वह इस उत्तर प्रदेश की धरती से किया था। मान्यवर, आजादी के उन्हीं मूल्यों के लिए बुन्देलखण्ड की वीरागंना महारानी लक्ष्मी बाई के संघर्ष को कौन भुला सकता है। मान्यवर, इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं काकोरी काण्ड के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने पूरे देश को नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली सामाज्य को ललकार कर कहा था 'वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां हम अभी से क्या बतायें, क्या हमारे दिल में है" और इन्हीं के साथ शहीद अस्फाक उल्ला, रोशन सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, बलिया के चित्तू पाण्डेय जिन्होंने एक महीने तक बलिया को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराकर रखा था। ऐसा महान विभूतियों के बलिदान से। इस उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी हैं वह साधारण मिट्टी नहीं है। मान्यवर, वह ऐसी मिट्टी है जो चन्दन बन गयी जिसको हम अपने माथे पर लगाते हैं और केवल यही एक क्षेत्र नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो कौन भुला सकता है डा० राम मनोहर लोहिया को जिन्होंने हिन्दुस्तान के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू को लोकसभा में चुनौती दी थी। हम कैसे भूला सकते हैं कि गरीबों के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले आचार्य नरेन्द्र देव को, जो इसी उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए थे। इतना ही नहीं अगर साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो कैसे भुला सकते हैं सूर, तुलसी और कबीर की कालजयी रचनाओं और उनकी वाणी को। हम कैसे भूल सकते हैं मुंशी प्रेमचन्द की अमर गाथाओं को जिनके पढ़ने मात्र से ग्रामीण जीवन का चित्र हमारे मानस पटल पर जीवन्त हो जाता है। इतना ही नहीं यात्रा वृतान्त के अमर लेखक, एक यायावर के रूप में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को हम कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ उपन्यासकार देवकी नन्दन खत्री को हम कैसे भूल सकते हैं। यह वह भूमि है कि अगर मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया तो अयोध्या की भूमि राम की परम्पराओं की धरती है। इतना ही नहीं कुशीनगर और सारनाथ को कैसे भूल सकते हैं। सारनाथ जहां गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया वहीं कुशीनगर उनकी अंतिम समाधि स्थल बना और वह बौद्ध धर्म दुनियां के बहुत से देशों में फैला।

मान्यवर, इसी तरह से मैथिलीशरण गुप्त जो राष्ट्र कवि थे उनको कौन भूला है। "जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।" यह उत्तर

प्रदेश की भूमि एक प्रदेश की संस्कृति नहीं है, यह भूमि भारत के माध्यम से पूरी दुनियां को जोड़ने वाली संस्कृति रही है । चाहे वह शिव का बनारस हो या गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल प्रयाग हो जहां से आप आते हैं । उत्तर प्रदेश यह नाम है जो भारत के माध्यम से पूरी दुनियां से सदैव से जुड़ा है और हमको गौरव था कि हम ऐसी विश्वजनीन संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जिसकी दुनियां में दूसरी मिसाल नहीं है । मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में उस समय उत्तर प्रदेश के विभाजन की चर्चा हुयी थी । जो बहुमत सदस्य थे उन्होंने यह बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की एकता भारत की एकता की गारन्टी है । यह भारत की सुरक्षा की गारन्टी है और मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने तूफान उठे, कितने ही झंझा बात आये, चाहे यह साम्प्रदायिकता के हों, चाहे क्षेत्रीयता के हों या दूसरे हों एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य रहा है जो सदैव राष्ट्रीय एकता का उदाहरण रहा है । उत्तर प्रदेश को लघु भारत कहते हैं यह हमकों भारत के दर्शन करवाता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि हम विशिष्ट हैं जैसे पंजाबी हैं या हरियाणवी या अन्य कहते हैं ।

उत्तर प्रदेश की कभी एक संस्कृति नहीं रही है बल्कि उत्तर प्रदेश सब संस्कृतियों के समन्वय का नाम है । विभिन्नता में एकता का दर्शन अगर भारत में होता है तो वह उत्तर प्रदेश में ही होता है । आज हम ठगे से इसलिये महसूस करते हैं कि हमारी हालत एक ऐसे व्यक्ति की हो गयी है जिसके पास करोड़ों रुपये की दौलत रही है, राज प्रसाद हों, जीवन की सभी सुख सविधायें हों और जब वह रात के बाद सुबह सोकर उठे तो उसको पता चले कि उसके राज प्रसाद और महल तथा दौलत–समृद्धि माल सब छीन ली गयी हो और वह एक चौराहे पर अकेले छोड़ दिया गया हो । उस व्यक्ति के मन की व्यथा क्या होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं ? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो विभाजन आज हुआ है हम किसी की आज इस समय आलोचना नहीं करना चाहते हैं लेकिन यह कहना चाहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का विभाजन एक उत्तरांखण्ड के गठन के रूप में किया गया था यह उन लोगों की एक चाल है, उन लोगों की कोशिश है जो उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुये राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक दबदबे से परेशान और दुखी थे । आज दक्षिण के वही नेता उत्तर प्रदेश के विभाजन की वकालत करने के लिये आते हैं जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वर्चस्व से खौफ खाते हैं ।

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह जरूर है कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर जनपद हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने का काम वहां के लोगों की इच्छाओं को जाने बगैर किया है । जैसा अम्बिका चौधरी जी कह रहे थे । मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रात कितनी भी लम्बी क्यों न हों, संकट हमको कितनी भी झेलनी पड़े लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन सुबह जरूर आयेगी । मैं अपने संघर्ष को जारी रखूंगा । बहुत कम समय में हम फिर मिलेंगे यह वायदा करना चाहता हूं और अन्त में एक बात कहना चाहूंगा कि आपने एक अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक संरक्षक के रूप में भी जो लोकतांत्रिक परम्परायें हैं, इस विधान सभा के कार्य को जानने का और अपनी बात कहने का जो अवसर दिया, जो स्नेह आपका पितृवत मिलता रहा उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उसके बिना यह सम्भव नहीं था कि अपनी बात वहां सदन में रख पाता ।

मेरा सदैव प्रयास रहा है कि अनुशासन में रहकर आपके निर्देशों का सही ढंग से पालन करूं । इसके साथ ही साथ विपक्ष के सभी नेताओं बसपा के नेता माननीय मौर्या जी, वर्मा जी, प्रमोद कुमार जी और जितने भी नेता लोग हैं, माननीय नेता विरोधी दल, अम्बिका चौधरी जी, कुंवर साहब और इसके

साथ ही सत्तापक्ष के सभी लोगों को आज मैं बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूं कि भरपूर स्नेह मिला । कभी भी सत्ता पक्ष की कटु आलोचना भी की तो आभारी हूं सत्ता पक्ष के लोगों का कि प्रेमपूर्वक मेरी बात को सुना, जब भी कभी अवसर आया मुझे बहुत उत्साहित किया । मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुये आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पर समापन के लिए आपने मुझे अकिंचन को चुना । इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । इस विश्वास के साथ कि हम इस विधान सभा में फिर लौटेंगे । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

अगले माह सम्भवतः 9 नवम्बर को वर्तमान उत्तर प्रदेश में दो विधान सभायें होंगी । जो अधिनियम पारित हुआ है उसके अनुसार निर्धारित तिथि पर उत्तर प्रदेश का विधान सभा का भी गठन होगा और उत्तरांचल के अन्तरिम विधान सभा का भी गठन होगा । इसी 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधान सभा 63 वर्ष 7 माह की आयु प्राप्त कर लेगी । नवम्बर में होने वाली इस घटना को विघटन कहें, विधान सभा का विभाजन कहें, कोई नाम दें लेकिन यह टूटन जरूर है । यह टूटन है, विभाजन है हमारे मानचित्र का और एक कृत्रिम रेखा के द्वारा जो मानचित्र पर कुछ कलम या पेन्सिल से कहीं खींच दी जायेगी और विधान सभा का बंटवारा हो जायेगा । इसलिये शायद आपने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है । मैं समझता हूं कि बड़ा भावुकता से भरा क्षण है, संवेदना से परिपूर्ण क्षण है, कहीं पीड़ा भी है, कहीं प्रसन्नता भी । जब किसी पुष्प का प्रस्फुटन होता है प्रातः बेला में तो उस पर पानी की बूंद दिखायी देती है । कोई इसे कहता है कि नेत्र की शीतलता देने वाली ओस है और जिसके मन में पीड़ा होती है वह कहता है कि मेरे नेत्रों से निकले हुए अश्रु हैं । आज इन्हीं दोनों के मिश्रित भाव हम विधान सभा में व्यक्त कर रहे हैं । आज हम अनेक साथियों को उत्तरांचल प्रदेश की अंतरिम विधान सभा के सदस्य होने के लिए भेज रहे हैं । राज्यों के निर्माण कोई नयी घटना नहीं है । उनका गठन, उनका पुनर्गठन विश्व के अनेक देशों में हुआ है और सामान्यतः इन्हीं आधारों पर पुनर्गठन किया जाता है उसको हम तर्क से पुष्टि करने का प्रयास करते हैं । कभी-कभी भावनायें तर्क को पीछे ढकेल देती हैं और जिन प्रदेशों का गठन या पुनर्गठन मात्र भावनाओं के आधार पर हुआ है और उसका चित्र सामने जो आया है उसके पीड़ादायक परिणाम भी हुए हैं । देश में राज्य पुनर्गठन आयोग की व्यवस्था है । उत्तर प्रदेश का बटवारा हो उसके ठोस और तार्किक आधार मिल सके जिससे यह बनाया जा सके इसलिए अपेक्षा यह थी कि पुनर्गठन आयोग को यह मामला सौंपा जायेगा । गंभीर विचार विमर्श के उपरान्त वह अपनी संस्तुति करेगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही होगी । लेकिन यहां भावना प्रधान हो गयी या उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए वर्चस्व को कम करने का प्रयास हुआ यह तो भविष्य बतायेगा । लेकिन जिस राज्य का गठन होने जा रहा है यह सीमावर्ती प्रदेश होगा । चीन से मिला हुआ यह उत्तरांचल प्रदेश जिसे अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से सशक्त करने का और उस प्रदेश के मनोबल को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करना होगा ।

हमने सीमा पर बने राज्यों की स्थिति को देखा है कि क्या हो रही है ? उनके अनुभवों को चेतावनी के स्वर के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है । उत्तरांचल राज्य के गठन की मांग इसलिए की गयी थी कि वहां निर्धनता है, विकास के काम कम हो रहे हैं और अपेक्षा के अनुसार प्रगति नहीं हुई है जहां इस प्रकार की बातें होती हैं वहीं कुछ ऐसी शक्तियां अलगाव का बीज बोना शुरू करती हैं कि जिसके कालान्तर में प्रभाव दिखाई पड़ते हैं । इसलिए जिस स्वरूप भावना के संगम से उत्तरांचल का जन्म हुआ है उस भावना को बनाये रखने की आवश्यकता है अन्यथा अलगाव का वृक्ष बढ़ेगा द्वेष

और दुर्भावना, कटुता और वैमनस्य रखने की चीज नहीं है बल्कि इसे त्यागने की जरूरत है। स्नेह को संजोने की जरूरत है। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह स्नेह के स्वर उत्तरांचल की अंतरिम विधान सभा और बाद में नियमित विधान सभा में तथा विधान सभा के बाहर भी सुनाई पड़ेंगे जिससे हम सभी का बल बढ़ेगा। हमारे बहुत से योग्य और क्षमतावान सदस्य यहां से जा रहे हैं।

के०सी० सिंह बाबा खेल कूद के क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम किया। श्री राम सिंह सैनी, काजी मुहिउद्दीन साहब मेरे साथ 1977 में रह चुके हैं इनके अनुभव से हम सब वंचित हो जायेंगे। जैसा कि डंग जी ने कहा कि इनके विद्वतापूर्ण ख्याल, इनके परामर्श हमें विधान सभा में नहीं मिल सकेंगे बाहर भले ही मिल जाएं। अम्बरीष कुमार जी मुन्ना चौहान जी, भारत सिंह रावत, मोहन सिंह रावत गांववासी या अन्य जिनके नाम आ चुके हैं सबने उत्तर प्रदेश के इस सदन में अपना योगदान दिया है। आज हमारे मन में उनके लिए अलगाव, विलगाव व विरह की पीड़ा हो रही है तथा उसकी तीव्रता बढ़ गई है। उत्तरांचल राज्य में बहुत सी भावनाएं हैं, प्राकृतिक सम्पदा है, खनिज पदार्थ हैं, वन सम्पदा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि इस सदन से उत्तर प्रदेश से जो अनुभव लेकर हमारे सदस्य उत्तरांचल में जा रहे हैं वह उत्तरांचल को ठोस दिशा देने का काम करेंगे। वहां से पहले मुख्य मंत्री, वहां की पहली मंत्रि-परिषद् उत्तरांचल की नई दिशा देगी ऐसा मेरा विश्वास है। वहां के दिशा निर्धारण में आप सबका बहुत ही योगदान होगा। मैं आप सभी सदस्यों को दीपावली के और उत्तरांचल राज्य के गठन पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुछ मित्र हमारे बहुत करीब हैं लेकिन जो पहली बार चुनकर आए हैं वह भी हमारे बहुत करीब आ गए हैं। मैं सभी 22 सदस्यों के बड़े ही उज्जवल, स्वर्णिम राजनीतिक भविष्य के लिए भी शुभ कामनाएं देता हूं। आप दीर्घजीवी हों। उत्तरांचल में रहकर वहां की जनता की सेवा करें तथा एक दिन हमें गौरव का अहसास कराएं कि जो हमसे विलग हुए हैं उन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने उत्तरांचल को वह रूप दे दिया है जो दूसरे प्रदेशों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सके।

यहां 63 वर्ष की आयु का विशेष उल्लेख किया गया। यह विधान सभा जिसने उत्तरांचल को अपनी कोख से जन्म दिया चाहे हम इसे मां कहें चाहे जनक चाहे बड़ा भाई कहें जब कोई छोटा बिछड़ता है तो दो तीन तरह की शुभकामनाएं होती हैं। वह जीवन में यश प्राप्त करे पौरुष प्रदर्शन करे जब पौरुष प्रदर्शन का परिणाम सामने आता है तो मां, पिता बड़ा भाई सबको सुख और शांति की अनुभूति होती है मैं एक छोटी कविता के रूप में इसको कहना चाहूंगा। "अपनी ही रक्त अंश यह नई पीढ़ी को इसे कुछ करने दो मेरे मैं से लड़ने दो।" अभी अम्बरीष जी ने उत्तर प्रदेश के माहौल का बखान किया गया उस माहौल का कुछ अंश जहां भी आप जायेंगे। उस मिट्टी की धूल आपके साथ वहां भी जायेगी। इसका यश, इसकी परम्परा, इसकी मर्यादा यह आप साथ ले जायेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपने ही रक्त अंश को नई पीढ़ी को ऐसा कुछ करने दो मेरे "मैं" से लड़ने दो। मैं उस युग की कल्पना कर रहा हूं जहां इसके कर्म की साधना का निरन्तर मंथन देगा नया निनाद और धरती को कम्पन आप अपने मजबूत इरादों से इसे समृद्ध बनाएं।

मुझे विश्वास है कि आप यह संदेश लेकर जायेंगे। यह संदेश आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विदाई देता हूं। मन बहुत बोझिल है इसमें कोई शक नहीं लेकिन यह यात्रा का प्रारम्भ है। पाँव बोझिल नहीं हैं बहुत सशक्त हैं लम्बी यात्रा के लिए सक्षम हैं। मुझे विश्वास है आप अपनी यात्रा में सफल होंगे। आप सभी ने मेरे लिए जो शब्द कहे उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

आज की कार्य-सूची की शेष मदों, प्रस्तावों, चर्चाओं तथा वक्ताओं का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यसूची में अनेक मदें हैं यदि आप सब सहमत हो तो प्रतीक चिन्ह बांटकर जनगणमन का कार्य कर लें। आज की कार्य सूची में 18 से 21 और 23 से 29 तथा 31 से 34 मदें हैं यदि आप सबकी सहमृति हो तो आज इन्हें स्थगित कर दें।

(सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की)

मद संख्या 18 से 21 और 23 से 29 तथt 31 से 34 तक की मदों को स्थगित किया जाता है।

आज की कार्य-सूची की शेष मदों, प्रस्तावों, चर्चाओं तथा वक्तव्यों का स्थगन–

"इस सदन का यह सुनश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों को एक स्थायी समिति गठित करने विषयक श्री बालचन्द्र मिश्र द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थगन"

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किये जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थगन"

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में किसानों तथा मजदूरों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को वर्तमान गन्ना नीति एवं चीनी उद्योग नीति में परिवर्तन किये जाने विषयक श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव का स्थगन"

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाने विषयक डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव (जारी)"

"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)"

"प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादकों किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिव सिंह चक द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)"

"प्रदेश के मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)"

"प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जन जीवन पर हो रहे हानि कारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव, श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा (जारी)"

''प्रदेश में अनवरत रूप से बढ़ती मंहगाई को रोके जाने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)''

''प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री प्रदीप कुमार द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)''

''उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं नियम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे०पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार द्वारा नियम 216 (4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में विचार हेतु निर्धारित चर्चा (जारी)''

''जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत आवासित झोजा जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री अकबर हुसैन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री के वक्तव्य (जारी)''

''प्रदेश एंग्लो इण्डियन स्कूल तथा उससे सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण कार्य पाठ्यक्रम तथा विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कन्टीव्यूटरी फण्ड आदि के लिए अल्पसंख्यक स्टेट बोर्ड फार एंग्लोइण्डियन एजूकेशन बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में श्री पीटर फैन्थम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री के वक्तव्य (जारी)''

''प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक श्री राम औतार शाक्य, श्री राजेश अग्रवाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री जगदम्बिका पाल, डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)''

''खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)''

उत्तरांचल के विधायकों को प्रतीक चिन्ह भेंट किये जाने तथा केन्द्रीय कक्ष में उनकी विदाई समारोह हेतु जलपान व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब हम इसके पश्चात् प्रतीक चिन्हों का वितरण करेंगे तत्पश्चात् राष्ट्रगान के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक सूचना देनी है जो माननीय सदस्य उत्तरांचल राज्य में जाने वाले हैं उनके विदाई समारोह हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने जलपान की व्यवस्था सेन्ट्रल हाल में की है । पहले पांच बजे का समय था विलम्ब हो गया है । सभी माननीय सदस्य, नेतागण वहां पर आमंत्रित हैं । अपेक्षा करता हूं कि 10 मिनट के लिए वहां भी चले चलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक चिन्हों का वितरण किया जाय ।

(उत्तरांचल के माननीय सदस्यों को प्रतीक चिन्ह भेंट किये गये)

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–34 में राष्ट्र-गान करने के पश्चात् हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

राष्ट्रगान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे ।
भारत–भाग्य–विधाता ।।
पंजाब–सिन्धु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग ।
विन्ध्य–हिमांचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

(सभी सदस्यों द्वारा राष्ट्र-गान गाया गया ।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 8 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ : **राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी०–एल० 387 विधान सभा (863)–30-3-2001–813 (डी०टी०पी०) ।